Wednesday, 04 December, 1974

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण
SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र / Twelfth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit.
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

[खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : दो रुपये

Price · Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 15, बुद्धवार, 4 दिसम्बर, 1974/13 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 15, *Wednesday, December* 4, 1974/*Agrahayana* 13, 1896 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
306. विदेशी मुद्रा लेकर कारों और स्कूटरों का आवंटन किया जाना	Allotment of Cars and Scooters against Foreign Exchange ..	3—6
309. 1972-74 के दौरान स्टेट्समैन, टाईम्स आफ इण्डिया और इण्डियन एक्सप्रैस को अखबारी कागज का आवंटन	Allotment of Newsprint to Statesman, Times of India and Indian Express during 1972-74 ..	7—10
313. राजस्थान नहर का पूरा किया जाना	Completion of Rajasthan Canal ..	10—12
315. देश में डाक घरों की संख्या	Number of Post Offices in the Country	12—16
316. निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सम्पत्ति की घोषणा	Declaration of Assets by the Elected Representatives	16—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
307. चण्डीगढ़ का पंजाब को अंतरण	Transfer of Chandigarh to Punjab	18
308. मध्य प्रदेश में दूरसंचार उपकरण बनाने वाले कारखाने	Telecommunication Equipment Factories in Madhya Pradesh ..	19
310. नकली लघु एककों को समाप्त करना	Weeding out of Bogus Small Units	19—20
311. भारतीय योगी और नव-धर्म नेता	Indian Yogis and Neo Religion Leaders	20
312. भारत पुरस्कार विजेता श्री पी० जे० एन्थनी की टेलीविजन भेंट का सैंसर किया जाना	Censor of Television Interview of Shri P. J. Anthony, the Bharat Award Winner	20
314. ट्रैक्टर की कीमत पर सांविधिक नियंत्रण	Statutory Control on Price of Tractor	20—21

किसी नाम पर अंकित चिह्न+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign+marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

अता० प्र० सं० S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
317.	तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में उद्योग	Industries in Tamil Nadu and Andhra Pradesh	21—22
318.	आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम और भारतीय रक्षा नियम के अंतर्गत व्यक्तियों की नजरबंदी	Detention of Persons under MISA and DIR	22
319.	कुरनूल (आंध्र प्रदेश) में कागज कारखाने की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किया जाना	Issue of Licence for setting up Paper Unit in Kurnool (A.P.) ..	22
320.	अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा राजस्थान के खादी तथा ऊन कातने वालों तथा बुनकरों की समितियों को सर्टिफिकेटों का जारी किया जाना	Issue of Certificates to the Societies of Khadi and Wool Spinners and Weavers of Rajasthan by AIKGB, Lucknow	23
321.	विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठन	Organisations receiving Foreign Money	23
322.	आगामी तीन वर्षों के लिए विद्युत् उत्पादन योजनाएं	Power Generation Schemes for next Three Years	23—24
323.	पश्चिम बंगाल में निर्मातोन्मुखी इंजीनियरिंग उद्योगों को रियायतें	Concession to Export Oriented Engineering Industries in West Bengal	24
324.	तारापुर परमाणु बिजलीघर की जांच	Check up of Tarapur Atomic Power Station	25
325.	केन्द्रीय विपणन संगठन द्वारा कागज तथा कागज गत्ते का वितरण	Distribution of Paper and Paper Board by Central Marketing Organisation	25—26
326.	पांडिचेरी में एक तापीय विद्युत् संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Thermal Power Plant in Pondicherry	26
327.	विदेशी कम्पनियों की शाखाओं द्वारा अपने व्यापार नामों के प्रयोग के लिए प्राप्त की जाने वाली धनराशि	Amount received by Branches of Foreign Companies for use of their Trade names	26—27
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.			
3003.	कोयले का मूल्य	Coal Price	27
3004.	केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान द्वारा वाणीज्यिकीकरण के लिए फार्मास्यूटिकल फर्मों को सौंपी गई परियोजनाएं	Projects handed over by Central Drug Research Institute to Pharmaceutical Firms for Commercialisation	27—28
3005.	मोती नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी	Officials of Motinagar Police Station	28

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3006.	कोयला उद्योग में पांचवीं योजना में विदेशी निवेश	Foreign Investment in Coal Industry during Fifth Plan ..	29
3007.	सोवियत रूस द्वारा बांध एवं जलाशय बनाने के लिए नियंत्रित विस्फोट के बारे में जानकारी का भारत के साथ बंटवारा करने संबंधी प्रस्ताव	Offer by USSR for sharing Experience with India in Controlled Explosion for Building Dams and Reservoirs	29
3008.	गोआ में नए भारी उद्योग की स्थापना करना	Setting up of New Heavy Industry in Goa	29—30
3009.	केरल में समुद्र द्वारा भूक्षरण रोकने के कार्यों के लिए अनुदान	Grant for Anti-Sea Erosion Works in Kerala	30
3010.	महरौली (दिल्ली में) सीमेंट की जमाखोरी	Hoarding of Cement in Mehrauli (Delhi)	30—31
3011.	पंजाब में नये भारी उद्योगों की स्थापना	Setting up of New Heavy Industries in Punjab	31
3012.	जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भित्ति समाचार पत्र	Wall Newspapers for Tribal and Hill Areas	31
3013.	लारेंस रोड वेलफेयर फेडरेशन द्वारा उप-राज्यपाल को ज्ञापन	Memorandum to Lt. Governor of Delhi by Lawrence Road Welfare Federation	32
3014.	दिल्ली एवं अन्य नगरों में टेलीविजन सेटों की बिक्री पश्चात् सेवा की अपर्याप्त सुविधाएं	Inadequate Facilities for After-Sale Service of T.V. Sets in Delhi and other Cities	32
3015.	हेलियम परियोजना	Helium Project	32—33
3016.	टेलीविजन में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन ढांचे का पुनर्गठन	Reorganisation of Pay Structure of T.V. Staff	33
3017.	अभाव का गुजरात में उद्योगों पर प्रभाव	Effect of Shortages on Industries in Gujarat	33
3018.	मध्य प्रदेश म बिजली परियोजनाएं	Power Projects in Madhya Pradesh	34
3019.	नागालैंड और मिजोरम में केन्द्रीय बल रखना	Stationing of Central Force in Nagaland and Mizoram ..	34—35
3020.	नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार	Unemployment and Underemployment in Urban and Rural Areas	35
3021.	बिरसिंगापुर कोयला खान में हड़ताल	Strike in Birsingpur Colliery ..	35—36
3022.	मई, 1974 में केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Central Government Employees in May, 1974 ..	36
3023.	पोर्ट ब्लेयर में बिजली बंद होना	Power Failure at Port Blair	3

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3024.	नलकूपों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित करने के लिये मध्य प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड को निदेश	Directive to Madhya Pradesh State Electricity Board for Fixation of Target of Energising Tube Wells	36—37
3025.	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा विजय स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Vijai Scooters by Scooters India Limited	37
3026.	बीड़ी निर्माता उद्योग को प्रोत्साहन	Encouragement to Bidi Manufacturing Industry	37
3027.	राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपालों, मंत्रियों तथा विधायकों द्वारा आस्तियों की घोषणा	Declaration of Assets by President, Vice-President, Governors, Ministers and Legislators ..	37—38
3028.	नारियल जटा उद्योग	Coir Industry	38
3029.	सी० पी० डब्ल्यू० डी० इंडस्ट्रीयल वर्कर्स कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी	C.P.W.D. Industrial Workers Cooperative Thrift and Credit Society	38—39
3030.	राइमा-सारमा घाटी के विस्थापित लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Uprooted People of Raima-Sarma Valley ..	39
3031.	हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड द्वारा 'होल मिल्क पाउडर' का उत्पादन	Production of 'Whole Milk Powder' by Hindustan Lever Limited ..	39—40
3032.	कोयले से सस्ती गैस तैयार करना	Manufacture of Cheap Gas from Coal	40
3033.	द्रुत योजना और शिक्षित बेरोजगारों की सहायता के लिए धन का आवंटन	Allocation for Crash Plan and Assistance to Educated Unemployed	40
3034.	सिंगरोली कोयला क्षेत्रों में कोयले का भंडार	Coal Reserves in Singrauli Coal Fields	41
3035.	भारत में "एशिया फाउंडेशन" की गतिविधियां	Activities of "Asia Foundation" in India	41
3036.	बड़े देशों द्वारा परमाणु सामग्री के निर्यात पर रोक	Embargo on Export of Nuclear Material by Big Countries ..	42
3037.	कोयला खान प्राधिकरण द्वारा कम भरे हुए कोयला वैगनों की कथित सप्लाई	Alleged Supply of Under-loaded Coal Wagons by CMA ..	42
3038.	राष्ट्रीयकृत कोयला खानों का कार्य-करण	Working of Nationalised Coal Mines	42—43
3039.	दक्षिण कनारा जिले में टाइल उद्योग में संकट	Crisis in Tile Industry in South Kanara District	43
3040.	पोंग बांध के विस्थापितों द्वारा भूमि के पुनः आवंटन के लिए दिए गए अवेदन-पत्र	Applications filed for Re-allotment of Land by Oustees of Pong Dam	43—44

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3041.	साऊथ अफ़्रीका के कोल, आयल एंड गैस कारपोरेशन द्वारा कोयले को तेल में बदलना	Conversion of Coal into Oil by South African Coal, Oil and Gas Corporation	44
3042.	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के भूतपूर्व न्यायाधीशों के लिए पद	Assignments for Ex-Justices of Supreme Court and High Courts	44—45
3043.	बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में सीमेंट कारखाना	Cement Factory in Bilaspur (H.P.)	45
3044.	भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में हिन्दी अधिकारी के पद पर नियुक्ति	Appointment to the Post of Hindi Officer in the former Ministry of Irrigation and Power ..	45
3045.	प्रमुख जलाशयों के माध्यम से विद्युत् उत्पादन	Power Production through Major Reservoirs	45—46
3046.	दिल्ली में मोटर गाड़ियों की चोरी	Cases of Auto Thefts in Delhi ..	46—47
3047.	पिछड़े वर्गों संबंधी आयोग की रिपोर्ट	Report of the Backward Classes Commission	47
3048.	मद्रास के "हिन्दु" के पूर्वी भारत और बंगला देश में विशेष संवाद्दाता श्री कृष्ण मूर्ति का लापता होना	Missing of Shri Krishna Moorthy Special Correspondent in Eastern India and Bangladesh for 'Hindu' of Madras ..	47
3049.	त्रिपुरा में डमरू परियोजना	Damru Project in Tripura ..	48
3050.	राजस्थान में बूंदी के स्थान पर एक मुख्य डाकघर का खोलना	Opening of Head Post Office at Bundi in Rajasthan	48
3051.	मारुति लिमिटेड द्वारा कारों का उत्पादन	Production of Cars by Maruti Limited	48—49
3052.	लुधियाना से लौटते समय श्री जयप्रकाश नारायण पर हमला	Assault on Shri Jayaprakash Narayan while returning from Ludhiana	49
3053.	गीत तथा नाट्य प्रभाग के क्षेत्रीय यूनिटों में रिक्त स्थानों का भरा जाना	Filling-up of Vacancies in Regional Units of Song and Drama Division	49
3054.	"हैवी वाटर स्केरसिटि इन आफिंग" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	News item captioned "Heavy Water Scarcity in Offing" ..	50
3056.	कागज मिलों और कागज वितरण एजेंसियों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Paper Mills and Paper Distributing Agencies	50—51
3057.	प्राकृतिक विपदाओं के कारण वार्षिक योजनाओं को धक्का	Setbacks to Annual Plans due to Natural Calamities	51
3058.	आशयपत्रों का क्रियान्वयन न करना	Non-implementation of Letters of Intents	51—52
3059.	राज्य व्यापार निगम के पास अखबारी कागज	Newsprint held by STC	52

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3060.	वाणिज्यिक वाहनों के वितरण के लिए 'पैनल'	'Panel' for Distribution of Commercial Vehicles	52
3061.	वर्ष 1974 में कोयला उत्पादन का लक्ष्य कम किया जाना	Coal production Target scaled down in 1974	53
3062.	उपग्रहों द्वारा भारतीय अणु विस्फोट देखा जाना	Watching of Indian Nuclear Explosion by Satelites	53
3063.	विद्रोही नागाओं से मुठभेड़ के दौरान घायल हुए तथा मारे गए सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों की संख्या	Number of Jawans of BSF and CRP injured and killed during Encounters with Rebel Nagas ..	53—54
3064.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी की गिरफ्तारी के मामले में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम का दुरुपयोग	Misuse of MISA in the Arrest of Shri Atal Bihari Vajpayee ..	54
3065.	पश्चिम बंगाल में दियासलाई उद्योग में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Match Industry in West Bengal	55
3066.	तमिलनाडु में नेल्लीथुराय पनबिजली परियोजना को स्वीकृति	Clearance of Nellithurai Hydro Electric Project in Tamil Nadu	55
3067.	लघु उद्योगों के लिए मदों का आरक्षण	Reservation of Items for Small Scale Industries	55—56
3068.	इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड उद्योगमंडल केरल के श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers of Indian Rare Earth Limited Udyogamandal, Kerala	56
3069.	गरीबी के स्तर से नीचे जीवन-यापन कर रही जनसंख्या	Population living below Poverty Line	56—57
3070.	गौरेपुर कन्टेनर्स एंड क्लोजर्स, नेहाटी के कर्मचारियों को मजूरी का भुगतान	Payment of Wages to Workers of Gourepur Containers and Closures, Naihati (W.B.) ..	57—58
3071.	नगरों में टेलीवीजन की व्यवस्था	Television Sets in Cities ..	58
3072.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट द्वारा विकसित टाइप करने वाला कागज	Typing Paper developed by Regional Research Laboratory, Jorhat ..	58
3073.	मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति पर आई० पी० एस० अधिकारी	I.P.S. Officers on Deputation to Ministries..	58—59
3074.	महत्वपूर्ण क्षेत्र में उद्योग	Industries in Core Sector ..	59—60
3075.	पश्चिम बंगाल में डलखोला में विद्युत् संयंत्र की स्थापना	Setting up of Power Project at Dalkhola in West Bengal ..	60
3076.	विश्व कागज बैंक की स्थापना	Setting up of World Paper Bank ..	60—61
3077.	औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences to Industrial Undertakings	61

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3078.	कोयले का उत्पादन	Coal Production	61—62
3079.	अरुणाचल प्रदेश में ईसाइयों पर कथित अत्याचार	Alleged Persecution of Christians in Arunachal Pradesh	62
3080.	लघु उद्योगों को कच्चे माल का वितरण	Distribution of Raw Material to Small Scale Industries	62—63
3081.	दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा पालम में बिजली लगाया जाना	Installation of Electricity by DESU at Palam	63
3082.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक बस्तियों का विकास	Development of Industrial Estates in West Bengal	63
3083.	पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में कागज संयंत्र	Paper Plant in North Eastern Region States	64
3084.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक एस्टेट तथा शैड्स	Industrial Estate and Sheds in North Eastern Region	64—65
3085.	दिल्ली टेलीफोन विभाग का पुनर्गठन	Reorganisation of Delhi Telephone Department	65
3086.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का छट्टा उत्पादन यूनिट	Sixth Generating Unit of Durgapur Projects Ltd.	65—66
3087.	मुद्रणालय उद्योग में संकट	Crisis in Printing Press Industry	66
3088.	राउरकेला इस्पात संयंत्र में सीमेंट संयंत्र लगाना	Cement Plant in Rourkela Steel Plant	66
3089.	उत्तर प्रदेश सर्किल में डाक-तार कर्मचारी	P. & T. Employees in U.P. Circle	67
3090.	तमिलनाडु में बिजली घर की स्थापना	Setting up of a Power Station in Tamil Nadu	67
3091.	मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र का चालू किया जाना	Commissioning of Madras Atomic Power Project	68
3092.	पूर्वी क्षेत्र में बिजली की कमी	Shortage of Power in Eastern Region	68
3093.	हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Haryana, Punjab, U.P. and Rajasthan ..	69—70
3094.	बिजली की सप्लाई के लिए पंजाब तथा हरियाणा के मुख्य मंत्रियों का अनुरोध	Request from Chief Ministers of Punjab and Haryana for Supply of Power	70
3095.	ऊर्जा की आवश्यकता के बारे में अनुमान	Assessment regarding Requirement of Energy	71
3096.	पांच दिन का सप्ताह	Five-Day Week	71
3097.	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा निर्माण लागत कम करने के लिए तकनीकी सहायता	Technical Assistance to reduce Construction Cost by C.B.R.I., Roorkee	71—72

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3098.	मध्य प्रदेश में हरिजनों को परेशान करना	Harassment of Harijans in Madhya Pradesh	72
3099.	औद्योगिक प्रयोजनों के लिए सूर्य शक्ति का प्रयोग	Harnessing of Solar Energy for Industrial purposes	72—73
3100.	दृश्य श्रव्य विज्ञापन निदेशालय द्वारा बंगाली दैनिकों को विज्ञापन दिए जाना	DAVP Advertisements to Bengali Dailies	73—74
3101.	देश में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in the country ..	75
3102.	ऊर्जा मंत्री का दामोदर घाटी निगम का दौरा	Visit of Minister of Energy to DVC	75
3103.	'आंसुका' के अंतर्गत गिरफ्तार श्री रणवीर सिंह नरूला के घर को सील करना	Sealing the House of Shri Ranbir Singh Narula arrested under MISA	75—76
3104.	एण्ड्रयु यूल कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	Andrew Yule Company Ltd., Calcutta	76
3105.	सी० पी० डब्ल्यू० डी० इंडस्ट्रीयल वर्कर्स कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड	CPWD Industrial Workers' Co-operative Thirft and Credit Society Ltd.	76—77
3106.	निम्न-ताप कार्बनिकरण संयंत्रों की स्थापना करना	Setting up of Low Temperature Carbonisation Plants	77
3107.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति में वनस्पति घी का वितरण	Distribution of Vanaspati Ghee from Central Government Employees Consumer Co-operative Society	77—78
3108.	राजस्थान में नए भारी उद्योग स्थापित करना	Setting up of New Heavy Industry in Rajasthan	78
3109.	राजस्थान के गांवों में नए डाक-घरों का खोला जाना	Opening of New Post Offices in Villages of Rajasthan	78
3110.	राजस्थान के स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन दिया जाना	Grant of Pension to Freedom fighters from Rajasthan ..	78—79
3111.	सरकारी कालोनियों में चोरी के मामले	Theft cases in Government colonies	80
3112.	टेलीविजन सेटों के उत्पादन हेतु जारी किए गए लाइसेंस	Licences for Production of T.V. Sets	80—81
3113.	केरल में वेलूर में अखबारी कागज का कारखाना लगाने के लिए भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of Land for News-print Factory at Vellur in Kerala	81
3114.	गोआ के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of Pension to Freedom Fighters from Goa	81—82
3115.	हिमाचल प्रदेश में कागज मिल	Paper Mill in Himachal Pradesh ..	82

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3116.	हिमाचल प्रदेश में नैफ्था झकरी परियोजना	Naphtha Jhakri Project in Himachal Pradesh	83
3117.	पंजाब में गांवों में नए डाक-घर खोलना	Opening of New Post Offices in Villages of Punjab	83
3118.	दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in Delhi	83—84
3120.	गुजरात में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं	National Research Laboratories in Gujarat	84
3121.	गुजरात में जिला योजनाओं का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of District Plans in Gujarat	84
3122.	मध्यम दर्जे के उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Raw Material to Medium Scale Industries	84—85
3123.	परियोजनाओं में पूंजी निवेश के लिए औद्योगिक लाइसेंस देना	Industrial Licences for Investment in Projects	85—86
2124.	बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को एम० आर० टी० पी० गृहों के बराबर लाना	Multi-national Corporations at par with MRTP Houses ..	86
3125.	1972-73 और 1973-74 के दौरान मध्य प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम	Rural Electrification Programme in Madhya Pradesh during 1972-73 and 1973-74	86—87
3126.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं के लिए धन का नियतन	Allocation for Rural Electrification Schemes in M.P. in Fifth Plan	87
3127.	उड़ीसा के गांवों में नए डाक-घर खोलना	Opening of New Post Offices in Villages of Orissa	87
3128.	उड़ीसा द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना	Grant of Pension to Freedom Fighters from Orissa	87—88
3129.	उड़ीसा में भारी उद्योग स्थापित करना	Setting up of Heavy Industry in Orissa	88—89
3130.	आदिवासी क्षेत्रों में आवास समस्या	Housing Problem in Adivasi Areas	89
3131.	दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में कानून और व्यवस्था की समस्या	Law and Order Problem in Delhi University Campus	89—90
3132.	पोंग बांध में जल स्तर	Water Level in Pong Dam ..	90
3133.	थीन बांध परियोजना	Thein Dam Project ..	90—91
3134.	तलवाड़ा (पंजाब) स्थित पोंग बांध के निर्माण-श्रमिकों की छंटनी	Retrenchment of Construction Workers of Pong Dam of Talwara (Punjab)	91—92
3135.	केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to build Houses for S.C.s and S.T.s in Kerala ..	92

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3136.	रावी परियोजना	Ravi Project	92
3137.	दिल्ली में वातानुकूलकों के प्रयोग पर प्रतिबंध	Ban on Use of Airconditioners in Delhi	93
3138.	भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में मारे गए छापों की संख्या	Number of Raids in Saharanpur (U.P.) under DIR	93
3139.	मजूरी करार को क्रियान्वित करना	Implementation of Wage Agreement	93—94
3140.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज (घड़ी विभाग), बंगलौर के कार्यकरण की जांच	Inquiry into the working of HMT (Watch Section), Bangalore ..	94—95
3141.	निर्माण द्वारा वस्तु के मूल्य में मजूरी, वेतन तथा धन के रूप में जोड़ा गया अंश	Share of Wages, Salaries and Money Value Benefits in Value added by Manufacture ..	95
3142.	कोयला क्षेत्रों के लिए अलग रेलवे का प्रस्ताव	Proposed separate Railway for coal belt	95
3143.	ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग	Agro-based Industries in Rural Areas	95—96
3144.	हरिजनों के लिए नई आवास योजना	New Housing Scheme for Harijans	96
3145.	इन्टरनेशनल यूथ सेन्टर, नेशनल स्टूडेन्ट्स प्रेस काउंसिल आफ इंडिया और वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की गतिविधियां	Nature of Activities of International Youth Centre, National Students Press Council of India and World Assembly of Youth	96
3146.	अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों की मंजूरी	Grant of Scholarships to Scheduled Caste Students	97—98
3147.	कर्नाटक द्वारा काली नदी परियोजना के लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहायता का मांगा जाना	Technical and Financial Assistance sought by Karnataka for Kalinadi Project	98
3149.	अधिक शक्तिशाली ट्रांसफार्मरों और बिजली के सामान की सप्लाई के लिए विदेशों से क्रयादेश	Orders from Foreign Countries for Supply of High Power Transformers and Electrical Kits	98—99
3150.	टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के कार्यकरण की जांच	Inquiry into working of TELCo. Limited, Bombay	99
3151.	विभिन्न पन तथा तापीय बिजली उत्पादन एककों की क्षमता का उपयोग	Utilisation of Hydel and Thermal Power generating Capacity of Different Units	99—100
3152.	सरगूजा में निम्न तापमान का कार्बनीकरण संयंत्र	Low Temparature Carbonization Plant in Surguja	100

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3153.	राजस्थान में तहसीलों का विद्युतीकरण	Electrification of Tehsils in Rajasthan	100
3154.	नया टेलीफोन लगाने के लिए जमा योजना	Deposit Scheme for installation of a New Telephone	101
3155.	ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना को पूरा करने में विलम्ब	Delay in completion of Beas Sutlej Link Project	101
3156.	स्थानीय व्यक्ति (सन्स आफ दि सोयल) सम्बन्धी सिद्धांत के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त पैनल की रिपोर्ट	Report of High Powered Panel on 'Sons of the Soil' concept	101—102
3157.	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये के विरुद्ध भारत पुरस्कार विजेता श्री पी० जे० एन्थनी द्वारा विरोध प्रकट किया जाना	Protest by Shri P. J. Anthony, Bharat Award Winner against indifferent Attitude towards National Film Award Winners	103
3158.	सातूर स्माल मैच प्रोड्यूसर्ज सर्विस इंडस्ट्रीयल कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सातूर (तमिलनाडु) से प्राप्त ज्ञापन	Memorandum from Sattur Small Match producers Service Industrial Cooperative Society Limited, Sattur (Tamil Nadu) ..	103
3159.	तूतीकोरिन बंदरगाह परियोजना के निर्माण कर्मचारियों पर केन्द्रीय सुरक्षा बल द्वारा किए गए प्रहार के बारे में ज्ञापन	Memorandum regarding Attacks on Construction Workers of Tuticorin Harbour Project by CSF	104
3161.	राष्ट्रीयकरण से पहले और बाद में कोयले की बिक्री से आय	Sale Proceeds of Coal before and after Nationalisation	104
3162.	अखिल भारतीय तार इंजीनियरिंग कर्मचारी संघ, दरभंगा द्वारा की गई मांगें	Demands made by All India Telegraph Engineering Employees Union, Darbhanga	105
3163.	केरल में टायरों और ट्यूबों के उत्पादन के लिए लाइसेंस/आशय-पत्र दिया जाना	Issue of Licences/Letters of Intent for manufacture of Tyres and Tubes in Kerala	105
3164.	पश्चिमी बंगाल में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in West Bengal	105—106
3165.	बर्दवान के भूतपूर्व उप-पुलिस निरीक्षक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. Inquiry against ex-DIG of Burdwan	106
3166.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हैदराबाद में व्यापारिक तथा रिहाइशी स्थानों पर छापे	Raids by CBI on Business and Residential Premises in Hyderabad	106—107
3167.	हिन्दुस्तान में फोटो फिल्म मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी में चांदी की खपत की जांच	Inquiry into Silver Consumption in Hindustan Photo Film Manufacturing Co.	107

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3168.	मालदा जिले में सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना	Setting up of Super Thermal Power Plant in Malda District	*108*
3169.	राजस्थान में ग्राम विद्युतीकरण	Rural Electrification in Rajasthan	108—109
3170.	देश में 'माइक्रोवेव लिंक'	'Microwave Links' in the country ..	109
3171.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के निगमों में लगाई गई पूंजी	Capital Invested in Public Sector Corporation under Ministry of Industry and Civil Supplies	109—110
3172.	सामाजिक और धार्मिक संगठनों का तस्करों के साथ सम्पर्क	Link of Social and Religious Organisations with Smugglers ..	110
3173.	लायसेंस शुल्क	Licence Fee	111
3174.	पूर्वी क्षेत्र में परमाणु शक्ति संयंत्र	Atomic Power Plants in Eastern Region	111
3175.	"टाप इकोनामिस्टस असेल स्ट्रेटेजी आफ हैवी यूनिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News Report Entitled "Top Economists Assail Strategy of Heavy Units"	111—112
3176.	रविवार को डाक सुविधाएं	Postal Facilities on Sundays	112
3177.	विद्रोही नागा गुटों का बर्मा में भाग जाना	Slipping of Naga Rebel Groups into Burma	112
3178.	पंजाब के स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of Pension to Freedom Fighters from Punjab	113
3179.	आकाशवाणी भवन में स्वर्गीय बेगम अख्तर की प्रतिमा की स्थापना	Erection of a Statue of Late Begum Akhtar in AIR	113
3180.	विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा रिहा किए गए तस्करों की पुनः गिरफ्तारियां	Re-arrest of Smugglers released by various High Courts	114
3181.	शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग	Use of Nuclear Energy for peaceful Purposes	114
3182.	अमरावती, चन्दा, यवतमाल, वर्धा और भंडारा जिलों के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना	Grant of Pension to Freedom Fighters from Amravati, Chanda, Yeotmal, Wardha and Bhandara Districts	114—115
3183.	'पिन' कोड व्यवस्था	'Pin' Code System	115
3184.	'ट्यूब शार्टेज हिट्स टी० वी०' सम्बन्धी समाचार	News Report Captioned "Tube Shortage Hits T.V."	115—116
3185.	मुख्य मंत्री के निर्देश पर हरियाणा के कृषि मंत्री को बलात्कार के एक मामले में कथित रूप से अंतर्ग्रस्त करना	Alleged Involvement of Minister of Agriculture of Haryana in a Rape Case at the instance of the Chief Minister	116—117
3186.	बिजली की ट्रांसमीशन सम्बन्धी क्षति के बारे में आंकड़े का संकलन	Compilation of Data regarding Transmission Losses of Electricity	117—118

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3187.	विशेष रोजगार कार्यक्रम	Special Employment Programme ..	119
3188.	बम्बई टेलीविजन केन्द्र में चल रही ठेका प्रणाली (कंट्रेक्ट सिस्टम)	Contract System operating at Bombay T.V. Centre	120
3189.	पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों को केन्द्रीय अनुदान	Central Grants to Small Scale Industries in West Bengal ..	120
3190.	पोर्ट ब्लेयर में नेताजी की प्रतिमा की स्थापना	Setting up a Statute of Netaji at Port Blair	121
3191.	कलकत्ता में आजाद हिन्द फौज के शहीदों का स्मारक	I.N.A. Martyrs Memorial in Calcutta	121—122
3192.	लघु उद्योग क्षेत्र का विकास	Development of Small Scale Sector	122
3193.	ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to U.P. for Rural Electrification	122—123
3194.	मनीपुर में सीमेंट कारखाना	Cement Factory in Manipur	123
3195.	"कार मार्केट स्लम्प" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item captioned 'Car Market Slump'	123—124
3196.	नेपा अखबारी कागज का मूल्य	Price of Nepa Newsprint ..	124
3197.	त्रिपुरा के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी	Pension to Freedom Fighters from Tripura	124—125
3198.	दक्षिण अमरीका में सुरिनाम को टेलीफोन उपकरणों की सप्लाई	Supply of Telephone Equipment to Surinam in South America	125
3199.	चलचित्र वित्त निगम द्वारा चलचित्रों का आयात	Import of Films by Film Finance Corporation	125
3200.	पूर्व चम्पारन जिले में डाक सेवा	Postal Services in East Champaran District	125—126
3201.	राजधानी में टेलीफोनों का कार्यकरण	Functioning of Telephones in the Capital	126
3202.	भारत में टेलीविजन केन्द्र और उनके कार्यक्रमों का दृश्य क्षेत्र	Television Centres in India and their Radius of Operation ..	126—127
	आयात लाइसेंस कांड के बारे में श्री ललित नारायण मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला	Question of Privilege against Shri L. N. Mishra *re.* Import Licences Case	127—132
	सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table ..	132—133
	पटसन के मूल्यों के बारे में वक्तव्य	Statement *re.* Jute Prices	133—138
	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya ..	134—136, 138
	मारुति लिमिटेड के बारे में आश्वासनों की क्रियान्विति के बारे में दी गई कुछ जानकारी की शुद्धि करने सम्बन्धी वक्तव्य	Statement correcting certain information re. Implementation of Assurances about Maruti Limited	139

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	श्री बी० शंकरानन्द	Shri B. Shankaranand ..	139
	विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges ..	139—141
	विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ाया जाना	Extension of time for Presentation of Report of Committee of Privileges	139—140
	नियम 377 के अधीन मामला	Matter under rule 377	140—141
	अभ्रक और चमड़ा उद्योग के बारे में	*Re.* Mica and Shellac	140—141
	आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अधीन नजरबंदी आदेशों के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में जाने के नागरिक अधिकारों को निलंबित किए जाने सम्बन्धी राष्ट्रपति के आदेश के निरनुमोदन के बारे में प्रस्ताव और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण विधेयक	Statutory Resolution *re.* Disapproval of Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance and Motion *re.* Disapproval of Presidential Order suspending Citizens Rights to move a Court against Detention Orders under MISA and Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Bill ..	141—149
	विचार करने के प्रस्ताव	Motion to consider	
	श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	141—143
	श्री बिश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	143
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	144—145
	श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi ..	145—146
	श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim ..	146
	श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K. L. Bhagat ..	146—147
	श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra ..	147—149
	प्रो० नारायण चन्द पराशर	Prof. Narain Chand Parashar ..	149
	आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion ..	149
	रत्नगिरि परियोजना का महाराष्ट्र से गुजरात अंतरण	Shifting of Ratnagiri Project from Maharashtra to Gujarat ..	149—154
	प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	149—151 153
	श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav ..	152—154

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 4 दिसम्बर, 1974/13 अग्रहायण, 1896 (शक)

Wednesday, December 4, 1974/Agrahayana 13, 1896 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न

प्रो० मधु दण्डवते: आपकी अनुमति से मैं एक मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहता हूं... (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय: कृपया शान्त रहिए ।

श्री राम सहाय पाण्डे: यह प्रश्न काल है। इसमें अन्य कोई भी बात नहीं उठाई जानी चाहिए ...(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते: मैंने आपकी अनुमति मांगी है । उन्हें इस बात का पता ही नहीं है । मैंने आपको लिखा भी है । मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं...

श्री राम सहाय पाण्डे: प्रश्न काल के दौरान अन्य कोई मामला नहीं उठाया जा सकता। ...(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते: यह प्रश्नों के बारे में है । मैंने एक प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न उठाया है । मैंने 20 नवम्बर को एक प्रश्न का नोटिस दिया है कि प्रधान मन्त्री के सचिवालय से एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सभी तारांकित

और अतारांकित प्रश्नों के सभी उत्तर पहले प्रधान मन्त्री को भेजे जाने चाहिएं और उसके बाद ही... (व्यवधान) प्रधान मन्त्री ने आपको उत्तर भेजा है ।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया सभी बैठ जायें।

हर सुबह, सबसे पहला काम चिल्लाने का होता है। यह सब क्या है ? प्रधान मन्त्री ने मुझे एक पत्र लिखा था और महासचिव ने मुझे बताया है कि सदस्य महोदय को भी यह पत्र दिखाया गया था । लेकिन यह समय इसे उठाने का नहीं है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: प्रश्न काल के बाद ।

प्रो० मधु दण्डवते: मुझे भी उस पत्र की एक प्रति प्राप्त हुई है जो प्रधान मन्त्री ने आपको भेजा है । यद्यपि मैंने यह मामला सदन में उठाया था, परन्तु प्रधान मन्त्री ने इसका लिखकर उत्तर भेजा है । मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री के पत्र को सभा-पटल पर रखा जाये, जिससे यह सदन की सम्पत्ति बन सके और कार्यवाही-विवरण का एक हिस्सा बन सके। फिर मैं आवश्यक नियमों के आधार पर यह सिद्ध कर सकता हूं कि प्रधान मन्त्री का वक्तव्य गलत है ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न, श्री श्रीकिशन मोदी । (व्यवधान)

मैं श्रीकिशन मोदी के अलावा अन्य किसी भी सदस्य से बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं।

एक माननीय सदस्य: आपका क्या निर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय: निर्णय देने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते: श्रीमान् जी, आपका क्या निर्देश है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी भी सदस्य से बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं ।

यह पत्र है । जैसा कि महासचिव ने मुझे बताया है इसे माननीय सदस्य श्री मधु दण्डवते को भेजा गया था ।...

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: पत्र का ब्यौरा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे पढ़ सकता हूं ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: कृपया सदन को इसकी जानकारी दीजिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बिना शोर के कैसे रात गुजारते हैं ? हम सारे दिन यहां बैठते हैं । मैं देर को रात घर जाता हूं, खाना खाता हूं और सो जाता हूं । अगली सुबह यह सिलसिला फिर शुरू हो जाता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: कितने भाग्यशाली है आप !

अध्यक्ष महोदय: मेरी जन्म पत्री आप ले लें ।

श्री राम सहाय पाण्डे : श्रीमान् जी, यह प्रश्न काल है। सदन के समय प्रश्नों की कार्यवाही है । प्रश्न काल के बाद आपकी अनुमति से श्री दण्डवते इसे उठा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री स्वयं आ गई हैं ।

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : श्रीमान् जी, मुझे उस दिन यह जानकारी दी गई थी कि मेरे सचिवालय द्वारा जारी किए गये कथित परिपत्र का श्री मधु दण्डवते ने उल्लेख किया था । जैसे ही मुझे इस का पता चला, मैंने आपको पत्र लिखा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है । मेरे कार्यकाल में प्रधान मन्त्री सचिवालय से कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है. . . (व्यवधान) न ही मौखिक रूप से न लिखित रूप से। लेकिन पहले ––मुझे निश्चित तारीख का पता नहीं है––1964 में और सम्भवत: एक बार पहले भी यह सुझाव दिया गया था कि पाकिस्तान और कश्मीर से सम्बन्धित प्रश्न प्रधान मन्त्री को दिखाये जायें । लेकिन यह मेरे कार्यकाल से पहले जारी किया गया था ।

एक माननीय सदस्य : और चीन ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मुझे इसका पता नहीं है । मैंने पुराने कागज नहीं देखे हैं। मेरे कार्यकाल में कोई ऐसा परिपत्र जारी नहीं किया गया है । मैं सामान्यत: प्रश्नों को तब तक नहीं देखती जब तक कोई मन्त्री मेरी सलाह न मांगे या यह महसूस न करे कि मुझे इसकी जानकारी होनी चाहिए ।

विदेशी मुद्रा लेकर कारों और स्कूटरों का आवंटन किया जाना

†

*306. **श्री श्रीकिशन मोदी**
श्री पी० जी० मावलंकर } : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा लेकर और बिना बारी के कारों और स्कूटरों का आवंटन करने की योजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की रूपरेखा क्या है ;

(ग) किन वर्गों के लोग इन सुविधाओं के अधिकारी हैं; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कितनी कारें और स्कूटर बेचे गये हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां । देश में विदेशी मुद्रा भेजने पर कारों और स्कूटरों का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करने की एक योजना है ।

(ख) तथा (ग) : निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति देश में विदेशी मुद्रा भेजने पर कारों और स्कूटरों का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन प्राप्त करने के पात्र हैं :—

(1) विदेशी, जो कम से कम दो वर्ष तक लगातार भारत में रहने के लिए आये हैं।

2—816 LSS/74

(2) भारतीय राष्ट्रिक, जो विदेशों से भारत वापिस आये हैं ।

(3) विदेशों में रह रहे भारतीयों के संबंधी, जब उन्होंने स्कूटर या कार खरीदने हेतु विदेशों में रह रहे संबंधियों से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर ली हो ।

इस प्रयोजन हेतु अपेक्षित समतुल्य विदेशी मुद्रा कार के लिए 30,000 रुपये और स्कूटर के लिए 5,000 रुपये हैं ।

आवेदकों को अपेक्षित विदेशी मुद्रा अपरिवर्तनीय खाते जो भारत में किसी भी अनुसूचित बैंक में खोला जायेगा, के लिए भेजनी पड़ती है और विदेशी मुद्रा जमा करने की तिथि से तीन महीनों की अवधि के अन्दर बैंक के जरिए सरकार को अपने आवेदन-पत्र देने होते हैं । रिलीज आर्डर आवेदनों को सीधे ही भेजे जाते हैं ।

आवेदक विदेश से कोई कार या स्कूटर न लाया हो । आवेदक ने भारत में कोई कार या स्कूटर बुक न किया हो या सरकार के पास कार या स्कूटर की सप्लाई के लिए कोई भी मांग बुक न की हो । न तो उसने गत चार वर्षों के दौरान भारत में किसी भी स्त्रोत से नई कार या स्कूटर की डिलीवरी ली हो । आवेदक वचन देगा कि वह इस प्रकार आवंटित कार या स्कूटर की दो वर्ष की समाप्ति से पहले नहीं बेचेगा । कोई व्यक्ति या तो कार या स्कूटर के लिए आवेदन दे सकता है ।

(घ) जनवरी से नवम्बर, 1974 तक देश में विदेशी मुद्रा भेजने पर निम्नलिखित संख्या में गाड़ियां आवंटित की गई हैं :—

कारें	संख्या	स्कूटर	संख्या
प्रीमियर			
प्रेसिडेंट	578	बजाज	8428
अम्बेसेडर	31	लम्ब्रेटा	66
	609		8494

उपर्युक्त आधार पर इस अवधि में 5.69 करोड़ रुपये की कुल विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी ।

Shri Shrikishan Modi : Mr. Speaker, Sir, I would like to congratulate the Ministry for the scheme, but from the statement it is clear that 8428 Bajaj Scooters have been allotted, whose black market margin is Rs. 4000/- or Rs. 5000,/- these days. What steps have been taken to check such malpractices?

श्री ए० सी० जार्ज : श्रीमान् जी सभापटल पर रखे गये विवरण पत्र में यह स्पस्ट रूप से कहा गया है कि विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त धन के बदले में आवंटन की एक शर्त यह है कि आवेदन कर्ता को यह वचन देना पड़ता है कि उसे इस प्रकार आवंटित कार या स्कूटर को दो साल से पहले वह नहीं बेचेगा । इसलिए, अगर वह इसका उलंघन करता है, तो दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी ।

Shri Shrikishan Modi : I would also like to know whether the foreign exchange remittances by relatives have gone down and whether the value of foreign exchange earnings to the extent of Rs. 5·69 crores has gone down, if so, whether steps have been taekn to check the fall in value whether top priority would be given to such applicants in stead of 6 months?

श्री ए० सी० जार्ज : अब तक अर्थात् नवम्बर के अन्त तक इससे 5.69 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई है। वस्तुतः, अभी हाल में अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से योजना को कुछ उदार बनाने के बाद, आवेदन पत्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ, जैसा कि बताया जा चुका है, स्कूटरों के उत्पादन में भी बाधायें आई हैं। अब, कार के बारे में स्थिति कुछ सुविधाजनक है, परन्तु स्कूटरों के बारे में समस्या यह भी है कि तुलनात्मक दृष्टि से कारों और अधिक ईंधन की ऊंची कीमत को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए और स्कूटरों के बारे में ऐसी सुविधाजनक स्थिति को देखते हुए, स्कूटरों की उपलब्धता कम है। रक्षा मंत्रालय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए लगभग 52% आरक्षण है। इसलिए, आरक्षित कोटे के अलावा जो 45 प्रतिशत कोटा बच रहता है उसी में से आवंटन किया जा सकता है। इसके साथ ही, हम स्कूटरों का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। "दि स्कूटर्स इण्डिया" ने स्कूटरों का उत्पादन करना शुरू कर दिया है और आशा है कि अगले साल पूरा उत्पादन होने लगेगा। हमारा लक्ष्य वर्ष 1980 के अन्त तक स्कूटरों का उत्पादन बढ़ाकर 4 लाख करने का है।

Shri Shrikishan Modi : Mr Speaker, Sir, My question has not been replied to. I had asked whether the amount of foreign exchange remittances by the relatives has gone down?

Mr. Speaker : What does giong down mean?

Shri Shrikishan Modi : May I know whether the amount of foreign exchange remitted by the relatives has been going down?

Mr. Speaker : Depreciation in foreign exchange means fluctuation. You should ask whether the remittances has gone down?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं विदेशी मुद्रा भेजे जाने में कमीं होने के बारे में नहीं बता सकूंगा क्योंकि यह इससे मेरा संबंध नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर : पूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं; विवरणपत्र में मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि प्रार्थी को भारत के किसी भी अनुसूचित बैंक में अपरिवर्तनीय लेखे में विदेशी मुद्रा की राशि जमा करानी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अपरिवर्तनीय खाते की शर्त शुरू में ही थी या बाद में लागू की गई?

श्री ए० सी० जार्ज : यह शर्त शुरू में नहीं थी। यह बाद में लागू की गई थी।

श्री पी० जी० मावलंकर : प्रारम्भ में ही अपरिवर्तनीय खाते का प्रतिबन्ध न होने की वजह से कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा की क्षति हुई?

इसके बाद मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि चोर बाजार में कारों और स्कूटरों की कीमत सरकारी कीमत से कहीं ज्यादा है और यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि इसकी वजह से विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है। क्या सरकार स्कूटरों और कारों की वर्तमान कीमतों के बराबर विदेशी मुद्रा भेजने के बारे में सीमा को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी?

अन्तिम बात में यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन आवेदकों के प्रश्न पर भी विचार करेगी, जिनके लिए विदेशी मुद्रा भेजने के लिए विदेशों में कोई रिश्तेदार नहीं हैं, परन्तु वे 5 या 10 या

15 वर्षों से स्कूटर पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? इन लोगों को किस प्रकार स्कूटर मिलेगा, क्योंकि अन्य लोगों को इनकी अपेक्षा उच्च प्राथमिकता की जा रही है ?

श्री ए० सी० जार्ज : विदेशी मुद्रा का अपरिवर्तनीय खाता खोलने की शर्त दुरूपयोग की किसी भी सम्भावना को रोकने के लिए लागू की गई थी।

स्कूटर की कीमतों से अधिक विदेशी मुद्रा निर्धारित करना सरकार के लिए कठिन होगा। हम अनुचित लाभ को ध्यान में नहीं ले सकते और इस प्रकार अधिक विदेशी मुद्रा की मांग नहीं कर सकते। विदेशी मुद्रा देश में भेजे जाने से ही देश को लाभ है।

वर्तमान कमी के बारे में, जैसा कि मैं एक अन्य सदस्य के प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं, हम यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं कि स्कूटरों के उत्पादन में काफी वृद्धि हो। दूसरे, स्कूटर मध्यम वर्ग के व्यक्तियों का वाहन माना जाता है।

श्री पी० सी० मावलंकर : मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि चोर बाजार की कीमतों पर हम विचार नहीं कर सकते, परन्तु सरकार को पिछले अनेक सालों से इस बात की जानकारी है कि सरकारी कीमत और चोर बाजार की कीमत में भारी अन्तर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा की राशि में क्यों वृद्धि नहीं की जा सकती ?

श्री विश्वनारायण शास्त्री : विवरण-पत्र में यह कहा गया है कि भारतीयों के विदेशों में रहने वाले रिश्तेदारों से जब उन्हें विदेशी मुद्रा मिलती है, तो वे भारतीय कार या स्कूटर खरीद सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि रिश्तेदारी का सम्बन्ध निर्धारित करने की क्या कसौटी है ?

श्री ए० सी० जार्ज : रिश्तेदारी के बारे में कोई खास नियम नहीं है, परन्तु उसे रिश्तेदार होना चाहिए। योजना का प्रयोजन अधिक से अधिक उस विदेशी मुद्रा अर्जित करना है जो विदेश स्थित भारतीयों के पास है। हमने यह नहीं कहा है कि वह नजदीकी रिश्तेदार होना चाहिए, हमने तो सिर्फ यह कहा है कि वह रिश्तेदार होना चाहिए।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि विदेश स्थित भारतीयों से अधिकाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करना इस योजना का प्रयोजन है। आप इसे रिश्तेदारों तक ही सीमित क्यों करते हैं? इसमें मित्रों को भी क्यों नहीं शामिल करते ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है।

Smt. Sahodara Bai Rai : I would like to know from the Honourable Minister whether in view of the fact that a large number of girls are now working in offices and they have to come on foot to the office, they would also be allotted scooters, if they apply for scooters?

श्री ए० सी० जार्ज : आवंटन के मामले में हम स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव नहीं करते।

श्रीमती एम० गाडफ्रे : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या जो लोग विदेश गये हैं और जिन्होंने देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित की है, क्या वे भी इस सुविधा के हकदार हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।

1972-74 के दौरान स्टेट्समन, टाईम्स आफ इण्डिया और इण्डियन एक्सप्रैस को अखबारी कागज का आवंटन

***309. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972, 1973 और 1974 के दौरान (एक) 'स्टेट्समैन' (दो) 'टाइम्स आफ इंडिया' और (तीन) 'इंडियन एक्सप्रैस' नामक समाचार पत्रों को अखबारी कागज की कितनी वास्तविक आवश्यकता थी;

(ख) इस अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा इन समाचार पत्रों को कुल कितना अखबारी कागज दिया गया; और

(ग) क्या इन समाचार-पत्रों द्वारा अखबारी कागज के उचित उपयोग किए जाने के बारे में कोई जांच की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ग) जैसा कि अखबारी कागज आवंटन संबंधी नीति में व्यवस्था है, समाचार पत्रों को अखबारी कागज का कोटा प्रकाशक के चार्टर्ड लेखाकार द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट पत्र की वास्तविक खपत की जांच करने और किसी कम खपत के मामले में हकदारी में से कम खपत काटने के बाद जारी किया जाता है । 'स्टेट्समैन' लिमिटेड द्वारा अखबारी कागज का उपयोग किए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं जिनकी जांच की जा रही है ।

विवरण

(टनों में)

क्रम सं०	समाचारपत्र का नाम	(आवश्यकता) अखबारी कागज आवंटन संबंधी नीति के अनुसार निकाली गई पत्र की हकदारी		कुल आवंटित मात्रा	
		1972-73	1973-74	1972-73	1973-74
1.	स्टेट्समैन	7383.77	5974.54	6440.93	2383.85
2.	टाइम्स आफ इण्डिया	23547.89	22353.01	18521.00	9473.39
3.	इण्डियन एक्सप्रैस	27661.88	26411.40	25169.27	14467.13

हकदारी और वास्तविक आवंटन में अन्तर पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के आगे ले जाए गए अखबारी कागज के समंजन के कारण है । वर्ष 1973-74 के लिए अखबारी कागज का आवंटन अखबारी कागज आवंटन सम्बन्धी नीति के अनुसार हकदारी में 30 प्रतिशत की कटौती करने के बाद किया गया था ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : अखबारी कागज के कोटे में कटौती करने से पहले और उसके बाद, क्या यह सच नहीं है कि अखबारों के प्रकाशन के लिए अखबारी कागज का कोटा आम जनता के अभिमत को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है ? कुछ समाचार-पत्र समूह पर्याप्त मात्रा में आम जनता के महत्व के समाचारों को प्रकाशित करने के बजाय सरकारी या व्यापार-गृहों के विज्ञापनों को प्रकाशिता करने के लिए अखबारी कागज के कोटे का उपयोग कर रहे हैं ?

दूसरे, क्या यह सच नहीं है कि कोटे में कटौती कर दिये जाने के पश्चात् कुछ समाचार-पत्रों में, विशेष रूप से स्टेट्समैन में ताला बन्दी हो गई और समाचार-पत्र को प्रकाशित किये बिना ही उन्होंने कोटा खत्म कर दिया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं प्रश्न के पीछे निहित भावना की सराहना करता हूं, क्योंकि समाचार-पत्रों को मुख्यतः समाचार-पत्र ही रहना चाहिए। प्रेस आयोग भी इस मुद्दे पर जोर देता रहा है कि समाचारपत्र में 60 प्रतिशत स्थान पर समाचार और 40 प्रतिशत स्थान पर विज्ञापन होने चाहिएं। अफसोस की बात है कि कुछ समाचार-पत्रों में हम इस प्रवृत्ति को देख रहे हैं कि उनमें 60 या 70 प्रतिशत स्थान में विज्ञापन होते हैं और शेष स्थान में समाचार। अफसोस की बात है कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि विज्ञापन अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का ही एक अंश है। इसलिए, हम हस्तक्षेप करने में असमर्थ हैं। परन्तु मुझे आशा है कि लोगों में सद्बुद्धि आयेगी और जनता के लिए अधिक मात्रा में समाचार प्रकाशित होंगे।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या यह सच नहीं है कि बुलेटिनों का पंजीकरण नहीं किया जाता और उन्हें अखबारी कागज भी नहीं मिलता। उन्हें चोर-बाजार से अखबारी कागज खरीदना पड़ता है और यह अखबारी कागज उन्हें बड़े अखबारों से खरीदना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्रालय को किस प्रकार की शिकायतें मिली हैं और स्टेट्समैन के मामले में क्या जांच की गई है ?

श्री धर्मबीर सिन्हा : स्टेट्समैन का दिल्ली संस्करण 7 मई से 10 अगस्त तक अर्थात तीन महीने से अधिक तक बंद रहा। अखबारी कागज सम्बन्धी नीति के अनुसार जिस समाचार-पत्र का प्रकाशन तीन महीने के लिए बंद रहता है, उसके अखबारी कागज के कोटे में यथा-नुपात 25% कटौती कर दी जाती है और यह नीति स्टेट्समैन पर भी लागू होती है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न है, कुछ शिकायतें मिली हैं जिन पर रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर्स आफ इण्डिया के कार्यालय द्वारा जांच की जा रही है। कर्मचारी यूनियन तथा आल इण्डिया न्यूजपेपर इम्पलाइज़ यूनियन ने स्टेट्समैन के बारे में शिकायत की है कि स्टेट्समैन की काफी संख्या में प्रतियां रद्दी के व्यापारियों को भेजी जा रही हैं। यह भी कहा गया है कि जिस दिन स्टेट्समैन में अधिक पृष्ट छपते हैं, उस दिन इसका मुद्रण आदेश 30,000 से 70,000 प्रतियों का होता है। इसकी जांच कार्यालय द्वारा की जा रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कब से ?

श्री धर्मबीर सिन्हा : हमें प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, लेकिन इसमें चैकिंग की आवश्यकता है और चैकिंग की जा रही है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. speaker, Sir, the hon. Minister has just stated that newspapers showed generally carry 60 percent news and 40 percent advertisements. May I know whether he is aware that there are certain papers which carry 90 percent news and only 10 percent advertisements ? Will the Government provide them with more advertisements so that they may continue to exist ?

श्री आई० के० गुजराल : जब भी हम 40 प्रतिशत कहते हैं हमारा अभिप्राय अधिकतम से होता है। मैं जानता हूं कि भारत में ऐसे अच्छे समाचार-पत्र हैं जिनको 40 प्रतिशत विज्ञापन नहीं मिलते। इसका कारण सरकारी नहीं है। मुख्य बात यह है कि देश में सम्पूर्ण विज्ञापन नियन्त्रण कुछ इस प्रकार का है कि अधिकांश विज्ञापन तथाकथित बड़े समाचार-पत्रों में छपते हैं।

श्री प्राबोध चंन्द्र : मंत्री महोदय ने बताया है कि अखबारी कागज़ का आबंटन चार्टर्ड अकाउंटेन्ट के प्रतिवेदन के आधार पर किया जाता है। क्या सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि समाचार-पत्रों के स्वामियों से सम्बद्ध कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्हें बढ़ा चढ़ा कर संख्या बताते हैं ताकि उन्हें अधिक कोटा मिल सके। उदाहरण के लिए कलकत्ता में एक बड़ा नेता अधिक कोटा लेने के लिए प्रकाशित समाचार-पत्रों की संख्या बढ़ा-चढ़ा कर बताता है और कागज़ को चोर बाजार में बेच देता है।

श्री आई० के० गुजराल : माननीय सदस्य जिस विशेष मामले की ओर ध्यान दिला रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि सरकार पहले ही कार्यवाही कर चुकी है। मैं इस व्यापार की प्रतिष्ठा भंग करने का प्रयन्न नही कर रहा हूं। लेकिन हर एक व्यवसाय में कोई न कोई दुष्ट होता है। जब भी हमारी जानकारी में कोई बात आती है; हम कार्यवाही करते हैं।

श्री अन्नासाहिब गोटखिन्डे : 2000 से कम परिचालन वाले कितने मामले, प्रकाशन-वार, पंजीकरण के लिए विचारधीन पड़े हैं ?

श्री आई० के० गुजराल : इसके लिए पूर्व सूचना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बड़े बड़े समाचार पत्र सम्पूर्क आदि प्रकाशित कर अधिक कागज क्यों खपा रहें है ? क्या सरकार ने दुर्लभ अखबारी कागज़ की खपत के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है। यदि नही तो इसके क्या कारण है यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला है ? (क)—क्या यह सच है कि अखबारी कागज की वर्तमान नीति के अनुसार छोटे समाचार-पत्रों छोटे उद्यमकर्ताओं को अखबारी कागज़ का आवंटन प्राप्त करने की बिलकुल मनाही है ?

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक अखबारी कागज़ के आबंटन का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 15,000 से अधिक परिचालन वाले सभी समाचार-पत्रों के कोटे में कटौती नहीं की जाती। लेकिन, यह शिकायत मिलने पर कि लोग बोगस नाम पर अखबारी कागज़ का कोटा लेकर कागज़ को चोर बाज़ार में बेच देते हैं, सदन में कुछ समय पर चर्चा की गई थी। अतः परिणामस्वरूप हमने नीति में संशोधन कर दिया। नीति में संशोधन करते समय यह निर्णय किया गया कि जो समाचार-पत्र 6 मास के अन्तर्गत अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं कर पाता, वह अखबारी कागज़ का हकदार नहीं है।

लेकिन, कुछ मामले हमारे ध्यान में लाए गए हैं। हम फिर से नीति के पहलू पर विचार कर रहे हैं और नई नीति की घोषणा करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । अखबारी कागज़ की अधिक खपत करने वाले व्यापारिक तथा वाणिज्यिक सम्पूर्कांक के बारे में उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

यदि कोई ईमानदार उद्यमकर्त्ता समाचार-पत्र प्रकाशित करके अपने विचार व्यक्त करता है तो सरकार कुछ चोर बाजारी करने वालों की चूक के कारण उनका भी गला घोंट रही है। मंत्री महोदय ने प्रश्न के इस भाग का उत्तर नहीं दिया है।

श्री आई० के० गुजराल : मैं मानन[illegible] सदस्य का सम्मान करता हूं। मैं उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति समझता हूं। मैंने कुछ देर पहले बतल[illegible] कि हमारे मार्ग में एक कठिनाई भी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि विज्ञापन इस[illegible] भाग है। जब भी बड़े व्यापारिक गृह सम्पूर्कांक निकालते हैं, तो हमें पता होते हुए भी हम कुछ नह[illegible] कर सकते। हालांकि मुझे इसकी जानकारी है, फिर भी मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता ।

श्री बी० के० दासचौधरी : अखबारी कागज़ चाहे स्वदेशी हो, अथवा आयातित किस्म का हो, उसका नियन्त्रण किसी न किसी रूप में सरकार द्वारा किया जाता है । ऐसा किस प्रकार होता है कि अखबारी कागज़ का कम आवंटन होने के बावजूद भी समाचार-पत्र वाले 6–8 पृष्ठ का समाचार-पत्र निकालते हैं और कुछ मामलों में तो सम्पूर्कांक भी निकाला जाता है। अगर अखबारी कागज़ उपलब्ध नहीं है, तो यह काले बाजार में किस प्रकार पहुंचता है।

श्री आई० के० गुजराल : माननीय सदस्य को पता होगा कि अखबारी कागज़ का नियन्त्रण सरकार द्वारा किया जाता है, सफेद कागज़ का नहीं। यह उसका भाग है। इस लिए, कई अखबार बाजार से खरीदा हुआ सफेद कागज़ प्रयोग कर रहे थे। यह सच है कि कुछ मामलों में चोर-बाजारी पाई गई है। स्वभावतः हम सतर्क रहते हैं। जब भी ऐसे मामले हमारे ध्यान में लाए जाते हैं, हम गम्भीर कार्यवाही करते हैं। हम उन लोगों के विरुद्ध भी कार्यवाही कर रहे हैं, जो अब भी ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं ।

राजस्थान नहर का पूरा किया जाना

*313. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **योजना** मंत्री राजस्थान द्वारा राजस्थान नहर के लिए सहायता की मांग के बारे में 28 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3766 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि केन्द्रीय सरकार ने मंजूर कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए वास्तव में कितनी धन राशि मंजूर की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह विषय अभी वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है ।

श्री भोगेन्द्र झा : अखबार में राजस्थान के मुख्यमंत्री का एक वक्तव्य छपा है जिसमें कहा गया है कि राजस्थान नहर परियोजना के लिए चालू वर्ष तथा अगले वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार से मांगी गई राशि अभी तक केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत नहीं की है। राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि मांगी गई और इस वर्ष के लिए कितनी राशि दी जा रही है तथा अगले वर्ष परियोजना के समापन के लिए कितनी राशि देने का प्रस्ताव है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार ने 11 करोड़ रुपये मांगे थे । योजना आयोग में की गई चर्चा के उपरान्त राशि घटाकर 7 करोड़ कर दी गई । इस समय, आवंटन के बारे में वित्त मंत्रालय और राज्य सरकार के बारे में बातचीत चल रही है। शीघ्र ही अन्तिम निर्णय होने की आशा है।

श्री भोगेन्द्र झा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परियोजना से न केवल राजस्थान बल्कि कृषि उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से सारे देश को लाभ होगा, क्या केन्द्रीय सरकार का इस परियोजना को अपने हाथ में लेने अथवा धन के अभाव में परियोजना के समापन में विलम्ब होने को रोकने के लिए उच्चतम प्राथमिकता देने का विचार है ? यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं जबकि कृषि उत्पादन के अभाव में हम कष्ट भोग रहे हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : राजस्थान नहर परियोजना को हमेशा से उच्च प्राथमिकता दी गई है और अब भी दी जा रही है। अतः हम उपलब्ध संसाधनों के होते हुए यथासंभव अधिक आवंटन करना चाहते हैं ताकि परियोजना शीघ्र पूरी हो सके। माननीय सदस्य को सरकार द्वारा दी जा रही महत्ता पर संदेह नहीं करना चाहिए । मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इसकी प्रगति बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करेंगे । इस परियोजना को अपने हाथ में लेने की हमारी कोई मंशा नहीं है।

श्री डी० पी० जडेजा : क्या राजस्थान नहर सिर्फ राजस्थान को शामिल करेगी अथवा गुजरात के हिस्सों को भी शामिल करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वर्तमान जानकारी के अनुसार सिर्फ राजस्थान को शामिल किया जाएगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि गुजरात के हिस्सों को भी शामिल किया जाएगा अथवा नहीं ।

Shri Ram Kanwar : The work on Rajasthan Canal Project is going on since long time. Inspite of repeated proposals sent by the State Government. Centre has not engaged its attention I would like to know the total expenditure to be incurred on the completion of the Canal. The hon. Minister has just now stated that Centre has decided to grant Rs. 7 crores as against the demand of Rs. 11 crores. May I know whether there is any proposal to grant more than seven crores and whether the amount has been given to Rajasthan Government?

Shri Vidhya Charan Shukla : The hon. Member must be knowing that a lot of expenditure has been incurred on Rajasthan Canal during Fourth Five Year Plan. Eleven crores of rupees have been sought for first year of Five Year Plan. Amount has been reduced to 7 crores after negotiations and we are making efforts to make the amount available to state Government. There is no question of ignoring the plan. As I have already stated, we have given top priority to the project and we will see that work is finished quickly.

डा० हरि प्रसाद शर्मा : राजस्थान नहर के पूरा होने की मूल तिथि क्या थी और लागत मूल्य में वृद्धि होने के कारण इस पर कितनी लागत आ चुकी है तथा परियोजना के समापन में केन्द्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार उपेक्षा की गई है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : परियोजना के समापन के मामले में सरकार द्वारा उपेक्षा नहीं की गई है। साथ ही मूल्यों में वृद्धि के कारण नहर की लागत में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है । वर्ष 1969 के मूल्यों के आधार पर योजना आयोग ने परियोजना के प्रथम चरण के लिए 110 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया था । पांचवीं योजना बनाते समय प्रथम चरण की संशोधित लागत 131 करोड़ रुपये थी और राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुमान के अनुसार प्रथम चरण पर 145 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में द्वितीय चरण पर भी काम शुरू हो जाएगा और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित अनुमानित लागत 89.12 करोड़ रुपये है और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार इस पर 135 करोड़ रुपये लागत आएगी । राज्य से संशोधित अनुमान प्राप्त होने हैं ।

Number of Post Offices in the Country

†315. **Shri B. S. Chaowan**
Shri Narender Singh } : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(*a*) the total number of Post Offices in the country;

(*b*) the average number of Post Offices per 100 kilometres in various regions;

(*c*) the average number of Post Offices in Madhya Pradesh per 100 kilometres;

(*d*) whether Madhya Pradesh is for lagging behind other States in this respect; and

(*e*) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Communications (Shri Jagannath Pahadia) : (a) 1,16,740 as on 31-3-74.

(*b*) The information for each State/Union Territory is furnished in the statement laid on the table of Lok Sabha.

(*c*) average per 100 sq. kms. works out to 1·40.

(*d*) Yes, Sir.

(*e*) The opening of post offices is decided on certain conditions relating to population, anticipated income/cost of the P.O., annual loss to be borne by the Government, distance from nearest P.O. etc. A District-wise survey of postal facilities in this State has been ordered to be carried out for further action.

STATEMENT

Average number of P.Os per 100 Sq. Kms. in different States/Union Territories—as on 31-3-74.

Sl. No.	State/Union Territories	No. of P.Os per 100 sq. kms.
	Staes	
1.	Andhra Pradesh	5
2.	Assam	3
3.	Bihar	5
4.	Gujarat	4
5.	Haryana	5
6.	Himachal Pradesh	3
7.	Jammu & Kashmir	1
8.	Karnataka	4
9.	Kerala	10
10.	Madhya Pradesh	1·4
11.	Maharashtra	3
12.	Manipur	1·5
13.	Meghalaya	1
14.	Nagaland	1
15.	Orissa	4
16.	Punjab	6
17.	Rajasthan	2
18.	Tamilnadu	8
19.	Tripura	3
20.	Uttar Pradesh	5
21.	West Bengal	7
	Union Territories	
1.	Arunachal	1 for 800 sq. kms.
2.	Delhi	25
3.	Goa-Daman-Diu	4
4.	Mizoram	0·6
5.	Pondicherry	18
	Centrally Administered Areas	
1.	Andaman Nicobar Islands	0·6
2.	Chandigarh	33
3.	Dadra-Nagar-Haveli	2
4.	Laccadive Minicoy Amindiv Islands	Scattered Islands

All India—3·6

Shri B. S. Chowhan : The Statement placed on the Table is quite hopless. At present there are no proper arrangements for the delivery of mail and the number of post-offices in the country is inadequate. May I know the steps being taken by the Government to remove the backwardness in the sphere of mail service from the Country? I would like to invite your attention to the fact that in a place like Pondichery there are 18 post offices for an area of 800 kilometres while in the big states, the number of post offices is much less. I would like to know the efforts to be made in this direction to increase the number of post offices and to remove the backwarndess in this field.

Shri Jagannath Pahadia : Sir, I have stated that we have inved a direction to conduct districtwise survey. As soon as the survey report is received, we will try to provide more and more facilities to Madhya Pradesh, if possible on the basis of population, income, area, etc. of the state. Since there are some tribal areas and hilly tracks in the state of Madhya Pradesh we are collecting details in this regard seperately. For such areas we are trying to provide special facilities because the Government have decided to open new post offices in tribal areas, backward areas and hilly tracks by way of providing some concession. I would like to assued the hon. member that as soon as we receive the survey report we will start the work on the basis of the report so that the state of Madhya Pradesh can be brought at par with other states soon.

Shri B. S. Chowhan: Under the present arrangement it takes 15 to 20 days for the mail to reach the villages. In this modern age it is a ridiculous situation. In view of this fact that Madhya Pradesh is a State full of tribal areas and that the people have to face many difficulties, then I would like to know whether the Post and Telegraph Departments demand. Certain amount for opening the new post offices in an area. Is it also a fact that tribal areas are unable to deposit the required amount? In these circumstances will the Government take the responsibility of setting up the new post offices in these areas?

Shri Jagannath Pahadia : It is not a fact that mail is not delivered there for 15 days. There is not a single village in the country now where mail does not reach within the period of one week. There are a few villages which require such arrangements. The hon. Members may bring such villages in our notice.

So far as the State of Madhya Pradesh is concerned, I am prepared to give detailed information to the hon. Member in this regard. In 20 per cent villages mail is delivered daily, in 34 percent villages it is delivered thrice a week, in 24 per cent village it is delivered twice a week and in 32 per cent villages it is delivered once in a week. Thus we are not aware of a single such village there. If the hon. Member brings any such village in our notice. we will certainly make necessary arrangements.

Secondly, the hon. Member wanted to know whether the tribal areas are also required to deposit certain amount for the opening of new post offices. Actually, the money is required to be deposited to avoid any abnormal loss. We made provisions to bear the loss upto Rs. 500 per year . But afterwords we have decided to bear if necessary the loss upto Rs. 750 if the area is densly populated. But as I have already told the hon. Member, if there is any such place in his knowledge, he should bring it to our notice and we will provide special facilities in that place. We have also decided that amount for special concession should be fixed to the tune of Rs. 1,000 for the special areas. Apart from this if there is any post office at any place requiring concession of more than Rs. 1,000, he should write to us and we will give special consideration on it .

Shri Shrikishan Modi : The hon. Minister has stated that tribal areas and backward areas are progressing considerably and the Government are giving adequate attention towards these areas. I would like to know the kilometre average in tribal areas and backward areas of Madhya Pradesh.

Shri Jagannath Pahadia : I have mentioned in the Statement that in Madhya Pradesh it is 1·4 in every 100 square kilometre.

Shri Shrikishan Modi : Sir, he has given a reply to my question. I wanted to know the average in kilometres only in backward and tribal area.

Shri Jagannath Pahadia : No seperate survey has been conducted in this connection. I have already stated that we are conducting it.

Shri Anadi Charan Das : May I know whether the Government have issued any instructions imposing restrictions on the opening of new post offices, and if no, the reasons for delay in opening many post offices which are under the consideration of the Government ?

Shri Jagannath Pahadia : It is not a question pertaining to only Madhya Pradesh and Orissa. General restrictions are imposed on opening the new post offices throughout the country. Even these if any application on special grounds is received by us, then we examine it and open the new post office.

श्री था किरुतिनन : मंत्री महोदय के उत्तर से ज्ञात हुआ है कि नय डाकखाने खोलने पर प्रतिबंद लगा है। फिर भी महा डाकपाल तथा डिवीजनल सुपरिन्टेडेंट ने कई क्षेत्रों में विशेषकर तमिल नाडु में नए डाकघरों की मंजूरी दी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है और यदि हां, तो कितने डाकघरों की मंजूरी दी गई है और इस प्रतिबन्द के कारण कितने मामलों में सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर इसमें दिया गया है। मैंने कहा है कि इस सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था भी है। यदि डाकघर लाभप्रद हैं तो महा डाकपाल को डाकघरों की मंजूरी देने का अधिकार है। इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Is the Hon. Minister aware of the fact that the post offices opened in the rural areas more than ten years ago are being closed down by the Government by showing losses in them? May I know whether the Government do not believe in the idea that importance should be given not to the profitability of the post offices but to the facilities of the people and that the post offices which have existed for five years should be made permanent?

Shri Jagannath Pahadia : Government have not made any attempt to show any loss by their own. We make efforts to open the new post offices even if certain losses are expected to be incurred . But at certain places the amount of loss is such as can not be borne by the Government. I think the hon. Member is referring to the such places. In the year of silver jublee of our independence we have continued so many post offices which have been running in loss for more than ten years. I hope the hon. Member will make efforts to see that we are not put to loss.

Shri Chandra Shailani : It has been observed that normally in most of the villages when new post officcs are opened, the job of running these post offices is entrusted to the small doctors, or shopkeepers or *Vaidyas*. These people keep the post cards and stamps at their shops and sell them to the people. This arrangement is quite erroneous and full of lapses. The mail reaches the uillages but it is not delivered to the addressees in time because the person so running the post office is not able to deliver the mail. I would like to know from the hon. Minister the steps proposed to be taken by him to improve this situation. If he did not have any idea to make imrpovments in this procedure so far I suggest that he should make such attempts. Adequate staff should be provided in the rural post offices as has been done in the big cities.

Shri Jagannath Pahadia : The statement of the hon. Member that doctors and shop keepers are entrusted with this work is not correct. However, in certain villages some teachers are engaged for this work. It is done for this reason that we pay them a very little amount for it. If we appoint persons and give them full salary then the amount of loss will increase and in that case we will not be able to run such post offices. Even then, the hon. Minister who has newly taken the charge of this Department thinks that there is large number of unemployed persons in the country and that it would be much better if they are provided with jobs. But it can be done only when all the necessary sources are available.

Shri Chandra Shailani : I am very much disappointed to hear the answer of the hon. Minister. I belong to Aligarh district where this work is entrusted to more than 50 percent doctors and shopkeepers. I want that this procedure should be improved.

Mr. Speaker : Kindly, sit down. I have not allowed you.

Shri Bhagirath Bhanwar : The hon. Minister has stated that some villages in Madhya Pradesh have been deprived of post offices due to loss. During the recent past we approached the Government through certain village *panchayats* with the request that the post offices should be opened and that we would pay the amount of loss in small instalments. I would like to know the number of such cases under the consideration of the Government and the time by which the Government will take a decision on these cases.

Shri Jagannath Pahadia : This matter has been considered several times. So far as the village *Panchayats* are concerned, we give due importance to them. But in this matter state Government, are required to give guarantee because village panchayats, some times do not abide by the guarantees given by them as they are elected bodies and the members of these panchayats are not permanent. However, if any special case is brought to my notice, I will be able to explain the position.

Declaration of Assets by the Elected Representatives

***316. Shri Atal Bihari Vajpayee**
Shri Jagannath Rao Joshi : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) Whether a number of news-papers carried editorials and articles during July-August; last to the effect that for a healthy and progressive political atmosphere, it was necessary that every elected representative should declare publicly the movable and immovable property owned or controlled by him;

(*b*) whether Government have examined this demand and taken any decision thereon; and

(*c*) if so, the salient features thereof?

The Dy. Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (*a*) Government have seen some reports on this subject.

(*b*) & (*c*) : There is already a Code of Conduct for Ministers which provides for the disclosure by a Minister to the Prime Minister or the Chief Minister, as the case may be, of assets and liabilities and of business interests of a Minister and members of his family and also for the submission of an annual declaration regarding his assets and liabilities. These are treated as confidential documents. No proposal is under consideration for requiring other elected members to furnish similar declarations.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, may I know whether the Government are considering to make amendment in the People's Representation Act under which it will be obligatory on the part of the contestants for the membership of Parliament or State Legislatures to declare their personal assets before the elections? Is such a proposal under consideration of the Government, if not, the reasons therefor?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्यों ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : उससे पूर्व बहुत से मामलों पर विचार करना पड़ेगा। जैसा कि उनका कहना है अपने नामांकन पत्र भरने से पहले प्रत्याशियों को अपनी सम्पत्ति और देय राशि का उल्लेख करना होगा। इससे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या कठिनाइयां ?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, Shri Mohsin has just now stated that there is already a Code of conduct for the Ministers which provides for the disclosure of assets by the Ministers to the Prime Minister in the Centre or to the concerned Chief Ministers in States. But is it a fact that the details are not published ? It is not published, what is the use of taking this declaration and how will people know that these statements of assets are correct or false?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इस मामले पर विचार किया गया है तथा यही उपयुक्त समझा गया है कि प्रधान मंत्री अथवा मुख्य मंत्रियों को परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के बारे में दिये गये विवरणों को गोपनीय दस्तावेज माना जाये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय ! मेरे प्रश्न का यह उत्तर नहीं है । इन दस्तावेजों को गोपनीय क्यों माना जा रहा है ? क्या जनता को मंत्रियों की सम्पत्ति के बारे में सही-सही जानकारी ज्ञात करने का अधिकार नहीं है ? जब इन दस्तावेजों का सार्वजनिक रूप से प्रकाशन नहीं किया जायेगा तब तक इनकी जांच-पड़ताल कैसे की जा सकती है ? मंत्री महोदय कहते हैं कि यह अनुकूल नहीं है। किसके लिये अनुकूल नहीं है?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : परिसम्पत्तियों और देयता के विवरणों को सार्वजनिक दस्तावेज बनाना उपयुक्त नहीं है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : हमारे देश का यह कानून है कि जिस व्यक्ति के पास 50,000 रुपयों से अधिक की सम्पत्ति होती है, उसे सम्पत्ति कर विवरणी भरनी पड़ती है तथा उसे कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। क्या सरकार उसे पर्याप्त नहीं समझती ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह पर्याप्त है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, what kind of reply is it. This question will not end like this Will such replies be made? Shri Sanghi has asked whether it is not a fact that in the wealth tax return the person concerned has to give the details of his entire property. Will the Government realize the situation that when the detailed information regarding the total assets of the person is indicated in the wealth tax return, it is useless to treat such documents as 'confidential. Does it mean that the details given in the wealth tax returns and the details given in the statements submitted to the Prime Minister are not identical?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक मंत्री को सम्पत्ति कर विवरणी भरनी ही पड़ती है। यह तभी भरनी पड़ती है जब उसके ऊपर सम्पत्ति कर विवरणी सम्बन्धी कानून लागू होता है। ऐसे कई मंत्री हो सकते हैं जिन पर यह कानून लागू नहीं होता किन्तु वे अपने परिसम्पत्तियों और देयताओं सम्बन्धी विवरण प्रधान मंत्री अथवा मुख्य मंत्री को प्रस्तुत करते हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : चूंकि कानून और परम्परा के अधीन प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्रियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे मंत्रियों द्वारा दिये गये विवरणों की जांच पड़ताल करें। अतः मैं जानना चाहता हूं कि जब प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्रियों को यह

अधिकार जनता द्वारा इसकी माँग किये जाने पर दी गई है तो इस बात से जनता को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है कि मंत्रियों की सम्पत्तियों की जानकारी केवल प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्रियों को ही रहे तथा इसके अतिरिक्त उसे गोपनीय रखा जाये ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : आचार संहिता के अनुसार मंत्रियों को अपनी नियुक्ति पर परिसम्पत्तियों और देयता का विवरण देना पड़ता है। यदि इन विवरणों की असत्यता के बारे में अथवा अन्य रूप से आरोप लगाये जाते हैं, तो दल का नेता प्रधान मंत्री अथवा मुख्य मंत्री, जैसा भी मामला हो, इसकी जांच करता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब तक दस्तावेजों को प्रकाशित नहीं किया जाता तब तक आरोप कैसे लगाये जा सकते हैं ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह इनको प्रकाशित करने का प्रश्न नहीं है और जब यह दस्तावेज गोपनीय हैं, तो इसका अर्थ है कि दल के नेता, प्रधान मंत्री अथवा मुख्य मंत्री, जो भी संबंधित हों, को इस बारे में जांच करने का अधिकार है (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिये।

अब प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चण्डीगढ़ का पंजाब को अन्तरण

*307. **श्री वीरभद्र सिंह**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चण्डीगढ़ का पंजाब को जनवरी, 1975 में अन्तरण स्थगित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) तथा (ख) पंजाब के विवादों के सम्बन्ध में सरकार के निर्णयों जो तारीख 29 जनवरी, 1970 की प्रैस विज्ञप्ति में घोषित किए गए थे, से उत्पन्न मामलों पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ परामर्श प्रगति पर है ।

Telecommunication Equipment Factories in Madhya Pradesh

***308. Shri Shrikrishna Agrawal**
Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :—

(*a*) whether the Madhya Pradesh Government have been urging upon the Central Government for the last several years to set up factories for manufacturing telecommunication equipments in the State;

(*b*) if so, whether the State Government have recently submitted a proposal in this regard; and

(*c*) if so, the facts thereof and the reaction of the Central Government thereto?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (*a*) and (*b*) Yes, Sir.

(*c*) The Government of Madhya Pradesh have suggested certain sites suitable for location of telecommunication factories. The proposal is under consideration of Government.

नकली लघु एककों को समाप्त करना

***310. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा**
श्री एम० कतामतु : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ती** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने राज्य सरकारों सहित सभी सम्बन्धित लोगों को नकली फर्मों को समाप्त करने को कहा था;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई और उक्त अभियान के दौरान राज्यवार कितने लघु एककों को समाप्त किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे लघु उद्योगों को आवश्यक आय उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में और अधिक महत्वपूर्ण स्थान देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन वस्तुओं की सूची तैयार की गई है और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि लघु उद्योगों की हाल ही में की गई गणना के अनुसार जो कारखाने अस्तित्व में नहीं पाए गए उन्हें अपंजीकृत कर दिया जाए जिससे इन कारखानों को लघु उद्योगों के लिए दी जाने वाली सुविधाएं न मिल सकें ।

(ख) इन एककों को इस प्रकार अपंजीकृत किए जाने की राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है ।

(ग) तथा (घ) जन सामान्य के उपयोग पर विशेष रूप से जोर देते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योग क्षेत्र में लगाए जाने के लिए प्रोत्साहित किए जाने वाले उद्योगों की एक सूची तैयार कर ली गई है तथा उसे राज्य सरकारों में परिचालित कर दिया गया है ।

3—816LSS/74

राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहन देंगी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में लघु उद्योग क्षेत्र में 1.60 लाख ऐसे नए कारखाने लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

भारतीय योगी और नव-धर्म नेता

*311. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में आयोजित आर्य-समाज सम्मेलन ने सरकार से अनुरोध किया है कि स्वकथित 'भारतीय योगियों' और उन नव-धर्म नेताओं में जिन्होंने विदेशों में विभिन्न सम्प्रदायों की स्थापना की है, बढ़ती हुई अनैतिकता और भ्रष्टाचार के बारे में जाँच करने के लिए एक उच्चाधिकार-प्राप्त समिति नियुक्त की जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में आर्य समाज से ऐसा कोई सुझाव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। जब विदेशों में राष्ट्रीय हित के विरुद्ध भारतीयों की गतिविधियों के बारे में, कोई विशिष्ट सूचना सरकार के ध्यान आएगी तो कानून के अधीन उपयुक्त कार्यवाही के लिए मामले की जांच की जाएगी।

भारत पुरस्कार विजेता श्री पी० जे० एन्थनी की टेलीविजन भेंट का सैंसर किया जाना

*312. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत पुरस्कार विजेता श्री पी० जे० एंथनी द्वारा की गई इस आलोचना की जानकारी है कि टेलिविजन भेंट के समय भेंट में बातचीत वाले टेप का सरकार ने सेन्सर किया था और उनके भेंट की रिकार्डिंग भी बंद हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं। श्री पी० जे० एंथनी की प्रतिक्रियाओं और उत्तरों की रिकार्डिंग बिना किसी कांट-छांट या लोप के प्रसारित की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रैक्टर की कीमत पर सांविधिक नियंत्रण

*314. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : **क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृषि-ट्रैक्टरों की कीमतों पर सांविधिक नियंत्रण समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे किसानों को कितनी सहायता मिलेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां, दिनांक 29-10-1974 से ट्रैक्टरों पर से कानूनी मूल्य नियंत्रण हटा लिया गया है और इसके स्थान पर मूल्य निर्धारण प्रतिमान का निर्धारण करके मूल्यों पर स्वतः अनुशासन पद्धति लागू की गई है ।

(ख) ट्रैक्टरों पर से मूल्य नियंत्रण हटा लेने के मुख्य कारण ये हैं :—

(i) विद्यमान प्रभावी मांग को पूरा करने के लिए देश में ट्रैक्टरों का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है ।

(ii) विभिन्न अन्तर-वस्तुओं जैसे, कच्चे माल, पुर्जों, श्रम और उपरि व्यय पर आने वाली लागत में लगातार वृद्धि होते रहने के कारण, कानूनी नियंत्रण के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण की वैधता समाप्त हो गई थी ।

(iii) इस समय एक ही मेक के ट्रैक्टर की मांग अधिक है, जिससे इसकी पुनः बिक्री पर अधिक मूल्य के कारण चोर बाजारी हो रही है । मूल्य नियंत्रण हटा लेने से विभिन्न दूसरे मेकों के ट्रैक्टरों की मांग समान रूप से बंट जाने और उनके उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है ।

(ग) मूल्य पर से नियंत्रण हट जाने से ट्रैक्टरों का निर्माण करने वाले विभिन्न एककों की कार्य संचालन सम्बन्धी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी और इससे उत्पादन में वृद्धि होगी और विभिन्न निर्माताओं की बीच परस्पर प्रतियोगिता होगी । फलस्वरूप मूल्यों में गिरावट होगी और ट्रैक्टर आसानी से उपलब्ध होंगे । उपर्युक्त बातों का लाभ अन्ततोगत्वा किसानों को मिलेगा ।

तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश में उद्योग

ड*317 ꕤ० के० एल० राव क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किए गए एक करोड़ रुपए तथा इससे अधिक लागत वाले उद्योगों की संख्या कितनी है ;

(ख) ये कहां-कहां स्थित है ;

(ग) क्या इन उद्योगों को कतिपय विशेष बस्तियों में केन्द्रित किया जा रहा है ; और

(घ) इन नगरों में हजारों की संख्या में आने वाले लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से नगरीय क्षत्रों में और अधिक एकक स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जनवरी, 1973 सितम्बर, 1974 की अवधि में तमिलनाडु को 164 और आन्ध्र प्रदेश को 103 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए । 1972 से जारी किए गए लाइसेंस अब कार्यान्वियन के विभिन्न स्थितियों में हैं । एक औद्योगिक लाइसेंस के कार्यान्वियन में साधारणतया प्रायः 3 वर्ष लगते हैं ।

(ख) उपक्रमों के स्थापना स्थल समेत इन लाइसेंसों के विवरण वीकली बुलेटिन आफ इन्डस्ट्रियल लाइसेंसज इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज इण्डियन ट्रेड जर्नल और जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाते हैं । इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) औद्योगिक परियोजनाओं का वास्तविक स्थापना स्थल निर्धारण बिजली और कच्चे माल की उपलभ्यता समेत अनेक कारणों पर निर्भर करता है ।

(घ) सरकार की नीति पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण बढ़ाने और शहरी क्षेत्रों में उद्योगों का और अधिक जमघट जहां तक संभव हो रोकने की है ।

आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम और भारतीय रक्षा नियम के अन्तर्गत व्यक्तियों की नजरबन्दी :

*318. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में इस समय कितने व्यक्ति आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम तथा भारतीय रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द हैं और कितने बन्दियों पर मुकदमा चल रहा है और वे किन-किन विभिन्न राजनीतिक दलों से संबद्ध हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : 31 अक्तूबर, 1974 को आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या की सूचना के बारे में विवरण I सभा पटल पर रखा जाता है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8653/74**] निवारक नजरबन्दी के लिए भारत सुरक्षा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है ।

2. 31 अक्तूबर, 1974 को कुछ राज्यों में विचारणाधीन कैदियों की संख्या का एक विवरण-II सभा पटल पर रखा जाता है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8653/74**] उनकी राजनैतिक संबद्धता के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कुरनूल (आंध्र प्रदेश) में कागज कारखाने की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किया जाना

319. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** क्या **उद्योग** और **नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने क्राफ्ट कागज के निर्माण के लिए कुरनूल जिला आन्ध्र प्रदेश में अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना के लिए किसी गैर-सरकारी उद्यमी को आशय-पत्र जारी किया है ;

(ख) उस फर्म का नाम क्या है जिसे सरकार ने आशय-पत्र जारी किया है ;

(ग) इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या होगी ; और

(घ) कब तक उत्पादन के शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश के कूरनूल जिले मे प्रतिवर्ष 9000 मी० टन क्राफ्ट कागज तथा 4500 मी० टन लिखाई तथा छपाई का कागज तैयार करने के एक नए उपक्रम की स्थापना करने के लिए श्री वी० एल० एन० मधुसूदन को 30 सितम्बर, 1974 को एक आशय-पत्र दिया गया है ।

(घ) इस समय उत्पादन प्रारम्भ होने की तारीख बताना संभव नहीं है ।

Issue of Certificates to the Societies of Khadi and Wool Spinners and Weavers of Rajasthan by A.I.K.G.B. Lucknow

*320. **Shri Panna lal Barupal** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(*a*) whether certificates of Cooperative Societies have not been issued to the cooperative societies of pure Khadi and Wool spinners and weavers of Rajasthan by the Committee of All India Khadi and Gramodyog Board, Lucknow which is responsible for issuing such certificates; and

(*b*) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (**Shri A.P. Sharma**) : (*a*) and (*b*) : 10 institutions applied for certificate to the Rajasthan State level Certification Committee. In the case of Kolasar, Khadi Wool Spinners Weavers Cooperative Society, it has been decided to grant the certificate. The remaining nine cases are at various stages of examination of the State Level Committee in consultation with the institutions concerned. The application of no institution has been rejected.

विदेशी धन प्राप्त करने वाला संगठन

*321. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नरायण के नेतृत्व में विभिन्न संगठन विदेशों से धन प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) तथा (ख) : देश में कुछ सर्वोदय संगठनों द्वारा प्राप्त की गई विदेशी सहायता के ब्यौरों का विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8654/74**]

Power Generation Schemes for Next Three Years

332. **Shri R.V. Bade**
Shri Atal Bihari Vajpayee } :Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(*a*) State-wise information of the action taken to set up new thermal and hydro power projects and the results of the action taken to increase the power generation capacity of all the existing power houses of these two categories during the last three years, separately; and

(*b*) State-wise schemes for such a programme for the next three years?

The Minister of Energy (Shri K.C. Pant) : (*a*) (*i*) Statement (Annexure-I) showing the details of the hydro and thermal projects commissioned during the period from March, 1971 to October, 1974 is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. L.T. 8655/74**].

(*ii*) As regards the actual power generation from hyrdo and thermal stations, the position during the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74 is as follows :

All figures in Million Units

	1971-72	1972-73	1973-74
Hydro	28024	27195	28538
Steam	31237	35614	34863
Total	59261	62809	63401

In so far as hydro stations are concerned, the available generation depends upon the rain fall/snow fall in the catchment areas of the hydro reservoirs and the inflows into the reservoirs. A regards thermal stations, all possible efforts are being made to maximise generation by way of improved maintenance, arranging necessary spare parts, provision of trained operating personnel, arranging of suitable quality of coal in adequate quantities and integrated operation of power systems.

(*b*) : Statement (Annexure-II) showing the details of the hydro and thermal projects likely to be commissioned during the period from November, 1974 to March, 1977, is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L.T. 8655/74].**

पश्चिम बंगाल में निर्मातोन्मुखी इंजीनियरिंग उद्योगों को रियायतें

*323. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में उन निर्मातोन्मुखी इंजीनियरिंग उद्योगों को रियायतें देने की वांछनीयता पर विचार किया है जिन्हें घाटा हुआ हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों को स्थानीय आधार पर तथा निर्यात उद्देश्यों हेतु क्या-क्या नई सुविधाएं दी जायेंगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) देश के इंजीनियरी उद्योगों को निर्यात के लिये पहले से ही कुछ रियायतें प्राप्त हैं और इन्हें इस बारे में हर संभव सहायता दी जाती है। इंजीनियरी उद्योगों को दी गई निर्यात सम्बन्धी मुख्य रियायतों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। पश्चिम बंगाल में जिन्हें हानि हुई है ऐसे उद्योगों के लिए अलग से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

इंजीनियरी उद्योग के निर्यातकर्त्ताओं को प्राप्त रियायतें और सुविधायें

(1) इस्पात मंत्रालय निर्यातोन्मुख इंजीनियरी उद्योगों को स्टाम-पोडी से इस्पात का नियतन में प्राथमिकता देता है।

(2) इंजीनियरी माल के निर्यातकर्त्ताओं द्वारा अपेक्षित इस्पात देश में उपलब्ध न होने की स्थिति में आयात मूल्य का ध्यान किये बिना इन्हें जे० पी० सी० मूल्य और 2 प्रतिशत पर निर्यात उत्पादन के लिये आयातित के विशिष्ट किस्म का नर्म इस्पात दिया जाता है।

(3) आयात मूल्यों में घटबढ़ से निर्यातकों को मुक्त करने के उद्देश्य में एम० एम० टी० सी० इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातकों को, तांबें और जस्ते जैसी अलौह धातुओं की आवश्यकताओं के लिये क्रयादेश दिये जाने वाली तारीख की कीमतों पर आयातित अलौह धातुओं की सप्लाई के लिये अग्रिम क्रयादेश दिये जाने की अनुमति देता है।

(4) इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातकर्त्ताओं को विभिन्न वस्तुओं पर अलग अलग दर से नकद सहायता दी जाती है और प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर निर्यात उत्पादन की जरूरतों को पूरा करने के लिये यथासंभव न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर निर्यातकर्त्ताओं को आयातित माल देने के विचार से आयात प्रतिपूर्ति करने की भी अनुमति है।

तारापुर परमाणु बिजली घर की जांच

*324. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम } : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु बिजली घर के संयंत्र में अमरीकी डिजाइन के रिएक्टर तथा उपकरण प्रयोग किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग को इस तथ्य का पता है कि इन्हीं डिजाइनों के बहुत से रिएक्टर और उपकरणों का प्रयोग अमरीका में बन्द किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने अमरीकी परमाणु ऊर्जा एजेन्सीं से रिएक्टर तथा उपकरणों में दोषों के प्रकार जानने का प्रयास किया है; और

(घ) क्या संयंत्र द्वारा सुचारु रूप से कार्य किया जाना सुनिश्चित कराने के लिए भारतीय संयंत्र की पूर्ण जांच कराने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) बताया गया है कि रिएक्टर के शीतक का पुनर्प्रचालन करने वाली प्रणाली के सहायक पाइपों में कुछ दरारों के पाये जाने पर, अमरीका के परमाणु ऊर्जा आयोग ने सभी बायलिंग वाटर किस्म के रिएक्टरों को एहतियाती निरीक्षण के लिए 60 दिन के भीतर ही बन्द कर देने का निर्देश दिया था। केवल तीन ही मामलों में दोष पाये गये थे तथा जिन रिऐक्टरों में ये दोष थे उनके बायलिंग सिस्टम तारापुर परामणु बिजलीघर के बायलिंग सिस्टम से बहुत ज्यादा भिन्न थे।

(घ) क्योंकि अब तक ऐसे कोई प्रतिकूल संकेत नहीं मिले हैं जिनके कारण बिजलीघर के शीघ्र ही बन्द करने की संभावना हो, अतः यदि आवश्यक समझा गया, तो सम्बन्धित उपकरणों की जांच बाद में यथासमय की जाएगी। इसी बीच, अविनाशक धातुकर्मीय परीक्षणों को सम्यकरुपेण करने की व्यवस्था पूरी कर ली गई है तथा बिजली घर में पैदा होने वाली हर कमी का पता लगाने के उद्देश्य से उस पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल ये उपाय पर्याप्त समझे गए हैं।

केन्द्रीय विपणन संगठन द्वारा कागज तथा कागज गत्ते का वितरण

*325. श्री के० मालन्ना
श्री राम सहाय पांडे } : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज तथा कागज गत्ते के समूचे उत्पादन को उचित मूल्य पर वितरित करने हेतु केन्द्रीय विपणन संगठन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कागज व्यापार तथा कुछ कागज मिलों के संचालन में कदाचार अभिन्न अंग बन गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) जी, नहीं।

(ख) **और** (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

कागज उद्योग और व्यापारियों के विरुद्ध कदाचार की कुछ आम शिकायतें की गई हैं। सरकार ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक सुधारवादी उपाय किए हैं। महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं की कागज की कल्चरल किस्मों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कागज के उत्पादन में वृद्धि करने के विचार से 1 अगस्त, 1974 को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया गया है कि जिसमें बड़ी कागज मिलों द्वारा बनाए जाने वाले कल्चरल कागज की विभिन्न किस्मों का कुछ न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित किया गया है। गैर आवश्यक कार्यों के लिए कागज का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाने के विचार से आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन एक अन्य आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही, शैक्षणिक क्षेत्र के लिए कापियां और पाठ्य पुस्तकों आदि और सरकारी इस्तेमाल के लिए कागज की उपलब्धता का सुनिश्चिय करने हेतु कागज उद्योग निश्चित मूल्य पर 2 लाख मी० टन व्हाइट प्रिंटिंग कागज देने के लिए सहमत हो गया है सभी राज्यों की इस मात्रा में से कागज का आबन्टन किया जा चुका है। प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने और कदाचार को रोकने के विचार से विद्यमान वितरण प्रबन्ध की छानबीन की जा रही है।

पांडिचेरी में एक तापीय विद्युत् संयंत्र की स्थापना

*326. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांडिचेरी में एक तापीय बिद्युत संयंत्र की स्थापना करने हेतु मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) प्रस्तावित संयंत्र की कुल क्षमता कितनी होगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठता।

विदेशी कम्पनियों की शाखाओं द्वारा अपने व्यापार नामों के प्रयोग के लिए प्राप्त की जाने वाली धनराशि

*327. **श्री शशि भूषण : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में काम कर रही विदेशी कम्पनियों की शाखाओं ने अपने व्यापार नामों के प्रयोग की अनुमति देकर मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : भारत में काम कर रहीं विदेशी कम्पनियों को शाखाओं द्वारा अपने व्यापार नामों के प्रयोग की अनुमति देने के लिए ली गई धनराशि के बारे में आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। यदि ऐसी धनराशि ली गई है तो वह उन के भारत में किये गये काम के कुल लाभों की अंग होगी।

कोयले का मूल्य

3003. **श्री पी० गंगादेव**
श्री श्रीकिशन गोदो : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराकरी उपक्रमों को कोयले के बढ़े मूल्यों का भुगतान करना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो कोयले के संरक्षण मूल्य ढांचे और विकास के जांच के लिए एक निकाय की स्थापना की जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) कोयला मूल्य में होने वाली प्रत्येक वृद्धि सरकारी क्षेत्र सहित सभी उपभोक्ताओं पर लागू होती है।

(ख) तथा (ग) कोयले के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में अनुशंसायें प्रस्तुत करने के लिए एक अन्तर मंत्रालय समिति गठित की जायेगी, जो अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी वृद्धि के वित्तीय परिणामों, जिन पर कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय वार्ता समिति विचार कर रही है, तथा कोयला उद्योग की संरक्षण और विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखेगी। समिति द्वारा किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि का अर्थ-व्यवस्था पर समग्र रूप से पड़ने वाले सम्भावित प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाएगा।

केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान द्वारा वाणिज्यिकरण के लिए फार्मास्यूटिकल फर्मों को सौंपी गई परियोजनाएं

3004. **श्री वेकारिया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने गत दो वर्षों में फार्मास्यूटिकल फर्मों को वाणिज्यिकरण के लिए कुछ (संसाधन) परियोजनाएं सौंपी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) किन-किन फर्मों ने उन परियोजनाओं को स्वीकार किया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) वर्ष 1973 और 1974 के दौरान केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान

(सी० डी० आर० आई०) द्वारा हस्तांतरित की गई प्रविधियों की एक सूची फार्मास्यूटिकल फर्मों के नामों के साथ निम्नलिखित है :—

(1) प्रविधि का नाम	फार्मास्यूटिकल फर्म का नाम
1973	
(1) पैरासैटामोल .	धूपर इण्टरफ्रान लि० बम्बई।
1974	
(1) पैरासैटामोल .	अनु कैमीकल्स, कानपुर डी० के० भरतिया, कानपुर एक्टो कैमीकल्स (प्रा०) लि० कलकत्ता।
(2) अमाट्राईपटालाइन हाइड्रोक्लोराइड	कैमबायोटिक कोलोबरेटर्स, बम्बई।
(3) डी-प्रोपोक्सीफैन हाईड्रोक्लोराइड	यूनाकैम लैबोरेटरीज, बम्बई।
(4) बी-2 शक्ति के लिए रिबोफ्लैविन ईस्टर का विकास	—,,—
(5) डाइमेथाइलबैनर्जा मी डाजोल	के० मेथाब्यूलोन्स और कैमीकल्स लखनऊ।

मोतीनगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी

3005 **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मोती नगर (दिल्ली) पुलिस स्टेशन के अधिकारी उस क्षेत्र के फैक्टरी मालिकों की साँठगाँठ से श्रमिकों को झूठे मामलों में फंसा रहे हैं;

(ख) क्या पश्चिम दिल्ली इंजीनियरिंग श्रमिक संघ के सचिव ने दिल्ली पुलिस के महानिरीक्षक को ज्ञापन प्रस्तुत करके इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

कोयला उद्योग में पांचवीं योजना में विदेशी निवेश

3006. श्री बसंत साठे : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कोयला उद्योग के विकास के लिए किन-किन विदेशी अभिकरणों ने निवेश का आश्वासन दिया है और तकनीकी सहायता, मशीनरी और विदेशी मुद्रा के रूप में पांचवीं योजना में कितनी सहायता प्राप्त होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : भारत में कोयला खनन उद्योग में किसी प्रकार की विदेशी पूंजी नहीं लगाई गई है। खनन के लिए अपेक्षित मशीनरी तथा उपकरणों के आयात के लिए अपेक्षित वित्त व्यवस्था देशों में परस्पर बातचीत के आधार पर विभिन्न व्यापार ऋणों, सहायता कार्यक्रमों, आदि के अन्तर्गत की जाती है। विशेष परियोजनाओं के विकास, खनन प्रौद्योगिकी तथा कतिपय मशीनरी के निर्माण के लिए सोवियत तथा पोलिश तकनीकी सहायता तथा जानकारी का उपयोग किया जा रहा है। कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों की जानकारी के उपयोग के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है।

सोवियत रूस द्वारा बांध एवं जलाशय बनाने के लिए नियंत्रित विस्फोट के बारे में जानकारी का भारत के साथ बंटवारा करने सम्बन्धी प्रस्ताव

3007. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने पेशकश की है कि बांध एवं जलाशयों के निर्माण के लिए नियंत्रित विस्फोट के तरीकों का अपना अनुभव और जानकारी हमारे देश को बताई जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) तथा (ख). सोवियत संघ द्वारा कोई विशेष पेशकश नहीं की गई है परन्तु हमारी नीति यह है कि न्यूक्लीय ऊर्जा के शांतिमय उपयोगों से सम्बन्धित विकास-क्रम तथा नई तकनीकों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाए तथा अन्य देशों के साथ यथावश्यक सहयोग किया जाए।

गोआ में नए भारी उद्योग की स्थापना करना

3008. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर: क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में गोवा में एक नए भारी उद्योग की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसे कहां पर स्थापित किया जायेगा।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पांचवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि में गोवा में किसी नये भारी औद्योगिक एकक की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में समुद्र द्वारा भूरक्षण रोकने के कार्यों के लिए अनुदान

3009. श्री ए० के० गोपालन
श्री सी० जनार्दनन : } : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि केरल में समुद्र द्वारा भूरक्षण रोकने के कार्यों के लिये अनुदान के रूप में पूरी सहायता दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) जी हां, । केरल सरकार ने जून, 1973 में अनुरोध किया था कि समुद्र से भूमि का कटाव रोकने के निर्माण कार्यों पर होने वाले व्यय के लिये केन्द्रीय सहायता ऋणों के बजाय अनुदान के रूप में दी जाय ।

(ख) इस सम्बन्ध में केरल सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है ।

महरौली (दिल्ली में) सीमेंट की जमाखोरी

3010. **श्री भान सिंह भौंरा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली के एक अंग्रेजी समाचार-पत्र के 11 नवम्बर, 1974 के अंक में महरौली (दिल्ली) में एक डीलर द्वारा सीमेन्ट की जमाखोरी के बारे में प्रकाशित हुए पत्र की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) "मदरलैण्ड" में 11 नवम्बर, 1974 को सम्पादक के नाम प्रकाशित एक पत्र के अनुसार महरौली (दिल्ली) के एक सीमेन्ट स्टाकिस्ट ने सीमेन्ट के बोरे उपभोक्ताओं को सीमेन्ट के वितरण के विषय में सरकार की हिदायतों के अनुसार सही कार्डों पर नहीं बेचे। यह भी कहा गया है कि बिक्री अधिकतर विक्रेता के ही कर्मचारियों के नाम ही दिखाई गई थी । किन्तु स्टाक की जमाखोरी के विषय में कोई भी आरोप नहीं था । दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि सीमेंट के उक्त स्टाकिस्ट को दिल्ली प्रशासन द्वारा राशन कार्डधारियों को मरम्मत कराने के लिये 1 नवम्बर, 1974 तक के स्टाक के 25 प्रतिशत अंश

की बिना परमिट के सीमेंट की बिक्री की अनुमति के विषय में 31 अक्तूबर, 1974 को जारी की गयी हिदायतें नहीं मिली थी। अतः उक्त स्टाकिस्ट ने 3 नवम्बर, 1974 तक ऐसी कोई भी बिक्री नहीं की। परन्तु इसने 3 नवम्बर, 1974 को अपने कुछ कर्मचारियों समेत राशन कार्डधारियों को दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी की गयी हिदायतों के अनुसार बिक्री की थी। चूंकि सीमेंट के उक्त स्टाकिस्ट ने नियम के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं किया, अतः दिल्ली प्रशासन ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

पंजाब में नये भारी उद्योगों की स्थापना

3011. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब में नये भारी उद्योग स्थापित करने का है ;

(ख) क्या सरकार वर्तमान उद्योगों के विस्तार पर भी विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो वे कौन-कौन से हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : पांचवी योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में पंजाब में किसी भी नये भारी उद्योग को स्थापित करने का इस समय कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं हैं।

राज्य क्षेत्र में प्रतिवर्ष 24,000 स्कूटरों का निर्माण करने के लिए पंजाब राज्य में लुधियाना में एक नया उद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, चंडीगढ़ का प्रस्ताव सरकार ने फरवरी, 1971 में स्वीकृत किया है। आशा है कि निगम पांचवी योजना अवधि में स्कूटरों का उत्पादन आरम्भ कर देगा।

जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भित्ति समाचार पत्र

3012. **श्री गजाधर माझी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन जातीय पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कुछ अन्य भाषाओं में भित्ति समाचार पत्र निकालने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां। धन उपलब्ध होने पर, भित्ति समाचारपत्र के संस्करण उन भाषाओं में जिनमें समाचारपत्र माध्यम का अच्छी तरह विकास नहीं हुआ है और उन क्षेत्रों के लिये जहां सूचना प्रवाह की कमी है निकालने का प्रस्ताव है। इस वर्ष इसके "खासी" और लक्षद्वीप के लिये इस "मलयालम" भाषाओं में संस्करण शुरू किये गये हैं। "गोरखाली" और "नागाली" भाषाओं में भी इसके संस्करण निकालने का प्रस्ताव ह। यथा समय "गारी" और "लुशाई" भाषाओं में भी इसके संस्करण निकालने का विचार है।

लारेंस रोड वैलफेयर फैडरेशन द्वारा उप राज्यपाल को ज्ञापन

3013. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मंत्री 3 अप्रैल, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 549 के उत्तर के सबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्ञापन के उत्तर के विवरण में मद संख्या 2, 3, 7, 8 और 13 पर उल्लिखित आश्वासन कार्यान्वित कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8656/74)

दिल्ली एवं अन्य नगरों में टेलीविजन सैटों की बिक्री-पश्चात् सेवा की अपर्याप्त सुविधाएं

3014. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :** क्या इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली एवं अन्य नगरों से टेलीविजन सैटों की बिक्री-पश्चात् सेवा की अपर्याप्त सुविधाओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो टेलीविजन प्रयोक्ताओं को इस असुविधा से बचाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : टेलीविजन सैट विशेषों के निष्पादन के विरुद्ध इक्का-दुक्का शिकायतों के अलावा दिल्ली एवं अन्य नगरों से टेलीविजन सैटों की अपर्याप्त सेवा सुविधाओं के बारे में सरकार ने कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं किया है। निर्माणकर्ता स्वयं सामान्यतः ऐसी सुविधाएं या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा मान्यताप्राप्त डीलरों के माध्यम से प्रदान करते हैं। इलैक्ट्रोनिक्स विभाग भी तकनीकी रूप से प्रशिक्षित उद्योगकर्ताओं द्वारा सेवा यूनिटों के गठन को बढ़ावा दे रहा है तथा देश में उपलब्ध तुरत स्टाक में से आयातित टेलीविजन परीक्षण उपकरणों को सुलभ बना रहा है।

हेलियम परियोजना

3015. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेलियम परियोजना की तकनीकी एव आर्थिक उपादेयता विषयक विशेषज्ञ समिति ने, जिसका गठन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किया था, इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पै०) : (क) जी हां, अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) तकनीकी समिति ने यह नोट किया है कि प्रतिदिन कुछ लीटर, हेलियम, गर्म चश्मों से सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा रहा है, यद्यपि इसकी अनुमानित लागत आयातित हेलियम की

लागत से प्राय: 200 गुना है । उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाना कठिन है कि पुन: प्राप्ति के लिये कितना हेलियम उपलब्ध है । अतः समिति ने यह सुझाव दिया है कि भूतापीय क्षेत्रों में विद्यमान हेलियम की सीमा का मूल्यांकन करने के लिये, परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों का सहयोग लेकर आगे और प्रयास किए जाने चाहिये । इसकी पुन: प्राप्ति से संबंधित तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन उसके बाद ही किया जा सकता है । इस योजना को लगभग सितम्बर-अक्तूबर, 1975 तक जारी रखने के लिये सिफारिश की गई है । उस समय तक आर्थिक लागत पर व्यावसायिक पुनर्लाभ की संभावनाओं का पता लगाया जा सकेगा।

Reorganisation of Pay Structure of T.V. Staff

3016. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(*a*) whether Government had announced that the pay structure and staffing pattern of the employees working in Television Centres are being reorganised and announcement in this regard will be made shortly; and

(*b*) If so, the reasons for delay in this regard and the progress made so far in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharambir Sinha) : (*a*) It had been stated that the entire organisational set-up of TV, including its staffing pattern, was under Government's review and that the details had not yet been finalised.

(*b*) The matter is complex, involving, *Inter alia*, consultations with other concerned Ministries. Some progress has been made, but it will take some time to arrive at final decisions.

अभाव का गुजरात में उद्योगों पर प्रभाव

3017. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला, रेल वैगनों, बिजली की कमी और कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों के न लाये-ले-जाने के कारण गुजरात में, विशेष रूप से गत 6 मास में विभिन्न उद्योगों पर बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन उद्योगों पर अधिक प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस बारे में क्या उपाय किए गए हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख) बताया गया है कि गुजरात के अनेक औद्योगिक एककों—विशेषकर उन एककों के उत्पादन पर जो सोडा एश, सीमेंट, थेलिक एनीहाइड्राइड एक्टीवेटेड कार्बन, इस्पात की ढलाई और गढ़ाई, ट्रांसमिशन टावरों, बिजली हवा के होइस्ट ब्लाक, बिजली चालित पम्प और डीजल के स्थिर इंजनों के निर्माण में लगे हैं, बताये गये विभिन्न अवरोधों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) देसी और आयातित कच्चे माल और ईंधन तेल के आवण्टन के विषय में औद्योगिक एककों को सभी संभव सहायता दी जाती है। जहां से विशेष शिकायतें मिली हैं वहां एककों को वैगनों और कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिये रेलवे बोर्ड और कोयला नियन्त्रक से भी कहा गया है।

Power Projects in Madhya Pradesh

3018. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(*a*) the names of various power projects being run by the Central Government in Madhya Pradesh at present;

(*b*) the number of power projects for Madhya Pradesh under consideration of the Central Government at present;

(*c*) the total amount of financial assistance given by the Central Government to the State Government during the last two years as against the amount sought by the State Government during this period; and

(*d*) the total amount of financial assistance proposed to be given to the State Government during the financial year 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (*a*) The Central Government does not run any power project in Madhya Pradesh.

(*b*) There are no power projects for Madhya Pradesh at present under consideration of the Central Government.

(*c*) Central assistance in the Fourth Plan was allocated amongst the States on the basis of a formula evolved by the National Development Council. The Central assistance allocated to the State Plan of Madhya Pradesh during 1972-73 and 1973-74 was as under :—

Year	*Central assistance* (Rs. in crores)
1972-73	54·95
1973-74	53·32

(*d*) Central assistance amounting to Rs. 53·32 crores has been allocated tentatively for 1974-75.

नागालैंड और मिज़ोरम में केन्द्रीय बल रखना

3019. **श्री नूरुल हुडा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागा और मिज़ो लोगों से निपटने के लिये नागालैण्ड और मिज़ोरम में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य बलों के कितने बटालियन रखे हुए हैं;

(ख) दो प्रदेशों में इन बलों का अलग-अलग व्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में सशस्त्र सेना के अतिरिक्त वहां सुरक्षा बलों के रखरखाव पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनातगी और उन पर हुए खर्च के व्यौरे संलग्न विवरण में दिये जाते हैं।

विवरण

नागालैण्ड और मिज़ोरम में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनातगी और उन पर हुये खर्च का विवरण

बल	नागालैण्ड (तैनात की गई बटालियनों की संख्या)	मिज़ोरम (तैनात की गई बटालियनों की संख्या)	1971-72 से 1973-74 तक हुआ खर्च
सीमा सुरक्षा बल	2 1/2 बटालियनें	1 बटालियन	3.19 करोड़
केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस	6 बटालियनें	4 बटालियनें	10.56 करोड़
असम राइफल्स	8 बटालियनें	4 बटालियनें	22.48 करोड़

Unemployment and Under-Employment in Urban and Rural Areas

3020. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(*a*) whether the National Sample Survey Organisation has collected data regarding unemployment and under-employment in the urban and rural areas of the country; and

(*b*) if so, the broad outlines thereof and the action taken by Government to provide jobs to them?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidhya Charan Shukla) : (*a*) Yes Sir, a sample survey, with the main objective of collecting data on employment, unemployment and under-employment, in the rural and urban areas of the country, was carried out by the National Sample Survey Organisation during October 1972-September 1973, in the 27th Round of the NSS.

(*b*) During this survey which was carried out in 9,088 villages and 4,832 urban blocks in the Central sample, an attempt has been made to obtain a comprehensive account of the employment status of all members of the households selected, with reference to the preceding week as well as the preceding year. Information has also been collected on other characteristics such as industry, skill, wages and willingness to work at other places. The processing of data collected is in progress.

As the results of this survey are still not available, no action could have yet been taken to formulate employment programmes, taking into account the results of this survey. However, the Fifth Five Year Plan lays considerable stress on employment intensive schemes, rationalised and suitably integrated with sectoral development programmes. It is expected that these would throw up considerable job opportunities. Besides, an Employment Promotion Programme with thrust on self-employment has also been taken up.

Strike in Birsingpur Colliery

3021. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(*a*) whether on the 28th October, there was a sudden strike in Sohagpur Group (Birsingpur Colliery);

(*b*) if so, the facts thereof;

(*c*) whether an enquiry of the said incident has been conducted;

(*d*) whether it has been decided to punish the person or the party which was behind the strike; and

(*e*) whether any compensation is proposed to be given to the workers and if not, the reasons therefor?

4—816LSS/74

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Shri Siddheshwar Prasad) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) The workers of Birsingpur colliery struck work in all the three shifts, over the demand for the immediate implementation of the recommendations of the Joint Bipartite Wage Negotiating Committee for the Coal Mining Industry. As a result of this strike, 1,061 mandays, 800 tonnes of coal production and wages of the order of Rs. 15,200 were lost.

(*c*) to (*e*) Details are being collected.

मई, 1974 में केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल

3022. **श्री समर मुखर्जी : क्या प्रधान** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 मई, 1974 से 13 मई, 1974 तक, विभागवार, दोनों स्थायी तथा अस्थायी कुल कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया था;

(ख) इस हड़ताल में भाग लेने वाले कितने कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, सेवा समाप्त कर दी गई, सेवा अवधि में व्यवधान डाला गया, बदली की गई अथवा दर्जा कम कर दिया गया; और

(ग) इन कर्मचारियों को सेवा में पुनः बहाल करने और सेवा अवधि में व्यवधान समाप्त करने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) : अनुमानतः सूचना रेल मंत्रालय के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में मांगी गई है।

इसे एकत्रित किया जा रहा है और उसे यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

पोर्ट ब्लेयर में बिजली बंद होना

3023. **श्री एस० डी० सोमासुन्दरम्** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्षम स्थानीय इंजीनियरों के कुप्रबन्ध के कारण पोर्ट ब्लेयर में बिजली बन्द होना आम बात है; और

(ख) यदि हां, तो कुशल कार्य-निष्पादन के लिये ऐसे स्थानीय इंजीनियरों के स्थान पर कम से कम दो अथवा तीन वर्षों के लिये सक्षम केन्द्रीय सरकार की विद्युत् इंजीनियरों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नलकूपों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड को निर्देश

3024. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के राज्य विद्युत् बोर्ड को कोई निदेश जारी किये हैं कि खरीफ की फसल की असफलता को देखते हुए तथा रबी के उत्पादन को बढ़ाने हेतु मध्य प्रदेश राज्य में नलकूपों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई निदेश जारी नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा विजय स्कूटरों का निर्माण

3025. **श्री एम० एम० एम० जोजफ** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर्स इण्डिया लि० ने विजय स्कूटरों का निर्माण किया है और उन्होंने स्कूटरों के आवंटनों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका लागत मूल्य क्या होगा और 500 रुपये की अग्रिम राशि जमा कराने की तारीख से इसके मिलने तक कितनी अवधि लगेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड ने विजय स्कूटरों के लिए पंजीकरण प्रारम्भ कर दिया है।

(ख) स्कूटर का कारखाने से निकलते समय का खुदरा बिक्री मूल्य (विक्रेता का कमीशन सहित) 3,510 रुपये निर्धारित किया गया है। आशा है कि मैसर्स स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड जनवरी, 1975 के मध्य से स्कूटरों की बिक्री प्रारम्भ कर देगा।

बीड़ी निर्माता उद्योग को प्रोत्साहन

3026. **श्री वरके जार्ज** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमा तथा खांसी पर विश्व कांग्रेस की एक वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार सिगरेट की बजाए बीड़ी पीना कम हानिकारक है; और

(ख) यदि हां, तो बीड़ी निर्माता उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपालों, मंत्रियों तथा विधायकों द्वारा आस्तियों की घोषणा

3027. **श्री वीरेन एगंती**
श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वच्छ सार्वजनिक जीवन तथा प्रशासन के हित में सरकार को सुझाव दिये गये हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों, मंत्रियों तथा विधायकों के लिए कानून बना कर यह अनिवार्य कर दिया जाये कि वे समय-समय पर अपनी आस्तियों, देयताओं तथा कारोबारी हितों की घोषणा करें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ़० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) आज दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 316 के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । जहां तक राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, तथा राज्यपालों द्वारा अपनी आस्तियों, देयताओं तथा कारोबारीहितों की घोषणा का संबंध है ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

नारियल जटा उद्योग

3028. **श्री जी० वाई० कृष्णन**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
श्री सी० जनार्दनन
: क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उद्योग को गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ख) वर्ष 1974-75 के लिए किये गये निर्यात करारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) से (ग) नारियल जटा उद्योग को इस समय फाइबर की कमी के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है । राज्य सरकार द्वारा फाइबर तैयार करने की प्रक्रिया उनके मूल्य तथा नारियल जटा के लाने लेजाने संबंधी कुछ विक्रियात्मक नियंत्रण लगाये जाने के परिणामस्वरूप फाइबर की कमी हो गई है ।

भारत सरकार इस विषय पर ध्यान दे रही है तथा फाइबर की कमी पर उपयुक्त अभ्युपायों द्वारा काबू पाने हेतु राज्य सरकार के परामर्श से स्थिति का पुनरावलोकन कर रही है ।

सी० पी० डब्ल्यू० डी० इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी

3029. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री 5 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1560 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० पी० डब्ल्यू० डी० इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लिमिटिड ने फरवरी, 1974 में उन सदस्यों को पत्र दिए थे जिनके विरुद्ध सदस्यता समाप्त करने के संकल्प पारित किए गए थ और जिनमें यह सूचना दी गई थी कि उनके बकाया अंश को सोसायटी के रिजर्व फंड में मार्च, 1974 में जमा कर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पत्रों को रद्द कर दिया गया है;

(ग) क्या सोसायटी ने इन सदस्यों की अनिवार्य जमा राशि को स्वीकार करने से इंकार कर दिया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सोसायटी के सामान्य निकाय की 22 फरवरी, 1974 को हुई बैठक द्वारा दो सदस्यों को निष्कासित किया गया था। सोसायटी ने उन्हें 25 फरवरी को सूचित किया था कि वे 15 दिनों के भीतर अपना हिसाब चुकता करें। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो ऋण के समायोजन के बाद शेष धनराशि रक्षित निधि में जमा करदी जाएगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) चूंकि सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया है, इसलिए उनकी अनिवार्य जमा राशि को स्वीकार नहीं किया जा सका था।

राइमा-सारमा घाटी के विस्थापित लोगों का पुनर्वास

3030. **श्री दशरथ देव :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में गुमती पन बिजली परियोजना के निर्माण के कारण विस्थापित हुए राइमा-सारमा घाटी के लोगों के पुनर्वास के लिए क्या कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी योजना कब तक बनाए जाने की सम्भावना है और उन लोगों को क्या अन्तरिम सहायता दी जाती है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) त्रिपुरा सरकार ने सूचित किया है कि जबकि उन जनजातीय लोगों को, जिनका भूमि पर अधिकार था, मुआवजा दे दिया गया है, उन जनजातीय लोगों को जिनका भूमि पर अधिकार नहीं था, झुमिया पुनर्वास स्कीम के अन्तर्गत रखा जा रहा है। गुमती क्षेत्र में अनधिकृत रूप में रह रहे जनजातीय परिवारों को सुव्यवस्थित पुनर्वास केन्द्रों में, अधिमानतः उसी उप-प्रभाग में पुनः बसाया जाना प्रस्तावित है। स्कूलों, कल्याण केन्द्रों, उचित दर की दुकानों, चिकित्सालयों, नलकूपों आदि जैसी कल्याणकारी सुविधाओं के अलावा, प्रत्येक परिवार 3,990 रुपए के वित्तीय लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा। अन्य अधिवासी कार्योन्मुख सहायता स्कीम के अन्तर्गत 8 रुपए से 10 रुपए तक प्रति परिवार प्रति दिन कमा रहे हैं। बहरहाल जिन जनजातीय जोतदारों को नकद मुआवजा दिया गया है, वे इस पुनर्वास स्कीम के अन्तर्गत नहीं आएंगे, परन्तु उन्हें सरकारी भूमि आदि के आवंटन के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी।

हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड द्वारा 'होल मिल्क पाउडर' का उत्पादन

3031. **श्री एस० एन० बनर्जी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड नामक एक विदेशी सहायक फर्म अत्यधिक लाभ उठाने के उद्देश्य से एटा स्थित अपनी डेयरी में अन्य आवश्यक उत्पादों का उत्पादन कम करके "होल मिल्क पाउडर" का उत्पादन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Manufacture of Cheap gas from Coal

3032. Shri Shiv Kumar Shashtri : Will the Minister of Energy be pleased to state :

(*a*) whether Government propose to manufacture cheap gas from coal;

(*b*) the foreign exchange likely to be saved as a result thereof; and

(*c*) whether some efforts were made in the past in this direction?

The Minister of State in the Ministry of Energy (Shri K. C. Pant) : (*a*) Government is examining the possibility of establishing Low Temperature Carbonisation-*cum*-Coal Gas Plants in some cities.

(*b*) A proposal for such a plant at Calcutta involving a capital investment of Rs. 20·33 crores. is under consideration. The Feasibility Report envisages foreign exchange savings of about Rs. 12 crores per annum.

(*c*) In the past, Coal Gas Plants have been established in Bombay and Calcutta.

Allocation for Crash Plan and Assistance to Educated Unemployed

3033. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Planning be pleased to state :

(*a*) whether the number of umemployed persons is gradually increasing;

(*b*) whether the same amount has been provided for crash plan and assistance to educated unemployed scheme for the solution of this problem as was provided in 1972-73; and

(*c*) if so, the reasons therefor and the extent to which unemployment problem would be solved thereby?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (*a*) According to the figures of live registres of Employment Exchanges the number of job seekers registered with exchanges has been gradually increasing over the past few years.

(*b*) and (*c*) In 1972-73 three special schemes to provide additional employment were in operation, viz. (*i*) the Programme for Educated Unemployed, (*ii*) the Special Employment Programme for States and Union Territories and (*iii*) the Crash Scheme for Rural Employment. The respective allocations for these three Programmes in 1972-73 were Rs. 67 crores and Rs. 27 crores and Rs. 50 crores. These programmes were *ad hoc* in nature and came to an end with the close of the Fourth Five Year Plan in March, 1974.

In 1974-75 only one special Programme is under implementation, viz. the Employment Promotion Programme for which Rs. 40 crores have been provided in the Central Budget. Though this amount may look lower than the allocations for special schemes in 1972-73 however, this does not mean that employment aspect has been neglected in the Fifth Five Year Plan. The strategy in the Fifth Plan is to generate substantial employment opportunities through the implementation of plan programmes in different sectors. It is expected that considerable job opportunities will be created during the Fifth Plan period through the implementation of sectoral programmes in the fields of agriculture, major, medium and minor irrigation, large, medium and sma scale industries etc., as well as in the Corporate and unorganised sectors, tertiary and allied services, trade and commerce and social services. Benefits from the Drought Prone Areas Programme, Small and Marginal Farmers Agencies and Command Area Development of Major Irrigation Projects, are likely to cover about 26 million rural households. In addition, benefits from schemes relating to traditional and village industries would accrue to about 33 lakhs persons by way of additional jobs and another 33 to 34 lakhs through fuller employment. In addition, self-employment opportunities on a larger scale will be provided under the Employment Promoti Programme which has been taken up in 1974-75.

सिंगरौली कोयला क्षेत्रों में कोयले का भंडार

3034. **श्री रानेन सेन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी विशेषज्ञों द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोयला क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कोयल के भंडार हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन कोयला क्षेत्रों से कोयला निकालने के लिए कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर सिंगरौली कोयला क्षेत्र में कुल 90,000 लाख टन भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान ने रूसी विशेषज्ञों के सहयोग से अब तक 27,700 लाख टन खनन योग्य भंडारों की पुष्टि की है ।

(ग) और (घ) सिंगरौली कोयला क्षेत्र में पहले से ही 2 ओपनकास्ट खानें कार्य कर रही हैं जिनसे 1974-75 के दौरान 28 लाख टन उत्पादन का कार्यक्रम है । केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान ने रूसी विशेषज्ञों के सहयोग से इन कोयला क्षेत्रों की खुदाई के लिए एक साध्यता रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 1990-91 तक 450 लाख टन उत्पादन की परिकल्पना की गई है । इस समय इस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

भारत में 'एशिया फाउंडेशन' की गतिविधियां

3035. **श्री सरोज मुखर्जी**
श्री शिव कुमार शास्त्री
श्री समर मुखर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सी० आई० ए० की अधीनस्थ भारत में स्थित 'एशिया फाउंडेशन' की गतिविधियों तथा 'दी सी० आई० ए० एण्ड दी कल्ट आफ इंटेलीजेंस' नामक पुस्तक, जो एशिया फाउंडेशन की गतिविधियों पर अधिक प्रकाश डालती हैं, में उल्लिखित बातों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार ने "दी सी० आई० ए० एण्ड दी कल्ट आफ इंटेलीजेंस" नाम पुस्तक के प्रकाशन के बारे में केवल कुछ प्रेस रिपोर्ट देखी है । सरकार ने स्वयं अभी पुस्तक की जाँच नहीं की है ।

स्मरण होगा कि दिल्ली में एशिया फाउंडेशन का कार्यालय भारत सरकार के कहने पर 1968 में बन्द कर दिया गया था ।

बड़े देशों द्वारा परमाणु सामग्री के निर्यात पर रोक

3036. श्री पी० ए० सामिनाथन
श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु सामग्री के निर्यात पर रोक लगाने के बारे में बड़े देशों का हाल में लिया गया निर्णय भारत के खिलाफ है; और

(ख) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और शान्तिपूर्ण योजनाओं के लिए परीक्षणों के हमारे कार्यक्रम तथा नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा **(ख)** इंग्लैंड, रूस तथा अमरीका सहित कुछ देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण को सूचित किया है कि वे ऐसे देशों को, जिन्होंने परमाणु अस्त्र प्रसार निरोध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तब तक कुछ उपकरण, संघटक एवं सामग्री सप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि सम्बन्धित सन्यन्त्र तथा सुविधाओं को अभिकरण की सेफगार्ड व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं रख दिया जाता है। अपने न्यूक्लीय ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाना सुनिश्चित करते समय हम इस पहलू पर पुनर्विचार करते रहते हैं।

कोयला खान प्राधिकरण द्वारा कम भरे हुए कोयला वैगनों की कथित सप्लाई

3037. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की खपत करने वाले अनेक बड़े-बड़े उपभोक्ताओं ने कोयला खान प्राधिकरण पर आरोप लगाया है कि उन्हें पिछले दो तीन महीनों में कम भरे हुए कोयले के वैगन भेजे गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इसके परिणामस्वरूप कोयला खान प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं को कितना मुआवजा दिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों का कार्यकरण

3038. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा 925 में से 325 राष्ट्रीयकृत कोयला खानें बिलकुल नहीं चलाई जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे वर्ष 1974-75 के लिए कोयले के उत्पादन में कहां तक कमी हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) सभी कोयला खानें, जो अधिग्रहण के समय कार्य कर रही थीं, लगातार काम कर रही हैं। अधिग्रहण से पूर्व भी अनेक खानें बन्द थीं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने 42 बन्द खानों में से 38 कोककर कोयला खानों को तथा सभी 31 बन्द अकोककर कोयला खानों को फिर से चालू कर दिया है। कोयला खान प्राधिकरण ने 25 बन्द अकोककर कोयला खानों को फिर से खोल दिया है। ऐसी अन्य बन्द खानों को खोलने के प्रयास जारी हैं, जहां खनन स्थिति तथा कोयला भण्डार अनुकूल हों।

(ख) 1974-75 में उत्पादन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई है।

दक्षिण कनारा जिले में टाइल उद्योग में संकट

3039. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि दक्षिण कनारा जिले में टाइल उद्योग को गम्भीर विपणन समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप इस उद्योग में कार्य कर रहे श्रमिकों को छंटनी की आशंका का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) छत पाटने की मिट्टी के टाइल बनाने के उद्योग के सामने जो साधारणतया लघु उद्योग क्षेत्र में है और जो मुख्यतः दक्षिणी अचल विशेषतः केरल और कर्नाटक के पश्चिमी तटीय अंचल में स्थित है, स्थानीय बाजार में इसकी मांग कम हो जाने के कारण और विदेश व्यापार में विदेशी प्रतिस्पर्धाकर्त्ताओं से होड़ न कर पाने की असमर्थता के कारण संकट आ गया है।

(ख) इस उद्योग को उत्पादन में विविधता लाने और मिट्टी के खोखले संरचनात्मक स्ताक, फर्श बनाने की कांच की टाइलें और पकाई की अन्य वस्तुएं बनाने की सलाह दी गयी है। राष्ट्रीय भवन संगठन के आग्रह पर राष्ट्रीय इंजीनियरी सेवा ने दक्षिण स्थित अपने चीफ इंजीनियरों को ऐसे क्षेत्रों में छत पाटने की टाइलों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन देने को कहा है जहां से (टाइलें) आसानी से उपलब्ध हैं।

पोंग बांध के विस्थापितों द्वारा भूमि के पुनः आबंटन के लिए दिए गए आवेदन-पत्र

3040. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बसाए गए पोंगबांध (हिमाचल प्रदेश) के कितने विस्थापितों ने इस आधार पर भूमि के पुनः आबंटन के लिए आवेदन-पत्र दिए हैं कि आबंटित की गई भूमि अंशतः सिंचित भी नहीं है;

(ख) उनकी न्यायोचित शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इसमें से कितने विस्थापितों को भूमि का पुनः आवंटन कर दिया गया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुसार, 870 विस्थापितों ने, उन्हें आबंटित की गई भूमि में सिंचाई सुविधाओं के अभाव की दलील देते हुए, भूमि के पुनः आबंटन के लिए आवेदन किया है।

(ख) राजस्थान सरकार के माध्यम से ऐसे 19 आवेदन-पत्रों की जांच कराई गई थी; जो मन्त्रालय को प्राप्त हुए थे। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि इन मामलों में से प्रत्येक में भूमि कमान क्षेत्र के अन्दर थी और उसकी सिंचाई की जा सकती थी। राजस्थान सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से निर्धारित नियमों के अनुसार भूमि का आबंटन करने में सक्षम है। बहरहाल, राजस्थान सरकार ने संकेत दिया है कि उनके द्वारा आबंटित सभी भूमि राजस्थान नहर के कमान क्षेत्र के अन्दर है और इस प्रकार नियमों के अनुकूल है।

(ग) राजस्थान सरकार द्वारा किसी विस्थापित को भूमि पुनः आबंटित नहीं की गई है।

साउथ अफ्रीका के कोल, आयल एण्ड गैस कारपोरेशन द्वारा, कोयले को तेल में बदलना

3041. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी स्वामित्व वाले साउथ अफ्रीका के कोल, आयल एण्ड गैस कारपोरेशन ने गत वर्ष 40 लाख टन से अधिक कोयले का प्रयोग करके आधे भाग को शोधित तेल उत्पादों के रूप में बदला तथा यह लगभग 20 वर्षों से वाणिज्यिक स्तर पर कोयले को तेल में बदल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे कोयला और तेल इंजीनियर इस प्रक्रिया को अपनाने की योग्यता रखते हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) सरकार को साउथ अफ्रीकन कोल, आयल एण्ड गैस कारपोरेशन लिमिटेड, जो कोयले को तेल में बदलने का कार्य कर रहा है, की मौजूदगी के बारे में पता है। उक्त संयंत्र की दैनिक क्षमता 22000 टन कोयला बतायी जाती है। गत वर्ष उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा तथा शोधित तेल की उत्पादित मात्रा के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।]

(ख) सरकार ने हाल में ही कोयले से तेल तैयार करने की टैक्नालॉजी पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के भूतपूर्व न्यायाधीशों के लिए पद

3042. **श्री बी० वी० नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के कितने भूतपूर्व न्यायाधीशों को अब तक राज्यपाल का पद सौंपा गया है; और

(ख) क्या सिविल सेवा जैसे अन्य व्यवसायों की तुलना में इनकी संख्या अत्यधिक कम है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख). उच्च न्यायालयों के चार भूतपूर्व न्यायाधीशों को भूतकाल में राज्यपाल के पद सौंपे गए थे। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपालों की नियुक्ति करने में मुख्य विचार व्यक्तियों की उपयुक्तता पर होता है, जीवन में उनके व्यवसायों पर नहीं।

बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में सीमेन्ट कारखाना

3043. **श्री नारायणचन्द पराशर** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग के निष्कर्षों के अनुसार बिलासपुर जिले में 'ए' ग्रेड के चूने के पत्थर के अच्छे और पर्याप्त निक्षेप होने की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक सीमेन्ट का कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सीमेन्ट की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार का विचार प्रस्तावित कारखाना मंजूर करने तथा इसके स्थापना कार्य को शीघ्रता से करने का है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सीमेन्ट का एक संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। हिमाचल प्रदेश के राजवन में सीमेन्ट निगम पहले ही एक सीमेन्ट संयंत्र स्थापित कर रहा है। सीमेन्ट निगम के पांचवीं योजना सम्बन्धी कार्यक्रम को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है। और इससे इस राज्य में बिलासपुर में सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करना सम्मिलित नहीं है।

Appointment to the Post of Hindi Officer in the Former Ministry of Irrigation and Power

3044. **Shri Chandra Shekhar Singh** : Will the Minister of Energy be pleased to state :

(*a*) whether appointment to the post of Hindi Officer in the former Ministry of Irrigatio and Power was made without written test or interview two years ago;

(*b*) whether approval of U.P.S.C. was obtained for the said appointment; and

(*c*) if not, the reason for continuing this irregularity for such a long time?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (*a*) Yes, Sir. The post of Hindi Officer, which had fallen vacant for a short period of time was filled by the *ad hoc* appointment of the permanent senior most Hindi Translator Grade-I who fulfilled the requisite qualifications and experience laid down in the recruitment rules.

(*b*) Yes, Sir.

(*c*) Does not arise.

प्रमुख जलाशयों के माध्यम से विद्युत् उत्पादन

3045. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 16 प्रमुख जलाशयों मे से, जो देश की 40 प्रतिशत बिजली का उत्पादन करते हैं, 13 जलाशयों को अपनी पूरी क्षमता के स्तर पर पहुंचना बाकी है; और

(ख) यदि हां, तो इन जलाशयों को भरने लिए क्या कार्यवाही की गई है?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत): (क) जल-विद्युत परियोजनाओं के जलाशयों के अभिकल्प प्रायः परिवर्धित क्षमता तथा अभिकल्पित ऊर्जा के उत्पादन के लिए तैयार किए जाते

हैं और ऐसे मामलों में यह आवश्यक नहीं है कि जलाशयों में जल उच्चतम स्तर तक हो। देश में जल-विद्युत केन्द्रों को पोषित करने वाले 26 महत्वपूर्ण जलाशयों में से केवल छः अपनी पूर्ण क्षमता तक भरे हैं। अन्य सभी जलाशय केवल आंशिक रूप में भरे हैं। उत्तर-पूर्वी मानसून के दौरान यह संभावना है कि तमिलनाडु तथा केरल के कुछ जलाशयों में जल की उपलब्धता की स्थिति में और सुधार होगा।

(ख) जलाशयों में जल का अन्तर्वाह मुख्य रूप से मानसून के दौरान वर्षापात पर निर्भर करता है, यद्यपि शुष्क मौसम में भी कुछ अन्तर्वाह होता है। कुछ जलाशय बर्फ के पिघलने से भी लाभान्वित होते हैं। इसलिए, इस समय जलाशयों में जल के अन्तर्वाह को बढ़ाने के लिए विज्ञान और टैक्नालौजी का विकास संभव नहीं है।

दिल्ली में मोटर गाड़ियों की चोरी

3046. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में छः वर्षों में मोटर गाड़ियों की चोरी की संख्या में 212.5 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या इसी अवधि में सड़क पर चल रही गाड़ियों की संख्या में 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्। 1968 से 1973 तक मोटर गाड़ियों की चोरी की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	मोटर गाड़ियों की चोरी के मामले की संख्या
1968	543
1969	638
1970	921
1971	1192
1972	1562
1973	1697

(ख) जी हां, श्रीमान्, आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	सड़क पर चल रही गाड़ियों की संख्या
1968	119711
1969	144680
1970	173051
	204930
	234929
. . . . . .	285745

(ग) पुलिस थाने में मोटर गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट जैसे ही दी जाती है तो तुरन्त उसकी सूचना दिल्ली पुलिस के केन्द्रीय पुलिस कन्ट्रोल रूम को दी जाती है जो दिल्ली के सभी पुलिस थानों, यातायात पुलिस तथा भारत के अन्य राज्यों को (वाहन की किस्म, माडल, वाहन का रंग, पंजीकरण संख्या तथा चोरी करने के स्थान की) विस्तृत सूचना वायरलैस द्वारा भेजी जाती है। वाहन की चोरी के बारे में उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्केवड) तथा दिल्ली की सीमा चोकियों को एक साथ सावधान कर दिया जाता है।

दिल्ली में प्रत्येक पुलिस जिले में मोटर वाहनों की चोरी का पता लगाने के लिए एक पुलिस दस्ता गठित किया गया है और ये दस्ते अपराध तथा रेलवे दिल्ली पुलिस अधीक्षक की देख-रेख में कार्य करते हैं। ये दस्ते सूचना एकत्रित करते हैं, छापे मारते हैं और चोरी किए गए वाहनों को बरामद करते हैं। मोटर गाड़ियां चोरी करने वालों पर नजर रखने के लिए दिल्ली के महत्वपूर्ण कार पार्कों तथा अन्य स्थानों पर सादे कपड़ों में पुलिस कर्मचारी तैनात किए जाते हैं।

Report of the Backward Classes Commission

3047. Shri Mulki Raj Saini : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) the date on which the Commission on Backward Classes submitted its report to Government;

(*b*) the expenditure incurred on preparing the Report and on the Commission;

(*c*) the names of the Members of the Commission;

(*d*) the names of the places and the States where the Commission took evidence; and

(*e*) the time taken in preparing the said Report?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (*a*) to (*e*). The information asked for in parts (*a*), (*c*), (*d*) and (*e*) is available in Volume I of the Report of the Backward Classes Commission which was laid on the Table of the House on the 3rd September, 1956. As regards part (b), a sum of Rs. 5,00,162 (Rupees five lakhs one hundred and sixty two) was incurred on this Commission.

मद्रास के "हिन्दू" के पूर्वी भारत और बंगला देश में विशेष संवाददाता, श्री कृष्ण मूर्ति का लापता होना

3048. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के "हिन्दू" के पूर्वी भारत और बंगला देश में विशेष संवाददाता, श्री कृष्णमूर्ति लापता हैं;

(ख) यदि हां, तो वह कब से; और

(ग) क्या उनका पता लगाने के लिए सरकार ने कोई जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

त्रिपुरा में डमरू परियोजना

3049. **श्री एम० एस० पुरती**
श्री शक्ति कुमार सरकार } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की डमरू परियोजना पूरी हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन पर अद्यतन कुल कितनी राशि व्यय हुई है और कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) परियोजना के पूर्ण होने में देरी मुख्यतया स्थल सम्बन्धी परिस्थितियों के कारण अभिकल्प में आवश्यक परिवर्तन; आवश्यक सामग्रियों की कमी; जुलाई, 1970 में मिजो उपद्रवियों की छापामार कार्रवाइयों के कारण अशान्त परिस्थितियों; और बंगलादेश में स्वतन्त्रता संग्राम के कारण हुई है।

(ग) सितम्बर, 1974 तक 7.90 करोड़ रुपये व्यय हुए थे और 52 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

Opening of Head Post Office at Bundi in Rajasthan

3050. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(*a*) whether Government propose to open a Head Post Office at Bundi in Rajasthan, keeping in view its population; and

(*b*) if so, when this will be opened?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (*a*) A Head Post Office is already functioning at Bundi since 2nd November, 1970.

(*b*) : Does not arise.

मारुति लिमिटेड द्वारा कारों का उत्पादन

3051. **श्री मधु लिमये** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड ने, सरकार द्वारा प्रदान किए गए औद्योगिक लाइसेंस के अधीन कारों का उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ख) लाइसेंस में उल्लिखित 50,000 कारों की क्षमता वे कब तक प्राप्त कर लेंगे;

(ग) क्या इस कम्पनी के स्वामित्व अथवा प्रबन्ध में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(घ) क्या बिड़ला बन्धु इन परिवर्तनों से किसी प्रकार सम्बद्ध हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को मिली जानकारी के अनुसार, कम्पनी को आशा है कि वह 1977-78 तक प्रतिवर्ष 50,000 कारों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता तक उत्पादन करने लगेगी।

(ग) सरकार को कम्पनी के स्वामित्व में किसी भी परिवर्तन के बारे में नहीं बताया गया है।

(घ) जी, नहीं।

लुधियाना से लौटते समय श्री जयप्रकाश नारायण पर हमला

3052. **श्री समर गुह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जयप्रकाश नारायण जब लुधियाना से लौट रहे थे तो एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी कमर को निर्दयता से दबाकर तोड़ने का प्रयास किया गया;

(ख) जब श्री जयप्रकाश एक पसली के टूटने पर अथाह दर्द से चिल्लाए तो क्या वह व्यक्ति भीड़ में गायब हो गया;

(ग) सरकार द्वारा अभ्याक्रमक को गिरफ्तार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा जनता के इन महान नेता की सुरक्षा को निश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) पंजाब सरकार के अनुसार, लुधियाना रेलवे स्टेशन पर श्री जय प्रकाश नारायण पर हमला कर ने का कोई प्रयास नहीं किया गया था जैसा कि आरोप लगाया गया है और स्थानीय पुलिस को भी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रयास की कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी।

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठता।

गीत तथा नाट्य प्रभाग के क्षेत्रीय यूनिटों में रिक्त स्थानों का भरा जाना

3053. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गीत तथा नाट्य प्रभाग की क्षेत्रीय यूनिटों में विभिन्न स्तर के रिक्त पद भर दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो रिक्त स्थानों की यूनिटवार संख्या कितनी थी और रिक्त स्थान भरे जाने के पश्चात् नवीनतम स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) कुछ रिक्तियां भरी नहीं गई हैं। रिक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिखाया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8657/74]।**

"हैवी वाटर स्केरसिटी इन आफिंग" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

3054. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन
श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 नवम्बर, 1974 के अंग्रेजी दैनिक के दिल्ली संस्करण में "हैवी वाटर स्केरसिटी इन आफिंग" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल कितने हैवी वाटर की आवश्यकता है;

(ग) आगामी पांच वर्षों के दौरान कुल कितने भारी पानी के उत्पादन की सम्भावना है; और

(घ) परमाणु विद्युत परियोजनाओं के लिए हैवी वाटर की भावी मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और देश में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) 200 मैगावाट क्षमता वाले विद्युत रिऐक्टर में प्रारम्भ में 230 मीटरिक टन भारी पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद के प्रत्येक वर्ष में हुई क्षति को पूरा करने लिए 24 मीटरिक टन भारी पानी आवश्यक होता है।

(ग) 940 मीटरिक टन (लगभग)

(घ) विद्युत परियोजनाओं एवं भारी पानी परियोजनाओं के चालू होने की तारीखों तथा भारी पानी के अनुमानित उत्पादन आदि के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों को ध्यान में रख कर, भारी पानी के सम्भरण एवम् उसकी मांग से सम्बन्धित आंकड़ों में निरन्तर संशोधन किया जाता है। वर्तमान स्थिति से ऐसा संकेत मिलता है कि वर्ष 1976-77 में भारी पानी की मामूली सी कमी पड़ेगी। इस कमी को यथासमय पूरा किया जायेगा। आशा है कि उसके बाद भारी पानी का उत्पादन उसकी मांग से अधिक होने लगेगा।

Nationalization of Paper Mills and Paper Distributing Agencies

3056. **Shri Bibhuti Mishra**
Shri Sukhdeo Prasad Verma
Shri Prabodh Chandra
Shri Saroj Mukherjee
Shri C. Janardhanan
Sardar Swaran Singh Sokhi : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(*a*) whether, in the meeting on Democracy, Socialism and Public Sector organised in Delhi on the 27th October, 1974 he had said that the newspaper mill-owners are not making proper

distribution of paper and that the machinery being imported by them for setting up paper mills are also of inferior quality;

(*b*) whether he had also said that paper mills and the paper distributing agencies would be nationalized; and

(*c*) if so, the time by which they would be nationalized?

The Minister of Industry and Civil Supplies (Shri T.A. Pai) : (*a*) to (*c*): While addressing the seminar, the Minister underlined the need for streamlining the production and the distribution system in the paper industry. He also suggested that industrialists should give up their preference for imported machinery. The Minister also expressed dissatisfaction with the sole agency system and said that the distribution system should be made consumer-oriented.

प्राकृतिक विपदाओं के कारण वार्षिक योजनाओं को धक्का

3057. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) बाढ़, सूखा, और अन्य विपदाओं की असाधारण स्थिति के कारण केन्द्र और राज्यों की चालू और आगामी वार्षिक योजनाओं के समक्ष आने वाली संभावित बाधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि योजना कार्य-क्रमों के मार्ग में रुकावट न आने पाए?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) वर्तमान वर्ष में सूखे तथा बाढ़ की स्थिति कुछ राज्यों की संसाधनों की स्थिति पर निस्सन्देह दबाव डालेंगी। परन्तु जैसे कि राज्यों को सलाह दी गई है कि, वे जहां तक संभव हो सके अपने राहत कार्यक्रमों को विकास कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करें और यदि आवश्यक समझा गया तो इस उद्देश्य के लिए अग्रिम योजना सहायता देने पर विचार किया जाएगा। अभी यह प्रतीत नहीं होता कि इस कारण योजना कार्यक्रमों पर तीव्र प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आशय पत्रों का क्रियान्वयन न करना

3058. **श्री शंकरराव सामन्त**
श्री अर्जुन सेठी : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1974-75 में 31 अक्तूबर, 1974 तक नये कारखानों के लिये कितने आशय पत्र जारी किये गये ;

(ख) इन वर्षों के दौरान कुल कितने कारखाने चालू हुए ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों के पास राज्य-वार ऐसे कितने आशय पत्र थे जो क्रियान्वित नहीं किए गये और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) वर्ष 1972-1973 और 1974 (जनवरी-अक्तूबर) की अवधि में नये उपक्रम स्थापित करने के लिये क्रमश: 522, 473 और 636 आशय पत्र जारी किए गए?

5—816LSS/74

(ख) और (ग). 1972 से जारी किए गए आशयपत्र कार्यान्वियन की विभिन्न स्थितियों में हैं। आशयपत्र जारी होने के बाद एक उपक्रम स्थापित करने में लगभग तीन वर्ष का समय लगता है।

राज्य व्यापार निगम के पास अखबारी कागज

3059. **श्री एस० आर० दामाणी**
श्री बीरेन एंगती
श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के रक्षित भंडार में 10,000 टन अखबारी कागज है और बड़ी मात्रा में आ रहा है और जो इस वर्ष के अन्त तक यहां पर पहुंच जायेगा;

(ख) वर्ष 1974 के अन्तिम तिमाही के लिये इसमें से कितने अखबारी कागज का आवंटन किया गया है; और

(ग) अलाटियों द्वारा धीमी गति से माल उठाये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सामान्यतया राज्य व्यापार निगम से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी आपात कालीन स्थिति से निपटने के लिये बफर स्टाक के रूप में लगभग 10 हजार टन अखबारी कागज रखे । अखबारी कागज की खरीद और आवंटन एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) 1 अक्तूबर, 1974 से 30 नवम्बर, 1974 तक की अवधि के दौरान राज्य व्यापार निगम के स्टाक से कुल 3,222.09 टन अखबारी काज आवंटित किया गया।

(ग) समाचारपत्रों द्वारा स्टाक उठाये जाने के लिये रिलीज आर्डर में 6 महीने की अवधि की व्यवस्था है। अखबारी कागज की थोड़ी मात्रा वाले कुछ मामलों को छोड़कर समाचारपत्र सामान्यतया इस समय सारणी का अनुपालन कर रहे हैं।

वाणिज्यिक वाहनों के वितरण के लिए 'पैनल'

3060. **श्री प्रबोध चन्द्र**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन्
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह
श्री धामनकर : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वाणिज्यिक वाहनों के वितरण के लिये "पैनल" बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका प्रमुख प्रयोजन क्या है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी, विभिन्न निर्माताओं द्वारा तय की गई वितरण प्रणाली में क्षमता और सुधार लाने की दृष्टि से सरकार ने वाणिज्यिक गाड़ियों के वितरण के लिये एक अनौपचारिक समिति का गठन किया है ।

वर्ष 1974 में कोयला उत्पादन का लक्ष्य कम किया जाना

3061. **श्री रोबिन सेन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में कोयला उत्पादन का लक्ष्य कम किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) से (ग) कोयले का उत्पादन लक्ष्य 1974-75 के लिये पहले 900 लाख टन निर्धारित किया गया था परन्तु बाद में इसे 950 लाख टन तक बढ़ा दिया गया। यद्यपि, 1974-75 के कोयला उत्पादन के बारे में हाल में किए गए मूल्यांकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष के दौरान 880 लाख टन उत्पादन होगा, 900 लाख टन के पहले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रयास किए जा रहे हैं।

उपग्रहों द्वारा भारतीय अणु विस्फोट देखा जाना

3062. **श्री सरजू पांडे**
श्री वयालार रवि } : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक डा० आर० रामन्ना ने कहा है कि उपग्रह अणु विस्फोट के पोखरण स्थल को कई दिनों तक देखते हुए देखे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख): 8 नवम्बर, 1974 को दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग द्वारा आयोजित एक व्याख्यान में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक डा० आर० रामन्ना ने अपने भाषण में सरसरी तौर पर कहा था कि कोई भी व्यक्ति प्रत्येक रात्रि को उपग्रहों को गुजरते हुए देख सकता है तथा पोखरन में शान्तिमय प्रयोजनों के लिये परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में लगे व्यक्ति भी रात्रि में उपग्रह देखा करते थे। इन उपग्रहों द्वारा फोटो लिए जा सकते थे। हमें यह मालूम नहीं है कि उन्होंने फोटो लिये अथवा नहीं।

Number of Jawans of B.S.F. and C.R.P. injured and killed during encounters with Rebel Nagas

3063. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) the number of jawans of the Border Security Force and the Central Reserve Police injured and killed in encounters with rebel Nagas during the last six months;

(*b*) the number of rebel Nagas apprehended and killed; and

(*c*) the extent of success achieved by Government in suppressing the rebel Nagas?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) During the last six months from 1st June 1974 to 30th November, 1974, 1 constable of the Central Reserve Police was killed and 1 Deputy Superintendent of Police was injured in encounters with the Naga rebels. There were no casualties of the Border Security Force during the same period.

(*b*) 1 Naga rebel was killed and 71 were apprehended in encounters with the Central Reserve Police and the Border Security Force during the last six months.

(*c*) About 1560 underground Nagas belonging to the former so called "Revolutionary Government of Nagaland" have come over-ground and surrendered with about 300 weapons since 16th August, 1973. Security forces have tightened their operations to intercept a gang of underground Nagas attempting to proceed to China. 31 members of this gang have been apprehended in recent operations. Among the Nagas who have continued to remain underground, 15 Naga rebels have been killed and 464 apprehended in security operations during the current year uptil 31st October, 1974.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी की गिरफ्तारी के मामले में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम का दुरुपयोग

3064. **श्री माधव राव सिंधिया**
श्री हुकम चन्द कछवाय
श्री ईश्वर चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सितम्बर, 1974 के अंतिम सप्ताह में दिल्ली के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों के सम्पादकीय लेखों में प्रकाशित इस आलोचना की ओर दिलाया गया है कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत श्री अटल बिहारी वाजपेयी को गिरफ्तार किया जाना इस अधिनियम का दुरुपयोग है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) सरकार ने आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बिहार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की गिरफ्तारी तथा नजरबन्दी के बारे में कुछ समाचार पत्रों में सम्पादकीय टिप्पणियां देखी हैं।

(ख) और (ग). राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 24 सितम्बर, 1974 को मोतीहारी में ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे जिला अधिकारियों को यह आशंका उत्पन्न हुई कि स्थानीय जेल में रखे गये नजरबन्दों को बलपूर्वक मुक्त करने के लिए जनसंघ तथा उसके समर्थक प्रयत्न करेंगे। 24 सितम्बर, 1974 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी मोतीहारी में थे और नगर में उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखते हुए स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट ने लोक व्यवस्था को बनाये रखने में उनको किसी प्रतिकूल ढंग से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के उपबन्धों के अधीन 24 सितम्बर, 1974 को उनकी नजरबन्दी का आदेश दिया। स्थिति का पुनरीक्षण करने के बाद राज्य सरकार ने नजरबन्दी आदेश समाप्त कर दिये और 26 सितम्बर, 1974 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी को मुक्त कर दिया।

पश्चिम बंगाल में दियासलाई उद्योग में कच्चे माल की कमी

3065. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कच्चे माल की कमी के कारण पश्चिम बंगाल में दियासलाई उद्योग ठप्प होने की स्थिति में है; और

(ख) कच्चा माल सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तमिलनाडु में नेल्लीथुराय पनबिजली परियोजना को स्वीकृति

3066. श्री सी० जनार्दनन : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु की नेल्लीथुराय पनबिजली परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या केरल सरकार ने कावेरी विवाद के निपटारे से पूर्व उक्त योजना को क्रियान्वित करने पर आपत्ति प्रकट की है और उस राज्य सरकार को कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय लिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यद्यपि योजना आयोग ने परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी थी परन्तु केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने अभी तक इसे अनुमोदित नहीं किया है।

(ख) से (घ). जी, नहीं । नेल्लीथुराय जल-विद्युत परियोजना में, जैसा कि तमिलनाडु ने प्रस्ताव किया है, भवानी नदी (जो कावेरी की एक सहायक नदी है) पर पिल्लूर बांध के नीचे टेल रेस निस्सरण का विद्युत् उत्पादन के लिये समुपयोजन परिकल्पित है। केरल का तर्क यह है कि चूंकि यह परियोजना काबेरी बेसिन में स्थित है, इसलिए इसे उनकी पूर्व-सहमति के बिना स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये । इस मामले की जांच की जा रही है।

Reservation of Items for Small Scale Industries

3067. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(*a*) the items reserved and the items not reserved for small scale industries before the Fifth Five Year Plan;

(*b*) whether any Committee has been constituted for the purpose; and

(*c*) if so, when, and names of the members of the Committee?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (SHRI A.P. SHARMA) : (*a*) A list of industries reserved for exclusive development in the Small Scale Sector as at the end of Fourth Five Year Plan period is attached. [*Placed in Library. See No. L.T.* 8658/74).]

(*b*) Yes, Sir.

(*c*) A Standing Committee with the following members was constituted on 10th June, 1974.

(i) Shri S. S. Marathe, Chairman Bureau of Indl. Costs and Prices.	Chairman
(*ii*) The Economic Advisor, Ministry of Commerce.	Member
(*iii*) A representative of Director General of Technical Development.	Member
(*iv*) Shri Swarajya Prakash, Director, Office of DC(SSI).	Member-Secretary

इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड उद्योग मंडल, केरल के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

3068. **श्री वयालार रवि :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड उद्योग मंडल, केरल के श्रमिक गत दो महीनों से हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच विवाद की मुख्य बातें क्या हैं और इस मामले को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) वर्तमान हड़ताल के कारण उक्त कम्पनी को कुल कितनी हानि हुई ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी ने कर्मचारियों की यूनियनों के साथ पहले हुए करार में की गई एक इसी प्रकार की व्यवस्था के अनुसार वेतन सम्बन्धी नये प्रस्तावों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के लिये अधिकतम सीमा निर्धारित की है। तथापि, प्रबन्धन ने मंहगाई भत्ते के उस अधिकतम सीमा तक पहुंचने से पहले ही इस बारे में पुनर्विचार करने की पेशकश की है। आल्वे की यूनियनों को यह बात स्वीकार नहीं है। सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने समझौते की दिशा में जो प्रयास किया था उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली ।

(ग) पिछले दो महीनों में कम्पनी को उत्पादन में कुल मिलाकर लगभग 28 लाख रुपये की हानि हुई है।

गरीबी के स्तर से नीचे जीवन-यापन कर रही जनसंख्या

3069. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**
श्री बीरेन एंगती
श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कुल कितनी जन-संख्या गरीबी के स्तर से नीचे जीवन-यापन कर रही है;

(ख) कौन से राज्य इस संबंध में सबसे गरीब हैं ; और

(ग) गरीबी दूर करने के लिए सरकार का क्या आमूल उपाय करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उपलब्ध अनुमान के अनुसार 40 प्रतिशत या 22 करोड़ लोग गरीबी के स्तर से नीचे जीवन निर्वाह कर रहे हैं।

(ख) वर्ष 1964-65 के बारे में उपलब्ध राज्य-वार अनुमानों के अनुसार गरीबी के स्तर से नीचे रहने वालों की संख्या सबसे ज्यादा केरल और उड़ीसा में 61.7 प्रतिशत थी। इसके बाद तमिलनाडु (52·1 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश (50·1 प्रतिशत), कर्नाटक (49·6 प्रतिशत) और गुजरात (48.2 प्रतिशत) का स्थान था। पश्चिम बंगाल (47.7 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (46.1 प्रतिशत) थे जहां गरीब लोगों की संख्या अखिल भारतीय औसत से ज्यादा थी। अन्य राज्यों में भी ऐसे गरीब लोग थे जो अखिल भारतीय औसत से निचले स्तर पर जीवन निर्वाह कर रहे थे।

(ग) इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इस देश में गरीबी की समस्या बहुत गम्भीर और व्यापक है और थोड़े समय में उसका निदान करना सम्भव नहीं। पांचवीं योजना विकास कार्यनीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक काफी समय तक निरन्तर प्रयास/विकास के द्वारा गरीबी का उन्मूलन करना है। समस्त विकास प्रयत्न पर गरीबी के उन्मूलन के कार्यक्रम के रूप में देखना चाहिए।

परन्तु यह देखा गया है कि ऐसे गरीबी के स्थल (पाकेट्स) हैं जिन्हें तत्काल राहत देने की आवश्यकता हैं। इस प्रकार की निपट गरीबी को कम करने के उद्देश्य से चौथी योजना में अनेक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए और उन्हें अग्रेनीत कर तथा सुदृढ़ कर पांचवीं योजना के अधिक व्यापक कार्य क्रमों के साथ एकीकृत किया गया है। इनमें सूखा प्रवृत क्षेत्रों के लिए स्कीमें पशुपालन व मत्स्य पालन के विकास की स्कीमें, रेशम उद्योग की स्कीमें लघु व सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए कार्यक्रम तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए विभिन्न सुविधाएं और रियायतें आती हैं। "आम आवश्यकता की वस्तुएं तथा सेवाएं" उपलब्ध करने की एक महत्वपूर्ण स्कीम भी राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्य-क्रम के अन्तर्गत है। इसके अन्तर्गत मुख्य काम हैं पीने के पानी की व्यवस्था, ग्रामीण सड़कें, बिजली प्रारम्भिक शिक्षा, पोषाहार और स्वास्थ्य आदि हैं। इनके लिए पांचवीं योजना में 2800 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

गौरेपुर कन्टेनरर्स एण्ड क्लोजरर्स, नेहाटी के कर्मचारियों को मजूरी का भुगतान

3070. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौरेपुर कन्टेनरर्स एण्ड क्लोजरर्स नेहाटी 24 परगना पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को इस कारखाने को सरकार द्वारा अपने अधिग्रहण में लेने से पूर्व की अवधि में उनकी अर्जित तथा उनको देय मजूरी, बोनस तथा अन्य भुगतानों की अदायगी नहीं की गई ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) कन्टेनर्स एंड क्लाजर्स लिमिटेड का प्रबंध/सरकार द्वारा लिये जाने से पहले 1 सितम्बर 1972 से

27 सितम्बर 1972 की अवधि की मजदूरी 28 सितम्बर 1972 से 28 नवम्बर 1972 तक कारखाना बन्दी के लाभ तथा 1971 व 1972 वर्षों के लाभाशों का भुगतान मजदूरों को नहीं किया गया है।

(ग) कारखाने के पहले प्रबन्धकों द्वारा ली गई देयताओं के भारी बोझ से राहत दिलाने के लिये, सरकार ने, उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 18 एफ० बी० के अधीन अधिसूचित आदेश जारी कर के उपक्रम के पहली देयताओं पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है।

Television Sets in Cities

3071. Shri Shanker Dayal Singh : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(*a*) the number of cities in the country having television facilities; and

(*b*) the number of television sets in each of these cities?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (*a*) All India Radio has three television centres at Bombay, Delhi and Srinagar and one T.V. transmitting centre at Amritsar. Bombay T.V. centre has, however, a relay centre at Poona.

(*b*) : The number of T.V. licences standing at various Post Offices in the country as on 30 June 74 is given in the attached list, Post Office-wise. [Placed in Library . See No. L.T. 8659/74]. From this a fair idea about the T.V. reception facilities at various places in the country could also be obtained, as enquired in question (a) above.

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट द्वारा विकसित टाइप करने वाला कागज

3072. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोरहाट स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने एक विशेष प्रकार का टाइप करने वाला कागज तैयार किया है जिससे कार्बन के प्रयोग के बिना अनेक प्रतियां निकाली जा सकती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) जी हां, प्रयोगशाला स्तर पर। चूंकि कागज का प्रत्येक शीट उपयुक्त रसायनों से युक्त है जो अगले कागज की शीट पर टाइप करने से या लिखने से छप जाता है, इसलिए डायरेक्ट कापी-पेपर असली लेख की प्रतियां प्राप्त करते समय कारबन कागज के प्रयोग को रोकता है।

मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति पर आई० पी० एस० अधिकारी

3073. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में इस समय कौन-कौन और किन-किन पदों वाले आई० पी० एस० अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं ; और

(ख) ऐसे मंत्रालय में आई०पी०एस० अधिकारियों को लेने का क्या प्रयोजन है जिनका पुलिस या कानून और व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) इस समय केन्द्रीय सरकार के सचिवालय में उप सचिव तथा उससे ऊंचे पदों पर भारतीय पुलिस सेवा के 11 अधिकारी हैं। उन अधिकारियों का तथा उनके पदों की सूची सभा पटल पर रखी जाती है।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय में उप सचिव तथा उससे ऊंचे पदों को विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति तथा केन्द्रीय श्रेणी 1 की सेवा के अधिकारियों द्वारा भरा जाता है। किसी विशेष सेवा के सदस्यों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। चूंकि पुलिस सेवा अब अखिल भारतीय सेवा है, अतः इस सेवा के उपयुक्त अधिकारी भी प्रतिनियुक्ति के आधार पर सचिवालय के पदों पर नियुक्त होने के पात्र हैं।

विवरण

भारत सरकार के अधीन सचिवालय के पदों पर नियुक्त भारतीय पुलिस भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सूची।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद का नाम तथा मंत्रालय
1.	श्री आर० एन० काव	सचिव, मंत्रिमंडल कार्य विभाग।
2.	श्री के० एस० नायर	अतिरिक्त सचिव, मंत्रिमंडल कार्य विभाग
3.	श्री जैकब अब्राहम	संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल कार्य विभाग।
4.	श्री एफ० टी० आर० कालासा	उप सचिव, मंत्रिमंडल कार्य विभाग।
5.	श्री के० एफ० रुस्तम जी	विशेष सचिव, गृह मंत्रालय।
6.	श्री सी० वी० नरसिंहन	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय।
7.	श्री सी० चक्रवर्ती	उप-सचिव, गृह मंत्रालय।
8.	श्री एफ० एस० देवार्स	संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय।
9.	श्री एस० चट्टोपाध्याय	उप सचिव, विदेश मंत्रालय।
10.	श्री के० एन० प्रसाद	संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय।
11.	श्री के० सीतारामन्	निदेशक, इस्पात तथा खान मंत्रालय (खान विभाग)

महत्वपूर्ण क्षेत्र में उद्योग

3074. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महत्वपूर्ण क्षेत्र में शामिल किए जाने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं तथा चयनात्मक आधार पर पूंजी-निवेश एवं चयनात्मक आधार पर ऋण देने का अर्थ क्या है ;

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जहां सरकार ने 'रिजर्वस' पर दबाव पाए हैं तथा उन्हें दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या विदेशी प्रभुत्व वाले क्षेत्र तथा बड़े व्यावसायिक गृह यह प्रचार कर रहे हैं कि विकास का कोई स्तर नहीं है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों का औद्योगिक नीति विषयक एक दल बनाया है। इस दल का कार्य अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए उद्योगों के विकास में आड़े आने वाले अवरोधों को ध्यान में रखते हुए उन उद्योगों का पता लगाना तथा उन्हें सूचीबद्ध करना है जिनमें उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनके लिए स्वीकृतियां प्रदान की जानी चाहिएं, तथा जिनका परिवीक्षण (मांनीटोरिंग) किया जाना चाहिए। दल इस प्रकार के उद्योगों के एककों के लिए सहायता देने में सामान्जस्य सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्रशासकीय तथा वित्तीय एजेन्सियों से सम्पर्क भी बनाए रखेगा ।

(ग) सरकार को ऐसे किसी भी प्रचार का पता नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में डलखोला में विद्युत् संयंत्र की स्थापना

3075. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में डलखोला परियोजना को अन्तिम रूप से मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) चालू वर्ष में उक्त प्रयोजन के लिए कुल कितनी राशि की आवश्यकता है और कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) जी नहीं। डलखोला के स्थान पर कतिपय असुविधाएं हैं—जैसे पर्याप्त रूप से प्रवाही-जल का उपलब्ध न होना और भविष्य में बड़े थर्मल स्टेशन के रूप में इसे विकसित करने के लिए आधारभूत सुविधाओं का अभाव होना । फ़रक्का में जहां पर्याप्त शीतल जल की सप्लाई के साथ सभी सुबिधाएं उपलब्ध हैं एक वैकल्पिक स्थान की जांच की जा रही है ।

विश्व कागज बैंक की स्थापना

3076. **श्री बी० मायावन**
श्री प्रसन्नभाई मेहता } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1974 में पेरिस में हुए 'यूनेस्को' सम्मेलन में उन्होंने सुझाव दिया था कि निर्धन राष्ट्रों के लिए विश्व कागज बैंक स्थापित किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का कितने देशों ने समर्थन किया ;

(ग) क्या निर्धन राष्ट्रों की कागज के मामले में सहायता करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 38 देशों ने भारतीय प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, विपक्ष में कोई नहीं था और 22 देश तटस्थ रहे ।

(ग) तथा (घ) : सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ, विश्व कागज बैंक स्थापित करने सम्बन्धी भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव पारित हुआ था । बैंक का उद्देश्य शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सम्पर्क सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए विशेषकर विकासशील राष्ट्रों की कागज की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है । प्रस्ताव में एक यह सुझाव भी दिया गया था कि यूनेस्को सभी उन्नत देशों से यह अपील करें कि वे अखबारी कागज की ऊँची कीमतों से प्रभावित देशों में कागज निर्माण प्रायोजनाओं में सहयोग करें ।

औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेंस जारी करना

3077. **श्री प्रसन्नभाई मेहता**
श्री के० लकप्पा } : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष केवल अगस्त मास में ही 80 औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेंस जारी किए गए थे;

(ख) सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1974 में अलग-अलग कितने लाइसेंस जारी किए गए; और

(ग) इनमें से कितने लाइसेंस गुजरात में औद्योगिक एककों को जारी किए गए ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) अगस्त, सितम्बर, तथा अक्तूबर, 1974 के महीनों में क्रमशः 88, 78 तथा 105 औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे । इनमें से 22 औद्योगिक लाइसेंस गुजरात को दिए गए थे । नवम्बर, 1974 में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं ।

कोयले का उत्पादन

3078. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ।

(ख) अब तक क्या परिणाम प्राप्त किए गए हैं ; और

(ग) समाज के विभिन्न वर्गों की मांग पूरी करने के लिए उत्पादन बनाए रखने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) तथा (ख) : कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए जो उपाय किए गए हैं, वे इस प्रकार है—ओपन कास्ट खानों तथा यंत्रीकृत भूमिगत खानों में गहन खनि कार्य, बदलाई के लिए आवश्यक उपकरणों की अधिप्राप्ति, खानों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करना, परिवहन सुविधाओं, जिसमें लदान का केन्द्रीकरण शामिल है, में तालमेल रखना, बिना किसी बाधा के लगातार बिजली-पूर्ति मौजूदा खानों का विस्तार, लोहा और इस्पात, विस्फोटक तथा अन्य सामग्री की पर्याप्त पूर्ति का प्रबंध ।

इसके परिणामस्वरूप, 1973-74 के 780 लाख टन कोयला उत्पादन के स्थान पर 1974-75 में काफी उत्पादन होने की आशा है ।

(ग) कोयला उत्पादन में सुधार के लिए किए गए उपायों के अलावा, अनेक खानों को विकसित किया जा रहा है तथा ज्यादातर खानों को इस योग्य बनाने के लिए कि वे मांग की पूर्ति निरंतर करती रहें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है ।

अरुणाचल प्रदेश में ईसाइयों पर कथित अत्याचार

3079. श्री सांगलियाना
श्री के० मारक } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अरुणाचल प्रदेश के सुबानसिरि जिले के ईसाइयों से और फील्ड को-आरडीनेटर, बेपटिस्ट जनरल कान्फ्रेन्स नार्थ बैंक मिशन, तेजपुर से और प्रेसीडेन्ट नार्थ ईस्ट इंडिया क्रिस्चियन कौंसिल, शिलांग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अरुणाचल प्रदेश में ईसाइयों पर अत्याचार के आरोप हैं और सरकार से उनके लिए संरक्षण की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किए हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् । अरुणाचल प्रदेश प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार सुबनसिरि जिले के सागाली क्षेत्र में ईसाइयों तथा गैर ईसाई लोगों के दलों के बीच झगड़े के परिणामस्वरूप अप्रैल, 1974 के दौरान कुछ झगड़े हुए थे और कुछ कच्चे मकान भी जलाए गये थे । विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की गई थी । रिपोर्ट दी गई है कि इस क्षेत्र में स्थिति शान्तिपूर्ण है ।

लघु उद्योगों को कच्चे माल का वितरण

3080. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैरसरकारी क्षेत्र में उत्पादित स्वदेशी कच्चे माल के दोषयुक्त वितरण के कारण देश के लघु उद्योग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और अपने कारखाने बंद करने के लिए विवश हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका निर्माण गैर सरकारी क्षेत्र में किया जा रहा है और जिन पर सरकार का नियंत्रण है । ऐसे मामलों में लघु उद्योगों के विकास आयुक्त राज्य सरकारों के कच्चे माल का वितरण करते हैं और राज्यों के उद्योग निदेशक इस कच्चे माल को छोटे कारखाने में वितरित करते हैं। जिन वस्तुओं पर कोई नियंत्रण नहीं है उनके लिए ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। फिर भी सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि वह उत्पादकों को इन वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए समझा-बुझा कर तैयार करें जिससे छोटे कारखानों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें कम किया जा सके ऐसा दुर्लभ कच्चा माल चाहने

वाले छोटे कारखानों की अलग-अलग क्षमता का निर्धारण करने के लिए भी लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है। जिससे निर्धारित क्षमता के आधार पर राज्यों के उद्योग कच्चे माल का वितरण कर सकें।

दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा पालम में बिजली लगाया जाना

3081. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 सितम्बर, 1974 के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में 'पालम कालोनी अवेट्स पावर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या पालम कालोनी की जनता ने बिजली लगाने के लिए 'सिक्योरिटी' के रूप में 12,000 रुपये जमा करवाये हैं ;

(ग) क्या लगभग दो महीने पहले दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान ने बिजली के कुछ खम्बे भेज थे ; और

(घ) बिजली लगाने का काम रोके जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) कालोनी के प्लाट होल्डरों ने 15,475 रुपये पेशगी रकम के रूप में जमा कर दी है।

(ग) और (घ) दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि उन्होंने दो मास पहले उस जगह बिजली के कुछ खम्बे भेजे थे। बरहाल, बिजली उपकेन्द्र प्रतिष्ठापित करने के स्थल को अभी निर्धारित नहीं किया गया है। इस पर इस समय बिचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक बस्तियों का विकास

3082. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक बस्तियों के विकास हेतु कुल कितनी राशि की मंजूरी दी गई तथा अब तक उसका कितना उपयोग किया गया और राज्य में अब तक कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित हुई हैं तथा एककों की संख्या कितनी है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : औद्योगिक बस्तियों के विकास हेतु पश्चिमी बंगाल सरकार को मंजूर की गयी कुल धनराशि के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। बताया जाता है कि राज्य सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 2 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की है। 30 सितम्बर, 1973 तक 6 औद्योगिक बस्तियों में कार्य हो रहा था तथा एक में निर्माण कार्य चल रहा था। 6 औद्योगिक बस्तियों में कार्यरत लघु उद्योगों एककों की संख्या 81 थीं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में कागज संयंत्र

3083. **श्री एन० ई० होरो**
श्री एन० टोम्बी सिंह
श्री नुरुल हुडा } : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र में कागज परियोजनाओं के बारे में 24 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8022 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परियोजनाओं की राज्यवार अद्यतन प्रगति क्या है; और

(ख) परियोजनाओं के परियोजनावार कब तक पूरे होने की संभावना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में परियोजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार हैं :--

हिन्दुस्तान कागज निगम की नागालैण्ड परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एकक में 1977 में उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा है। जहां तक आसाम में स्थापित की जाने वाली नौगांव और कछार परियोजनाओं का सम्बन्ध है सरकार से अनापत्ति प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव आगे चलाये जा रहे है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के लिये कच्चे माल और अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। निवेश पूर्व सर्वेक्षण संगठनों द्वारा सम्बन्धित वन प्रदेशों का सर्वेक्षण पूरा करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। आवश्यक सामग्री एकत्रित कर लिये जाने के बाद ही सरकार के लिये इस मामले में कोई दृष्टिकोण बना सकना सम्भव हो सकेगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक एस्टेट तथा शैड्स

3084. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में, राज्य-वार औद्योगिक एस्टेट तथा शैड्स के लिए मार्च, 1973 के बाद अद्यतन कितनी राशि मंजूर की गयी तथा कितनी राशि उपयोग में लाई गई ;

(ख) उद्यतन कितने औद्योगिक तथा एस्टेट तथा शैड स्थापित हो गये हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में राज्य-वार औद्योगिक एस्टेट तथा शैड संबंधी प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ग) अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सिवाय पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक बस्तियों और शैडों के लिए मार्च, 1973 के पश्चात् राज्य-वार स्वीकृत की गयी और उपयोग की गयी कुल राशि के बारे में जानकारी संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई है। पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में उत्तर पूर्व क्षेत्र में राज्यों के नाम, मार्च, 1973 के पश्चात् स्वीकृत

की गई राशि, उपयोग की गई राशि, अद्यतन औद्योगिक बस्तियों और शैडों की संख्या और क्षेत्र की औद्योगिक बस्तियों और शैडों से संबंधित प्रस्तावों की रूप-रेखा बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा। देखिये संख्या एल० टी० 8660/74]

दिल्ली टेलीफोन विभाग का पुनर्गठन

3085. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन विभाग का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा पुनर्गठन राजधानी में टेलीफोन सेवाओं में कहां तक सुधार लाएगा तथा उपभोक्ताओं को कहां तक राहत देगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) टेलीफोन एक्सचेजों और उनके उपस्कर के रख-रखाव और टेलीफोन सेवा को दिन प्रति दिन चालू रखने के लिए दिल्ली टेलीफोन जिले के अंतर्गत आने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों को चार क्षेत्रों में बांट दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र का प्रधान एक क्षेत्रीय प्रबंधक है जिसका ओहदा एक उप महाप्रबंधक का है। इन क्षेत्रों के बीच उचित तालमेल रखने के उद्देश्य से टेलीफोन सेवा के प्रचालन और रखरखाव के लिए एक अन्य महाप्रबन्धक की भी व्यवस्था की गई है।

(ग) महा प्रबन्धक के केन्द्रित कार्यालय में उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाला पत्र-व्यवहार इतना बढ़ गया था कि उसकी ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती थी। परिणामस्वरूप उचित ध्यान न देने और विलम्ब होने के बारे में शिकायतें आती थीं। नई विकेन्द्रीकृत योजना के अंतर्गत यह उम्मीद की जाती है कि दिन-प्रति-दिन के काम के बारे में टेलीफोन उपभोक्ताओं की अधिकांश शिकायतों और प्रार्थनाओं पर तुरन्त कार्रवाही की जाएगी। महाप्रबन्धक का कार्यालय भी इन क्षेत्रों के सम्पूर्ण कार्यकलाप पर अधिक कारगर निगरानी रख सकेगा, जिसके लिए महा प्रबंधक को पर्याप्त सहायता की व्यवस्था कर दी गई है। विकेन्द्रीकरण की योजना अभी हाल ही में चालू की गई है। इस नई योजना के पूरी तरह लागू होने में अभी कुछ समय लगने की संभावना है।

दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का छठा उत्पादन यूनिट

3086. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह बताया है कि राज्य सरकार दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के 46 करोड़ रूपये की लागत के छठे उत्पादन यूनिट के लिए बैंक से धन प्राप्त नहीं कर सकती ;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार इस परियोजना को त्याग देगी।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : दुर्गापुर प्रोजैक्ट्स लिमिटेड के छटे उत्पादन यूनिट की स्थापना लागत लगभग 32 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने में जो कठिनाइयां हो रही हैं उनके बारे में पश्चिम बंगाल सरकार ने योजना आयोग को हाल ही में सूचित किया है। परन्तु राज्य सरकार औद्योगिक वित्त निगम, एल० आई० सी० और आई० डी० बी० आई० जैसे अन्य संस्थानों से अपेक्षित सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। इस परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था को अन्तिम रूप देने के बाद परियोजना का कार्यान्वियन आरम्भ किया जायेगा।

मुद्रणालय उद्योग में संकट

3087. **श्री के० लकप्पा**
श्री प्रसन्नभाई मेहता
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मुद्रणालय उद्योग में कागज की कमी के कारण गम्भीर संकट आया हुआ है;

(ख) क्या अधिकांश मुद्रणालय अपने एककों को बंद कर रहे हैं तथा उनमें से कुछ ने कर्मचारियों की छंटनी कर दी है; और

(ग) मुद्रणालय उद्योग को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) : कागज की आम कमी ने छपाई प्रेसों समेत सभी वर्ग के उप-भोगताओं को प्रभावित किया है। परन्तु इसके कारण किसी छपाई प्रेस के बन्द होने के बारे में कोई भी सूचना सरकार के सामने नहीं आयी है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में सीमेंट संयंत्र लगाना

3088. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राउरकेला इस्पात संयंत्र में शीघ्र ही एक सीमेंट संयंत्र लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी०-मौर्य) : (क) सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सर्किल में डाक-तार कर्मचारी

3089. श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सर्किल (पोस्टल ब्रान्च) के डाक-तार विभाग में काम कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को भर्ती और पदोन्नति के मामले में आरक्षण का लाभ दिया जाता है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सर्किल में रेल डाक सेवा, टेलीफोन और तार विभागों में काम करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति के मामले में आरक्षण की सुविधाएं दी जाती हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तमिलनाडु में बिजली घर की स्थापना

3090. श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कोई बिजलीघर स्थापित करने संबंध कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत और क्षमता कितनी होगी?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) तमिलनाडु की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में जो विद्युत् स्कीमें सम्मिलित की गई हैं, उनके ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :

स्कीम का नाम	क्षमता (मेघावाट)	पांचवीं योजना के दौरान लाभ (मेगावाट)	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)
1. कुंडाह जल-विद्युत् स्कीम चरण-चार	110	110	11.26
2. सुरुलिआर जल-विद्युत् स्कीम	35	35	9.61
3. एन्नोर ताप-विद्युत् केन्द्र विस्तार	110	110	22.10
4. कलपक्कम परमाणु विद्युत् परियोजना (केन्द्रीय सैक्टर)	470	470	उपलब्ध नहीं
5. टुटीकोरिन तापीय	400	200	110.00

मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र का चालू किया जाना

3091. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण :**

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिये उपकरणों के बारे में 14 नवम्बर, 1973 के तारांकित प्रश्न सं० 53 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त संयंत्र को चालू करने के लिये आवश्यक सामान का देश के भीतर ही विकास करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उक्त संयंत्र के कब तक चालू होने की सम्भावना है।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) इसमें से बहुत सी सामग्री के संभरण के देशी स्रोतों का विकास करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है, शेष सामग्री के सम्बन्ध में ऐसा करने के लिए समुचित प्रयास जारी है ।

मद्रास परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट के सन् 1977 में तथा दूसरे यूनिट के सन् 1979 में क्रान्तिकता प्राप्त कर लेने की सम्भावना है । आशा है कि ये यूनिट क्रान्तिकता प्राप्त करने के कुछ महीनों बाद पूरी क्षमता से काम करने लगेंगे ।

पूर्वी क्षेत्र में बिजली की कमी

3092. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बतानें का कृपा करेंगे कि पूर्वी क्षेत्र में बिजली की कमी को दूर करने के लिये क्या वैकल्पिक उपाय किये गए ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : पूर्वी क्षेत्र में बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य आते हैं । इन तीन राज्यों के बिजली बोर्डों के अतिरिक्त, दामोदर घाटी निगम द्वारा भी विद्युत् का उत्पादन किया जाता है । पूर्वी क्षेत्र में आज विद्युत् सप्लाई की स्थिति पिछले कुछ महीनों की तुलना में काफी अच्छी है । बिहार और दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में उपभोक्ताओं पर कोई पाबन्दियां नहीं हैं । पश्चिम बंगाल में विद्युत् के राशन की स्कीम है और पीकिंग क्षमता की कमी है, परंतु ऊर्जा की स्थिति संतोषजनक है । जल-विद्युत् जलाशयों के वाह क्षेत्रों में इस वर्ष कम वर्षापात होने के कारण उड़ीसा में ऊर्जा की 30 प्रतिशत कमी हुई थी और इसके कारण विभिन्न पाबन्दियां लगानी पड़ीं । उड़ीसा में विद्युत् की सप्लाई को दामोदर घाटी निगम से सप्लाई द्वारा बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल, समग्र. रूप से पूर्वी क्षेत्र में ऊर्जा की कमी केवल 6.6 प्रतिशत तक ही है। ताप विद्युत् केन्द्रों से विद्युत् के उत्पादन में और वृद्धि करने तथा अन्त-र्राज्यीय पारेषण लाइनों आदि के निर्माण में तेजी लाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिससे इस क्षत्र म िभिन्न केन्द्रों के समेकित रूप से कार्य करने में सुविधा हो सकेगी ।

हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को बिजली की सप्लाई

3093. **डा० हरि प्रसाद शर्मा**
श्री हुकम चन्द कछवाय } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार महीनों के दौरान हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बिजली-सप्लाई की स्थिति बुरी तरह अस्त-व्यस्त रही है ;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक मांग कितनी है और प्रत्येक राज्य में कितनी बिजली सप्लाई की गई; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक और कृषि-उत्पादन की कितनी क्षति होने का अनुमान है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राजस्थान में विद्युत् सप्लाई की स्थिति संतोषजनक रही है। बहरहाल, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् की कमी अनुभव कर रहे हैं।

(ख) हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में जुलाई से अक्तूबर, 1974 के दौरान विद्युत् की अनुमानित आवश्यकता और वास्तविक उपलब्धता निम्न प्रकार थी :—

मास	हरियाणा	पंजाब	उत्तर प्रदेश
	(आंकड़े	मिलियन यूनिटों	में)
जुलाई, 1974			
अनुमानित आवश्यकता	6.00	8.00	25.63
वास्तविक उपलब्धता	4.15	5.97	17.19
अगस्त, 1974			
अनुमानित आवश्यकता	6.00	8.00	24.35
वास्तविक उपलब्धता	4.60	5.53	17.65
सितम्बर, 1974			
अनुमानित आवश्यकता	6.50	7.75	24.50
वास्तविक उपलब्धता	4.95	5.98	21.37
अक्तूबर, 1974			
अनुमानित आवश्यकता	7.00	9.00	25.50
वास्तविक उपलब्धता	5.54	5.18	19.12

राजस्थान राज्य की विद्युत् की आवश्यकता पूरी तरह से पूरी हो गई थी । जुलाई से अक्तूबर, 1974 के दौरान राज्य की वास्तविक खपत इस प्रकार थी :

जुलाई, 1974	4.83 जी० डब्ल्यु एच०/दिन
अगस्त, 1974	5.23 जी० डब्ल्यू एच०/दिन
सितम्बर, 1974	6.15 जी० डब्ल्यु एच०/दिन
अक्तूबर, 1974	5.13 जी० डब्ल्यु एच०/दिन

(ग) केवल विद्युत् की कमी के कारण औद्योगिक और कृषि उत्पादन में हुई हानि का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है ।

Request from Chief Ministers of Punjab and Haryana for Supply of Power

3094. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Energy be pleased to state :

(*a*) whether Chief Ministers of Punjab and Haryana had made a joint appeal in September 1974 for an immediate supply of power;

(*b*) whether their demand has since been met;

(*c*) the quantity of power demanded and supplied; and

(*d*) the loss incurred by the Government of these States for not getting power according to their demand?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (*a*) to (*c*) No joint appeal has been received from the Chief Ministers of Punjab and Haryana. However, in September, 1974, separate requests were received from both the Punjab and Haryana for supply of 0·8 million units/day and 1·83 million units/day as relief for saving the Kharif crops from failure. The extent of relief in million units/day provided to these States from Badarpur and Indra Prastha Stations in Delhi is given below :

	Sept.	Oct.	Nov.
Punjab	0·54	0·50	0·635
Haryana	1·27	1·16	1·18

(*d*) : It is not possible to exactly assess the extent of loss due to power shortages in these States.

ऊर्जा की आवश्यकता के बारे में अनुमान

3095. **श्री धामनकर**
सरदार महेन्द्र सिंह गिल } : **क्या ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की ऊर्जा की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) क्या आल इंडिया ग्रिड बनाकर दीर्घावधि आधार पर सब प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा नीति तैयार की जाएगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां। सभी प्रकार की ऊर्जा की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं और उनकी उपलब्धता की जांच पड़ताल करने के लिए भारत सरकार ने एक ईंधन नीति समिति नियुक्त की थी। ईंधन नीति समिति ने 1990-1991 तक की अवधि के लिए ऊर्जा की आवश्यकताओं और ऊर्जा के विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन किया है।

(ख) ऊर्जा मंत्रालय ईंधन नीति समिति की सिफारिशों तथा अन्य संबद्ध तत्वों पर विचार करने के बाद ऊर्जा के क्षेत्र में अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक आधार पर नीतियां तैयार करेगा। सरकार ने विद्युत् के पारेषण तथा वितरण के लिए एक अखिल भारतीय ग्रिड की आवश्यकता को पहले ही स्वीकार कर लिया है।

Five-Day Week

3096. **Shri Mohan Swarup** : Will the Prime Minister be pleased to state :

(*a*) whether Government propose to introduce a 5-day week in the capital; and

(*b*) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel & Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) : (*a*) No, Sir.

(*b*) Does not arise.

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा निर्माण लागत कम करने के लिए तकनीकी सहायता

3097. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की ने निर्माण लागत कम करने के लिए आवास प्राधिकारियों और अन्य एजेन्सियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम प्राप्त हुआ है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) निर्माण लागत कम करने के लिये केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की आवास प्राधिकारियों और अन्य अभिकरणों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, जीवन बीमा निगम, गुजरात आवास बोर्ड, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु आवास बोर्ड, राजस्थान आवास बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास बोर्ड, आदि अभिकरणों को निम्न लागत निर्माण की तकनीकी जानकारियां प्रदान करते हुए, जिनमें निम्न-लागत की छत्त निर्माण प्रणाली, अल्पव्ययी ले-आउट और योजना अल्पव्ययी नींव का पत्थर, ब्लोक, मोसेन्री दीवारें आदि शामिल है की सहायता केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान प्रदान कर रहा है ।

(ग) प्रदान की गई तकनीकी जानकारियों का प्रयोग बड़े-बड़े निर्माण कार्यों में किया गया है जिससे निर्माण की लागत में महत्वपूर्ण किफायत की जा सकी है

मध्य प्रदेश में हरिजनों को परेशान करना

3098. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अभी तक भी उच्च जाति के हिन्दुओं द्वारा हरिजनों को परेशान किया जाता है और पुलिस ने रिपोर्ट किये गये मामलों में से केवल 20 प्रतिशत मामलों में ही कार्यवाही की ; और

(ख) यदि हां, तो हरिजनों को परेशान करने के बारे में पुलिस को रिपोर्ट की गई घटनाओं की जिलेवार संख्या क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) राज्य सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार हरिजनों द्वारा सूचित किए गये प्रत्येक प्रज्ञेय अपराध की जांच की जाती है और उस पर कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है। 1-1-1974 से 30-9-1974 तक की अवधि में पुलिस को सूचित, परेशान करने की शिकायतों की संख्या तथा ऐसी शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जिलेवार सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

औद्योगिक प्रयोजनों के लिए सूर्य-शक्ति का प्रयोग

3099. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए सूर्य-शक्ति का प्रयोग करने के बारे में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां ।

(ख) निम्नलिखित प्रयोगशालाओं में सूर्य-शक्ति के उपयोग पर कार्य किया गया हैं । इन प्रयोगशालाओं के कार्य की प्रगति भी सूचित की गई है ।

(एक) राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली ।

(अ) सोलर कुकर : सन् पचास के बाद प्रारम्भिक वर्षों में यह प्रविधि बाजार में दो फर्मों के द्वारा निकाली गई थी, लेकिन उपभोक्ता पर इसका प्रभाव अधिक नहीं पड़ा।

(ब) सोलर वाटर हीटर (सौर जल ताप-वाहक) : यह प्रविधि व्यापारिक प्रयोग के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को भेजी गई है।

(दो) केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान : रुड़की सोलर वाटर हीटर (सौर जल ताप वाहक) :

सोलर वाटर हीटर बनाने की तकनीकी जानकारी अब तक निम्नलिखित फर्मों को वितरित की गई है :

(i) मैसर्स एम० एस० जे० (इंजीनियरस) लि० रुड़की ।

(ii) मैसर्स बिहार इन्सरात (इंजि०) लि० (समझौता समाप्त कर दिया गया है।)

(iii) मैसर्स फरटा पलसैंन्टा इंजिनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लि० बम्बई ।

मैसर्स एम० एस० जे० (इंजीनियर), रुड़की द्वारा सोलर वाटर हीटर का उत्पादन पहिले ही प्रारम्भ किया जा चुका है।

(तीन) केन्द्रीय नमक और समुद्रीय रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर :

(i) **अच्छी किस्म का जल प्राप्त करने के लिए सौर-भभका :** प्रविधि की ड्राइंग्स आदि के विवरण सौर भभका तैयार करने के लिये चार फर्मों को दिये गये हैं।

(ii) सोलर आइस मशीन प्रारूप नमूने : तैयार किये गये हैं और खोजबीन संबंधी परीक्षणों का जारी है।

(iii) **सोलर हीट एयर इंजन :** ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सूर्यशक्ति का उत्पादन करने के लिए प्राथमिक कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

(चार) सोलिड स्टेट फिजिक्स लैबोरेटरी, दिल्ली—रात सिलिकोन फोटोबोल्टायिक सेल :

यह प्रविधि व्यापारिक प्रयोग के लिये उद्योग को अभी नहीं दी गई है।

दृश्य श्रव्य विज्ञापन निदेशालय द्वारा बंगाली दैनिकों को विज्ञापन दिये जाना

3100. **श्री टुना उरांव**
श्री शंकर नारायण सिंह देव
श्री शक्ति कुमार सरकार } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1000 प्रतियों से अधिक बिकने वाले उन बंगाली दैनिकों, साप्ताहिकों और पाक्षिकों के नाम क्या हैं जिन्हें दृश्य श्रव्य विज्ञापन निदेशालय से विज्ञापन प्राप्त नहीं हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) 1000 प्रतियों से अधिक बिकने वाले उन बंगाली दैनिकों, साप्ताहिकों, और पाक्षिकों के नाम क्या है जिन्हें दृश्य और श्रव्य निदेशालय से विज्ञापन प्राप्त हो रहे हैं ; और

(घ) उक्त लघु दैनिकों, साप्ताहिकों, और पाक्षिकों को सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8661/74]।

(ग) 1000 प्रतियों से अधिक बिकने वाले उन बंगला दैनिकों, साप्ताहिकों तथा पाक्षिकों जिनको चालू वित्तीय वर्ष में अब तक विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापन दिए गये, की एक सूची संलग्न है।

(परिशिष्ट- 2) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8661/74]।

(घ) प्रत्येक विज्ञापन के लिए उपलब्ध धन के अन्दर यथासंभव अधिक से अधिक छोटे तथा मझौले दर्जे के समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का उपयोग करने के प्रयत्न किए जाते हैं। इस प्रयोजन हेतु उठाए गए अन्य कदमों में ये कदम शामिल हैं :—

(1) जन अभियानों को जिला मुख्यालयों तथा मुफसिल क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले छोटे/मझौले समाचार-पत्रों तक सीमित रखना।

(2) बड़े समाचार पत्रों को छोटे आकार के तथा छोटे समाचार पत्रों को बड़े आकार के विज्ञापन जारी करना ।

(3) छोटे समाचार पत्रों को मांउटिड स्टीरियों उपलब्ध करना जिससे प्रत्येक पत्र की प्रति निवेश 7 से 8 रुपये तक की बचत होती है।

(4) संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन अधिक छोटे आकार के समाचार पत्रों को जारी किये जा रहे है ।

(5) सीमावर्ती, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों से प्रकाशित पत्रों के मामले में, न्यूनतम अपेक्षित खपत संस्था को 1000 से घटाकर 500 कर दिया गया ह ।

(6) छोटे समाचार पत्रों के हितों की सुरक्षा हेतु सार्वजनिक उपक्रमों, आदि का प्रचार कार्य करने वाली विज्ञापन एजेंसियों के प्रत्यायन सम्बन्धी सिद्धान्तों में व्यवस्था की गई है। अब विज्ञापन एजेंसियों आई० ई० एन० एस० के सदस्य-पत्रों और आई० ई० एन० एस० के गैर सदस्य पत्रों के बीच एजेंसी कमीशन या ऋण सुविधाओं के विस्तार के मामले में भेदभाव नहीं बरत सकती।

(7) सार्वजनिक उपक्रमों से यह प्रार्थना की गई है कि वे छोटे तथा मझौले दर्जे के यथासंभव अधिक से अधिक समाचार पत्रों को उपयोग करने के लिए अपने प्रचार बजटों में पर्याप्त राशि अलग से रखें।

Communal Riots in the Country

3101. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(*a*) the number of communal riots which took place in the different parts of the country during the last three years;

(*b*) the number of such riots for which Enquiry Commissions were set up as also the names of these Commissions;

(*c*) the number of Commissions whose reports have been received so far, and

(*d*) the time by which the reports of rest of the Commissions are likely to be received?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) During the period January 1972 to the end of October 1974, 694 incidents of communal violence occurred in different parts of the country. These incidents may or may not amount to riots as defined in the Indian Penal Code.

(*b*) to (*d*). The Government of India appointed a one-man commission of Inquiry to inquire into the communal disturbances that occurred in the Sadar Bazar area of Delhi on May 5, 1974 The Commission is expected to submit its report by the middle of December, 1974.

ऊर्जा मंत्री का दामोदर घाटी निगम का दौरा

3102. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही के अपने दामोदर घाटी निगम के दौरे के दौरान निगम के त्रुटिपूर्ण कार्यकरण और विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो दामोदर घाटी निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : दामोदर घाटी निगम के केन्द्रों के कार्यकरण में विभिन्न कठिनाइयों और समस्याओं का अध्ययन करके उनका पता लगाया गया था तथा गत वर्ष के दौरान उपचारात्मक उपाय किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, दामोदर घाटी निगम के केन्द्रों से विशेषकर इस वर्ष सितम्बर से उत्पादन में बहुत अधिक सुधार हुआ है। एक अक्तूबर से दामोदर घाटी निगम ने वस्तुतः विद्युत् की खपत के संबंध में उपभोक्ताओं पर से सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं और वह दामोदर घाटी में अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश को विद्युत् सप्लाई कर रहा है।

मंत्री महोदय ने अपने दौरे के दौरान दामोदर घाटी निगम के कार्यकरण में सुधार देखा।

आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार श्री रणबीर सिंह नरूला के घर को सील करना

3103. **श्री मधु दण्डवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार कथित तस्कर, श्री रणबीर सिंह नरूला के घर को सील करने के लिए चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के आदेश का समय पर पालन करने में डी० आई० जी दिल्ली असफल रहे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या डी० आई० जी० के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट दिल्ली ने 24 सितम्बर, 1974 को श्री रणबीर सिंह नरूला की सम्पत्ति की कुर्की के लिए एक आदेश जारी किया था क्योंकि वह नजरबन्दी के वारन्ट को टाल रहा था। 24 सितम्बर, 1974 को शाम के लगभग 5.00 बजे थाना अधिकारी, पंजाबी बाग ने तीस हजारी न्यायालय से आदेश लिया था। इसकी तामील तीन स्थानों, नामतः पंजाबी बाग; चांदनी चौक में लाजपत राय मार्केट और चान्दनी चौक में भागीरथ प्लेस पर की जानी थी। कुर्की के आदेश की तामिल जारी किए गए आदेश के घंटों के भीतर बहुत सवेरे कर दी गई थी। अतः आदेश के तामिल करने में पुलिस की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एण्ड्र्यू यूल कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

3104. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान एन्ड्र्यू यूल कंपनी के दो सहायक कंपनियों की बिक्री के संबंध में गुप्त सौदों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) क्या इस मामले की जांच करने का आदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) एन्ड्र्यू यूल एण्ड कम्पनी ने अपनी सहायक कंपनियों संबंधी अपने हित को बेचने के संबंध में कोई सौदा नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सी० पी० डब्ल्यू० डी० इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड

3105. श्री विजयपाल सिंह : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री 26 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3468 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम की धारा 31(5) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि जो व्यक्ति किसी समिति की प्रबन्ध समिति में लगातार दो बार पूरी अवधि के लिए अथवा आंशिक अवधि के लिए प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरार के पद पर रह चुका है वह इन पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सी० पी० डब्ल्यू० डी० इन्डस्ट्रियल वर्कर्स कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के प्रैसीडेंट, वाइस प्रैसीडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरार की 22 फरवरी, 1974 के पश्चात् की अवधि को लगातार दूसरा कार्यकाल माना जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में सोसायटी को कोई निदेश दिये गये हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। प्रबन्ध समिति के चुनाव के लिए सोसायटी के सामान्य निकाय की बैठक 27-11-72 को हुई थी। 22 फरवरी, 1974 को बुलाई गई सोसायटी के सामान्य निकाय की बैठक में प्रबन्ध समिति के चुनाव नहीं हुए थे।

(ग) दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1972 की धारा 30(1) के अधीन सोसायटी को सामान्य निकाय की विशेष बैठक बुलाने के लिए निदेश दिया गया है।

निम्न-ताप कार्बनीकरण संयंत्रों की स्थापना करना

3106. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निम्न-ताप कार्बनीकरण संयंत्रों की स्थापना करने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं जिससे पर्याप्त मात्रा में गैस और सोफ्ट कोक प्राप्त हो सके और जिससे प्रति वर्ष पांच लाख टन से अधिक मिट्टी के तेल की खपत रोकी जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का व्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) भारत में निम्नतापीय कार्बनीकरण व गैस संयंत्र लगाने के प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है। अब तक सिंगरैनी कोयले पर आधारित एक निम्न-तापीय कार्बनीकरण संयंत्र आंध्र प्रदेश में लगाने की मंजूरी सरकार द्वारा दी गई है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति में वनस्पति घी का वितरण

3107. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जुलाई से सितम्बर, 1974 के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति को वनस्पति घी की नियमित सप्लाई के बावजूद वितरण उचित ढंग से नियमित नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो दुर्लभ आवश्यक वस्तुओं के समुचित वितरण हेतु क्या आवश्यक कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, नई दिल्ली को जुलाई 1974 से सितम्बर 1974 की अवधि के दौरान वनस्पति घी की सप्लाई उस मात्रा से बहुत कम हुई थी जिसके लिए समिति में पंजीकृत राशन कार्ड-धारी दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित वितरण की मात्रा के आधार पर प्राप्त करने के हकदार थे। 1974 के जुलाई और अगस्त के महीनों में, कुल सप्लाई केवल 23 टन ही थी, जब कि मासिक आवश्यकता 25.354 टन की थी, और सितम्बर,

1974 में कोई सप्लाई प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिये समिति में पंजीकृत राशन कार्ड-धारियों को वनस्पति का उनका कोटा 'पहले आने वाले को पहले' दिये जाने के आधार पर बांटा गया था। इसका बितरण दिल्ली प्रशासन के आदेशों के अधीन, उनके द्वारा निर्धारित कोटे के अनुसार किया गया था।

राजस्थान में नये भारी उद्योग स्थापित करना

3108. **श्री श्रीकिशन मोदी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में नये भारी उद्योग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह उद्योग कहाँ स्थापित किये जायेंगे।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में राजस्थान में किसी नये भारी उद्योग के स्थापित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

सरकार ने राज्य क्षेत्र में, प्रतिवर्ष 24,000 स्कूटरों और तीन पहिये वाले 5,000 स्कूटरों का निर्माण करने के लिये राजस्थान में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु, राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम, जयपुर के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। निगम को पाँचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान अलवर में परियोजना स्थापित करने की आशा है।

राजस्थान के गांवों में नये डाकघरों का खोला जाना

3109. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के अधिकांश गांवों में डाकघरों की व्यवस्था नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इन गांवों में नये डाकघर खोलने की कोई योजना है?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) राजस्थान के 6774 गांवों में डाकघर हैं और 31767 गांवों में डाकघर नहीं हैं।

(ख) किसी गाँव या गांवों के समूह के लिए डाकघर तभी खोले जाते हैं जब डाकघर से होने वाली आय, सबसे नजदीक के डाकघर से गांव की दूरी वार्षिक घाटे आदि से संबंधित शर्तें पूरी होती हैं। किन्हीं गांवों के समूह के लिए खोला गया डाकघर उस डाकघर से दो मील के घेरे में आने वाले सभी गांवों को डाक सेवा प्रदान करेगा।

वित्तीय कठिनाई के कारण, चालू वर्ष के दौरान डाकघर बहुत पिछड़े और पहाड़ी इलाकों में ही खोले जा रहे हैं। वित्तीय कठिनाई के दूर होते ही विभाग की नीति के अनुसार नए डाकघर खोलने के संबंध में विचार किया जाएगा।

राजस्थान के स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन दिया जाना

3110. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में स्वाधीनता सेनानियों के पेंशन के उन मामलों की जिलावार स्थिति क्या है जिन पर कार्यवाही की गई ; जिन पर पेंशन के लिए मंजूरी दी गई, जो रद्द किये गए या जो विचाराधीन हैं?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : ऐसे मामलों के अलग-अलग जिलावार विवरण संलग्न हैं।

विवरण

30-11-74 को राजस्थान में स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन के उन मामलों की स्थिति जिन में कार्रवाई की गई, स्वीकृति दी गई, अस्वीकृति दी गई अथवा जिनमें पूछ-ताछ की जा रही है।

	जिले का नाम	जिनमें कारंवाई की गई	स्वीकृत मामले	अस्वीकृत मामले	पुछ-ताछ के अधीन अर्थात् प्रलेखीय सबूत की कमी के कारण
1	अजमेर	170	105	42	23
2	अलवर	96	69	17	10
3	भीलवाड़ा	41	20	17	4
4	बाड़मेर	15	5	6	4
5	बीकानेर	14	8	2	4
6	बूंदी	9	1	3	5
7	भरतपुर	182	94	68	20
8	बन्सवारा	7	1	2	4
9	चुरू	80	43	26	11
10	चित्तौरगढ़	31	11	17	3
11	दुर्गापुर	9	4	2	3
12	गंगानगर	117	55	22	40
13	जयपुर	163	92	52	19
14	जोधपुर	98	64	25	9
15	जैसलमेर	7	1	3	3
16	झुनझुनु	176	149	13	14
17	झालवारा	9	1	4	4
18	नागोर	27	18	5	4
19	कोटा	20	5	8	7
20	पाली	18	8	5	5
21	सवाई माधोपुर	77	13	54	10
22	सीकर	35	17	9	9
23	सिरोही	18	10	6	2
24	टोन्क	6	1	2	3
25	उदयपुर	120	54	39	27
	जोड़	1545	849	449	247

नोट : 46 नये मामले हैं जिनमें जांच होनी है।

सरकारी कालोनियों में चोरी के मामले

3111. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कालोनियों, विशेषकर किदवई नगर, श्रीनिवासपुरी, एन्ड्रयूजगंज और सेवा नगर, नई दिल्ली में चोरी के मामले बढ़ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान कितने मामले पुलिस के पास दर्ज कराये गए;

(ग) क्या उन सभी मामलों की जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1-5-74 से 31-10-74 तक की अवधि में 1973 की इसी अवधि की तुलना में किदवई नगर और एन्ड्रयूज़ गंज कालोनियों में चोरी के मामलों की घटनाओं में मामूली वृद्धि हुई है जबकि श्रीनिवासपुरी और सेवा नगर कालोनियों में कमी हुई है ।

(ख) से (घ) : विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8662/74**] ।

टेलीविजन सेटों के उत्पादन हेतु जारी किये गए लाइसेंस

3112. **श्री वयालार रवि :** क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीविजन सेटों का उत्पादन करने वाले कुल कितने कारखाने हैं और प्रत्येक कारखाने की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों में नये लाइसेंसों के लिये कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ग) कितने आवेदन-पत्रों पर लाइसेंस दियें गए; और

(घ) कितने आवेदन-पत्र रद्द किए गए और इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) देश में टेलीविजन सेटों का उत्पादन करने वाले कारखानों की कुल संख्या 30 है । इन कारखानों की उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार है :—

2,500 सेट	17 कारखाने
5,000 सेट	7 कारखाने
7,500 सेट	1 कारखाना
10,000 सेट	1 कारखाना
15,000 सेट	1 कारखाना
20,000 सेट	3 कारखाने

(ख) और (ग) 1972 से 1974 के दौरान नए लाइसेंसों के लिये कुल 22 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 4 आवेदकों को लाइसेंस दिया गया (इसमें 100% निर्यात का एक लाइसेंस भी शामिल है) ।

(घ) 16 आवेदन-पत्र रद्द किए गए। टेलीविजन सेटों के निर्माण की क्षमता हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रोनिक्स आयोग ने निम्नांकित मापदण्ड निर्धारित किये थे:—

(1) भारत में टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिए किसी विदेशी सहयोग अथवा जानकारी की आवश्यकता नहीं है।

(2) विदेशी ब्रांड नामों के साथ टेलीविजन सेटों के निर्माण की अनुमति नहीं देनी चाहिए और न ही विदेशी एक्विटी प्राप्त कंपनियों को लाइसेंस दिये जाने चाहिए।

(3) लघु उद्योग क्षेत्र के कारखानों की कुल सामर्थ्य के 50 % या उससे अधिक मात्रा की स्वीकृति देनी चाहिए। सुयोग्य इंजीनियरों/वैज्ञानिकों तथा लघु क्षेत्र कारखानों के सहायता संघों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(4) केन्द्र तथा राज्यों के सरकारी क्षेत्र उपक्रमों तथा राज्य औद्योगिक विकास निगमों से संबद्ध प्रतिष्ठानों को तर्कसंगत क्षमता के लाइसेंस दियें जायेंगे।

(5) प्रयास किए जाएंगे कि निर्माण सामर्थ्य को समूचे देश में समान रूप से बांटा जाय।

वे आवेदन जो उपर्युक्त मापदण्डों के अनुसार नहीं थे रद्द कर दिये गये।

केरल में बेलूर में अखबारी कागज का कारखाना लगाने के लिए भूमि का अधिग्रहण

3113. **श्री वयालार रवि : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बेलूर में अखबारी कागज का कारखाना लगाने के लिए भूमि के अधिग्रहण में कुछ अनियमितताएं की गई हैं और अधिगृहीत भूमि के लिए भूमि के गरीब मालिकों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, और

(ख) : यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) और (ख) केरल परियोजना के लिये भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार की एजेंसीं के माध्यम से किया जा रहा है। किसी अनियमितता के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

हिन्दुस्तान कागज निगम को कुछ भूमि का पार्टियों की राय से अग्रिम कब्जा दिया गया है। जो लोग अग्रिम मुआवजा चाहते थे उन्हें भी दे दिया गया है। कुछ मामलों में सम्बन्धित पार्टियों ने निर्णय हो जाने के बाद ही भुगतान लेने को वरीयता दी थी ऐसे मामलों में पार्टियों को उनकी भूमि का फलोपयोग अधिकार बरकरार रखने की अनुमति दी गई थी।

गोआ के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना

3114. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ में जिलेवार स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के कितने मामलों में कार्यवाही की गई, कितने मामलों में स्वीकृति दी गई तथा कितने मामलों में अस्वीकृति दी गई तथा कितने मामलों में पूछताछ अभी जारी है।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : 30-11-1974 को गोवा के ऐसे मामलों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :—

(1) जिन में कार्रवाई की गई	1532
(2) जो स्वीकृत किये गये	296
(3) जो अस्वीकृत किये गये	765
(4) जिनमें पूछताछ की जा रही है	471

(अर्थात् जहां सूचना अधूरी है)

हिमाचल प्रदेश में कागज मिल

3115. **श्री नारायणचन्द पराशर : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कागज मिल स्थापित करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए कौन-सा स्थल चुना गया है तथा जिस पार्टी ने उक्त मिल की स्थापना करने का निर्णय किया है उसका क्या नाम है, और

(ग) उक्त मिल किस संभावित तारीख तक स्थापित कर दी जायेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों का कागज का निर्माण करने के लिये नये एकक स्थापित करने हेतु सात योजनाओं को स्वीकृति दी गई हैं। अधिकांश योजनायें हाल ही में स्वीकृत की गई हैं तथा उनके कार्यान्वयन की संभावित तारीख, इस स्थिति में नहीं बताई जा सकती पार्टियों के नाम तथा एकक के प्रस्तावित स्थापना स्थल इस प्रकार हैं :—

पार्टी का नाम	स्थापना स्थल
1. एसायड प्रोड्यूस कं०, एच/2, जंगपुरा एक्सटेन्शन, लिंक रोड, नई दिल्ली-14	पौंटा साहिब
2. भार्गव, कन्सल्टिंग एण्ड डिजाइन प्रा० लि० 210, अंसल भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।	पौंटा साहिब
3. श्री हरचरनसिंह ब्रार, मकान नं० 19, सैक्टर-4, चंडीगढ़	अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।
4. जी० पी० गोयल, 3/5 आसफअली रोड, नई दिल्ली	अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।
5. मैसर्स न्यू प्रह्लाद मिल्स लि०, 55-अपोलो स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई	जिला सोलन
6. श्री एच० एस० ग्रेवाल, 102, सैक्टर 9 बी, चंडीगढ़	जिला सोलन
7. श्री डी० पी० सिंह चौधरी, ए-88 डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली	जिला सोलन

हिमाचल प्रदेश में नैफ्था झकरी परियोजना

3116. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से नैफ्था झकरी परियोजना के बारे में शीघ्रता करने का अनुरोध किया; और

(ख) यदि हां, तो किस संभावित तारीख तक सरकार इस मांग पर सहमत हो जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस पर विचार किया जा रहा है।

पंजाब में गांवों में नए डाकघर खोलना

3117. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य के अधिकांश गांवों में डाकघर नहीं हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या गांवों में, विशेषकर अमृतसर जिले में, नये डाकघर खोलने की कोई योजना है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) पंजाब राज्य के 2950 गांवों में डाकघर हैं और 9247 गांवों में, जहां डाकघर नहीं हैं, इन डाकघरों से डाक सेवाएं दी जाती हैं।

(ख) किसी गांव या गांव के समूह के लिए डाकघर तभी खोले जाते हैं जब डाकघर से होने वाली आय, सबसे नजदीक के डाकघर से गांव की दूरी, वार्षिक घाटे आदि से संबंधित निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं। किन्हीं गांवों के समूह के लिए खोला गया डाकघर उस डाकघर से दो मील के घेरे में आने वाले सभी गांवों को डाक सेवा प्रदान करता है।

वित्तीय कठिनाई के कारण, चालू वर्ष के दौरान डाकघर बहुत पिछड़े और पहाड़ी इलाकों में ही खोले जा रहे हैं। वित्तीय कठिनाई के दूर होते ही दूसरे इलाकों के उन सभी स्थानों में जिनमें अमृतसर जिला भी शामिल है, डाकघर खोलने के संबंध में विचार किया जाएगा, जहां शर्तें पूरी होती हैं।

Communal Riots in Delhi

3118. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) the number of times and the dates on which communal riots broke out in the Union territory of Delhi during the last three years;

(*b*) the names of the Commissions or Institutions or other agencies through which an enquiry into the communal riots was conducted;

(*c*) whether Government have received reports of the enquiries into all these riots;

(*d*) if so, the number of reports published indicating the dates on which they were published; and

(*c*) whether as per these reports any institution or political party was found guilty?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs Shri F. H. Mohsin (*a*) : During the years 1972, 1973 and upto the end of October, 1974, three major incidents of communal violence took place in Delhi, on the 12th June, 1973 in the Sadar Bazar area, on the 9th March, 1974 in Farashkhana and on the 5th May, 1974 in Sadar Bazar area.

7—816LSS/74

(*b*) to (*e*) The Lt. Governor, Delhi instituted an administrative Inquiry into the incident of the 12th June, 1973. The Report of the Inquiry Committee has been furnished to the Parliament Library and has also been made available to the Members of Parliament on request. In respect of the disturbances of the 5th May, 1974, the Central Government appointed a one-man Commission of Inquiry on the 25th June, 1974. The Commission is expected to submit its Report by the middle of December, 1974.

गुजरात में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं

3120. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ।

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) द्वारा पहिले ही भावनगर में एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला–केन्द्रीय नमक एवं समुद्र रसायन अनुसंधान संस्थान मुख्य रूप से स्थापित की जा चुकी है ।

(ख) मुख्य रूप से सामान्य नमक उत्पादन जो विभिन्न औद्योगिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, को उन्नत करने, समुद्र और अन्तर्देशीय झील बिटनों, और उससे प्राप्त अन्य पदार्थों के उप-उत्पादों के उपयोग, समुद्री रसायनों के उत्पादन और उपयोग की दिशा में संस्थान की अनुसंधान संबंधी गतिविधियों निर्देशित की गई हैं । पानी के खारेपन को दूर करने के लिये, कृषि के लिये समुद्री पानी का प्रयोग, खाद्य और रसायनों के रूप में समुद्री शैवालों के वाणिज्यिकरण करने संबंधी अनुसंधान कार्य भी संस्थान द्वारा किया जाता है ।

गुजरात में जिला योजनाओं का क्रियान्वित किया जाना

3121. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में जिला योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या गुजरात में इन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए योजना आयोग धन जुटाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) गुजरात में यद्यपि पांचवीं योजना अवधि के लिए औपचारिक जिला योजनाएं नहीं बनाई गई हैं, परन्तु जिलास्तर स्कीमों के लिए वार्षिक योजना 1974-75 में जिलावार ब्यौरा तैयार किया गया है और ये स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं ।

(ख) जी, नहीं । केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों के रूप में दी जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्यम दर्जे के उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई

3122. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुर्लभ कच्चे माल की आवश्यकता वाले उद्योगों की अतिरिक्त क्षमताओं में वृद्धि करने का है ;

(ख) क्या अप्रत्यक्ष रूप से इसका तात्पर्य यह होगा कि अनधिकृति रूप से अधिक उत्पादन करने में लगे औद्योगिक उपक्रमों की नियमितता प्रदान कर दी जायेगी ;

(ग) ऐसे मध्यम दर्जे के उद्योग तथा स्वनियोजित उद्यमी उद्योगों की संख्या कितनी है जिन्हें दुर्लभ कच्चे माल की सप्लाई की जाती है; और

(घ) क्या इन में से अधिकांश फर्मों में कच्चे माल का अभाव रहता है, जिनकी कमी बड़े बड़े बहू-राष्ट्रीय निगमों तथा एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया क्षेत्रों द्वारा पैदा की जाती है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). सरकारी नीति राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में अधिकतम उत्पादन को प्रोत्साहन देने की रही है। किन्तु साथ ही सरकारी नीति मौजूदा नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए विशेषतया विलास और उच्च वर्ग के उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति देने की नहीं है।

(ग) और (घ). औद्योगिक एककों को आयातित कच्चे माल का आवंटन रैड बुक में घोषित नीति के अनुसार किया जाता है। सरकार ने, राष्ट्रीय प्राथमिकता के उद्योगों के रूप में अभिज्ञप्त उद्योगों को सही प्रकार के कच्चे माल और सही मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये, कच्चे माल के आबंटन की वर्तमान प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के निमित्त विशेष सिफारिशें करने के लिये हाल ही में उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में एक समिति का गठन किया है।

परियोजनाओं में पूंजी निवेश के लिए औद्योगिक लाइसेंस देना

3123. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शीघ्र उत्पादन आरम्भ करने के लिए सामरिक परियोजनाओं में पूंजी निवेष करने हेतु लाइसेंस जारी करने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का भी है कि नई उद्योग नीति का प्रयोग एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया गृहों तथा बड़ी-बड़ी बहू-राष्ट्रीय कारपोरेशनों के हितों में न किया जाये;

(ग) 'इन्फ्रास्ट्रक्चर इनपुट उद्योगों' 'केपिटल इनपुट उद्योगों' और 'पास इनपुट उद्योगों' शब्दों का क्या अर्थ है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार नियमित प्रशासन के स्थान पर विकासशील प्रशासन आरम्भ करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (घ) सरकार की यह घोषित नीति है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति इस प्रकार निर्धारित की गई है कि वह पांचवीं योजना में सभी प्राथमिकता उद्योगों के विकास में तेजी ला सकेगी। 2 फरवरी, 1973 को की गई घोषणा के अनुसार विदेशी बहुलांश कम्पनियां (बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित) तथा बड़े औद्योगिक गृह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण उद्योगों अथवा ऐसे उद्योगों से सीधे रूप में सम्बंधित उद्योगों अथवा दीर्घकालीन निर्यात सम्भाव्यता वाले कुछ विशिष्ट कार उद्योगों में भाग लेने के पात्र होंगे। इन उद्योग क्षेत्रों में भी यदि लघु अथवा मध्यम श्रेणी के उद्यमी आवेदक आगे आते हैं तो उन्हें विदेशी बहुलांश कम्पनियों तथा बड़े गृहों के

मुकाबले प्राथमिकता दी जायेगी। एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में आर्थिक शक्ति को कुछ हाथों में अनुचित रूप से केन्द्रित होने से रोकने की व्यवस्था है।

विद्यमान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जिन उद्योगों का विशेष महत्व है उनमें अवस्थापना वस्तुएं और पूंजीगत माल उपलब्ध कराने वाले उद्योग तथा जन उपयोग की निर्धारित वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग सम्मिलित हैं। सरकार का उद्देश्य लाइसैंसिंग और अन्य सम्बन्धित नीतियों के औद्योगिक नीति संकल्प 1950 के मूल सिद्धांतों के अनुरूप टिकाऊ ढांचे को बनाये रखना और आवश्यकतानुसार लाइसेंसिंग और अन्य सम्बद्ध प्रक्रियाओं को और सुप्रवाही बनाना है ताकि निवेश सम्बन्धी प्रक्रियाओं की सभी स्थितियों में तेजी लाई जा सके।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को तथा एम० आर० टी० पी० गृहों को बराबर लाना

3124. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि मंत्री महोदय द्वारा हाल ही में घोषित नई लाइसेंस नीति से केवल बड़े व्यापार गृहों और बहुराष्ट्रीय कारपोरेशन को एम० आर० टी० पी० गृहों के बराबर लाने का है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) : सरकारी नीति सभी उद्योगों में सक्षम लघु एवं मझोले उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की है। विद्यमान नीति विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियों (बहुराष्ट्रीय कम्पनियों समेत) और विशाल औद्योगिक घरानों को कुछ विशिष्ट कोर उद्योगों में भाग लेने की अनुमति देती है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है या जिनकी ऐसे उद्योगों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध ह या जिनकी निर्यात शक्यता दीर्घकालीन है। उद्योगों के इन क्षेत्रों में भी यदि लघु और मझोले उद्यमियों में से उपयुक्त आवेदक आगे आ रहे हैं तो उन्हें विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियों और बड़े औद्योगिक घरानों के मुकाबिले तरजीह दी जाएगी। अतः लाइसेंसीकरण नीति से एकमात्र विशाल घरानों और बहु-राष्ट्रीय निगमों को ही सहायता नहीं मिलती—यह सुनिश्चित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियों और विशाल औद्योगिक घराने/औद्योगिक लाइसेंसीकरण के मामले में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में भाग लेने के पात्र हैं, वहां उन्हें एक दूसरे के बराबर समझा जाता है।

Rural Electrificatian Programme in Madhya Pradesh during 1972-73 and 1973-74

3125. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(*a*) the progress made in the rural electrification programme in Madhya Pradesh during 1972-73;.

(*b*) whether the targets fixed for this period were achieved;

(*c*) if not, the reasons therefor; and

(*d*) the particulars of projects approved by Rural Electrification Corporation for the development of backward (Adivasi) areas of Madhya Pradesh during 1973-74?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (*a*) 1,146 villages were electrified in Madhya Pradesh during 1972-73.

(*b*) & (*c*) : During the Fourth Paln, targets were fixed for energisation of pumpsets only and not for electrification of villages. The target for energisation of pumpsets in Madhya Pradesh was fixed at 50000. As against this, 1,13,673 pumpsets had been energised. Thus target was much exceeded.

(*d*) : During 1973-74 the Rural Electrification Corporation Ltd. sanctioned 9 projects for electrification in areas with predominantly tribal/Adivasi population in Madhya Pradesh. These schemes envisage a loan assistance of Rs. 212.338 lakhs. The datails are given in the statement enclosed. [Pla ced in Library. *See* No. L. T. 8663/74]

Allocation for Rural electrification schemes in M. P. in Fifth Plan

3126. Shri G.C. Dixit. : Will the Minister of **Energy** be pleased to state the allocation made for rural electrification schemes of Madhya Pradesh under the Fifth Five year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : The size and content of the Fifth five Year Plan has not yet been determined. However, an outlay of Rs. 20 crores under the normal programme and Rs. 55 crores under the Minimum Needs programme has been proposed for rural electrification in Madhya Pradesh during the fifth plan. Additional assistance will also be available from Rural Electrificarion Corporation. Ltd.

उड़ीसा के गांवों में नए डाकघर खोलना

3127. **श्री पी० गंगादेव :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के अधिकांश गांवों में डाकघर नहीं हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या उन गांवों में डाकघर खोलने की कोई योजना है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) उड़ीसा राज्य के 5607 गांवों में डाकघर हैं और 45720 गांवों में जहां डाकघर नहीं हैं, इन डाकघरों से डाक सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ख) किसी गांव या गांवों के समूह के लिए डाकघर तभी खोले जाते हैं जब डाकघर से होने वाली आय, सबसे नजदीक के डाकघर से गांव की दूरी, वार्षिक घाटे आदि से संबंधित शर्तें पूरी होती हैं। किन्ही गांवों के समूह के लिए खोले गए डाकघर, उस डाकघर से दो मील के घेरे में आने वाले गांवों को डाकघर सेवाएं प्रदान करते हैं।

वित्तीय कठिनाई के कारण, चालू वर्ष के दौरान डाकघर बहुत पिछड़े और पहाड़ी इलाकों में ही खोले जा रहे हैं। उड़ीसा राज्य में वर्ष 1974-75 के दौरान ऐसे इलाकों में 50 डाकघर खोले जाने की संभावना है।

उड़ीसा द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना

3128. **श्री पी० गंगादेव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में जिलेवार पेंशन संबंधी जांच पड़ताल, मंजूर किए गए, अस्वीकार किए गए अथवा विचाराधीन पड़े पेंशन के मामलों की स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के उन मामलों की स्थिति का विवरण जिनमें कार्रवाई की गई, स्वीकृति दी गई, अस्वीकृत किए गए और जिनमें पूछताछ की जा रही है :—

जिले का नाम	जिनमें कार्रवाई की गई	स्वीकृत मामले	अस्वीकृत मामले	पूछताछ के अधीन*
1. भुवनेश्वर	2	—	—	2
2. बालासोर	978	396	450	132
3. बोलानगीर	20	8	7	5
4. कटक	1885	941	698	246
5. घेनकानल	601	253	298	50
6. गन्जम	438	107	82	249
7. कोरापुट	937	398	441	98
8. कालाहन्डी	45	8	26	11
9. कियोन्झर	48	24	11	13
10. मयूरगंज	54	7	27	20
11. पुरी	2322	860	1046	416
12. पूलबनी	12	5	4	3
13. सुन्दरगढ़	214	6	180	28
14. सम्बलपुर	230	109	78	43
	7786	3122	3348	1316

*अर्थात् सूचना अधूरी है।

उड़ीसा में भारी उद्योग स्थापित करना

3129. **श्री पी० गंगादेव : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में नए भारी उद्योग स्थापित करने का है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा वर्तमान भारी उद्योगों के विस्तार करने पर भी विचार किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में किसी नए भारी उद्योग के स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते, क्योंकि इस समय उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार का कोई एकक नहीं है।

Housing problem in Adivasi Areas

3130. **Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) the action taken by Government to solve the housing problem in the Adivasi areas during the last three years;

(*b*) if no action has been taken the reasons therefor; and

(*c*) whether Government propose to implement any scheme in this regard during the current year and if so, the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) & (*b*) The housing problems of Scheduled Tribes have been taken care of both by general housing programme and by Backward Classes Sector. Under the general sector, scheme for the provision of house sites to landless workers in the rural areas including Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been undertaken. Under the Backward Classes Sector, the anticipated expenditure during the last three years on the housing scheme is Rs. 132·17 lakhs.

(*c*) During the Fifth Plan, States have been asked to prepare sub-plans for Tribal Areas which will cover all aspects of development including housing of the tribal people in those areas. The Sub Plans are under examination of the Planning Commission.

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में कानून और व्यवस्था की समस्या

3131. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में कानून और व्यवस्था की गम्भीर समस्याएं पैदा हो गई हैं जहां परस्पर विरोधी दलों द्वारा छुरा घोंपना और रिवाल्वर दिखाना आम बात हो गई है;

(ख) क्या समाज विरोधी तत्वों के प्रवेश तथा पुलिस बल की कमी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अधिकारी स्थिति पर नियंत्रण करने में विवशता तथा असमर्थता प्रकट कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो शैक्षिक तथा अध्ययन संबंधी गतिविधियों के लिए वातावरण उपयुक्त बनाने हेतु तत्काल क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। प्रांगण में अपराध की घटनाओं में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है।

दिल्ली पुलिस को विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने कहा है कि किंग्सवे कैम्प, विजय नगर और चन्द्रावल इत्यादि इलाकों से प्रांगण क्षेत्रों में समाज विरोधी तत्व प्रवेश करते हैं। दिल्ली पुलिस अपराध तथा छेड़-छाड़ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से दिल्ली विश्वविद्यालय प्रांगण को पर्याप्त संरक्षण प्रदान कर रही है। विश्वविद्यालय के प्रांगण के बाहर कड़ी गश्त लगाई जा रही

है। जब कभी अपराध होने की कोई विशेष शिकायत की जाती है तो तुरन्त कार्रवाई तथा उपचारी उपाय किए जाते हैं।

पोंग बांध में जल स्तर

3132. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा घाटी रेलवे में पुरानी रेलवे लाइन तक पोंग बांध का जल स्तर किस तारीख को बढ़ गया था ;

(ख) ब्यास बांध परियोजना के इंजीनियरों ने उक्त रेलवे लाईन को उखाड़ने के लिए रेलवे अधिकारियों को किस तारीख का सुझाव दिया था ;

(ग) क्या उस वास्तविक तारीख से काफी पहले रेलवे लाईन को उखाड़ने का सुझाव देकर परियोजना के इंजीनियरों ने गलती नहीं की है, जब कि जल स्तर काफी अधिक ऊंचा हो गया जिससे लाईन को उखाड़ना अपरिहार्य हो गया है ; और

(घ) यदि हां तो इस रेल लाईन को समय से पहले बन्द कर दिए जाने के कारण हिमाचल प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को महत्वपूर्ण क्षति और जनता को ऐसी असुविधा उत्पन्न करने के लिए, जिससे बचा जा सकता था, कोई दायित्व निर्धारित किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 24 जुलाई, 1974।

(ख) जनवरी, 1973 में यह निर्णय लिया गया था कि रेल लाईन को उखाड़ने का कार्य 1973 के मानसून प्रारम्भ होने से पहले किया जाना चाहिए।

(ग) जी, नहीं। 1973 के मानसून के दौरान $2\frac{1}{2}$ सुरंगों को खुला रखने पर भी, रेल लाईन प्रत्याशित सामान्य बाढ़ों द्वारा जल-मग्न हो गई होती। बहरहाल, 1973 में उस आकार की बाढ़ें नहीं आईं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

थीन बांध परियोजना

3133. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा**
श्रीमती सावित्री श्याम
श्री नवल किशोर शर्मा
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
डा० हरि प्रसाद शर्मा
श्री यमुना प्रसाद मण्डल
सरदार महेन्द्र सिंह गिल
श्री प्रबोध चन्द्र
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष की योजनाओं में से थीन बांध परियोजना को निकाल दिए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस मामले में विलम्ब करने के बाद फिर इस परियोजना को कुछ समय के लिए स्थगित करने का यह निर्णय करने के बारे में, जबकि राज्य सरकार इस बीच काफी धनराशि खर्च कर चुकी है, लिखा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त संदर्भ में पाकिस्तान को रावी के पानी के निर्बाध प्रवाह को रोकने के लिए कुछ कार्यवाही की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) थीन बांध परियोजना के लिए चालू वार्षिक योजना में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी । पंजाब सरकार इस परियोजना की स्वीकृति और इसके लिए उपयुक्त धन-राशि देने के लिए जोर दे रही है । बहरहाल, उन्हें सूचित किया गया है कि इसे कार्यान्वित किए जाने के लिए स्वीकृति देने से पहले इस परियोजना के अन्तर्राज्य पहलू जिनमें इसकी लागत और इससे प्राप्त होने वाले लाभों का विभाजन भी शामिल है, तय किया जाना है। इस मामले को हल करने के लिए प्रयत्न जारी हैं।

(ग) मानसून के दौरान बाढ़ के जल को छोड़ कर रावी नदी के जल पर भारत में समुपयोजन किया जा रहा है। पोंग पर ब्यास बांध के पूर्ण हो जाने पर और वर्तमान माधोपुर ब्यास लिंक की सहायता से मानसून के अधिकांश जल का भी समुपयोजन किया जाएगा।

तलवाड़ा (पंजाब) स्थित पोंग बांध के निर्माण-श्रमिकों की छंटनी

3134. **श्री एम० के० कृष्णन्**
श्री हुकम चंद कछवाय } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रमिकों की ओर से तलवाड़ा (पंजाब) स्थित पोंग बांध के 15000 निर्माण श्रमिकों की सुनियोजित ढंग से छटनी की धमकी से संबंधित कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उन्हें वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के बारे में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) तलवाड़ा में काम कर रहे ब्यास बांध के कार्मिकों ने अपने संगठनों के माध्यम से, पोंग बांध के पूर्ण हो जाने पर अतिरिक्त घोषित होने वाले कर्मचारियों के अन्य परियोजनाओं में नियोजन की मांग की है।

(ग) ब्यास बांध पर काम कर रहे लगभग 14,700 कार्मिकों में से, करीब 1500 की परियोजना के अन्तिम रूप में पूर्ण हो जाने पर रख-रखाव तथा प्रचालन के लिए आवश्यकता होगी और शेष को चरण-बद्ध ढंग से छंटनी किया जाएगा। अब तक 2296 कार्मिकों को छटनी के नोटिस दिए गए हैं। इनमें से 1552 को ब्यास सतलुज लिंक परियोजना यूनिट-एक, बैरा-सियुल और माही बजाज सागर परियोजनाओं में वैकल्पिक नियुक्तियों के प्रस्ताव किए गए हैं। पंजाब, हरियाणा हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों से इन कार्मिकों को

अपने कार्यों पर काम पर लगाने का अनुरोध किया गया है। उनके लिए वैकल्पिक नौकरियों का पता लगाने के लिए परियोजना द्वारा एक नियोजन कक्ष भी खोला गया है। सलाल परियोजना पर शिला बांध [और शाह नहर परियोजना को विभागीय रूप में कार्यान्वित करने का निर्णय अभी हाल में किया गया है। जिससे छंटनी किए गए कुछ कार्मिकों के लिए रोजगार के और मार्ग निकल आएंगे।

केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता

3135. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्री वयालार रवि : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अधीन 1974-75 के लिए योजना आयोग को प्रस्तुत अपने वार्षिक योजना प्रस्तावों में राज्य सरकार ने आवास हेतु अनुसूचित जातियों के लिए 2.50 लाख रुपए और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1.00 लाख रुपए की लागत का प्रस्ताव किया था। प्रस्ताव पर योजना आयोग द्वारा विचार किया गया था, जिन्होंने राज्य सरकार को सामान्य क्षेत्र के अधीन इस प्रयोजन के लिए धनराशि की व्यवस्था करने की सलाह दी है।

अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए केरल राज्य विकास निगम लि० ने आवास तथा नगर विकास निगम को एक आवास योजना प्रस्तुत की है। योजना में राज्य के ग्यारह जिलों में फैले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के प्लाटों पर एक कमरे वाले 2200 मकानों के निर्माण की व्यवस्था है। योजना पर कुल लागत 125.72 लाख रुपए (भूमि की लागत छोड़ कर) है, जिसमें से 116.60 लाख रु० ऋण सहायता के रूप में आवास तथा नगर विकास निगम से मांगे हैं।

रावी परियोजना

3136. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक एक नवम्बर, 1974 के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में "शार्टेज आफ फण्ड्ज डिलेज रावी प्रोजेक्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का निर्माण कार्य पुनः कब तक आरम्भ किया जाएगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इस विषय पर समाचार-पत्रों में कुछ समाचार छपे हैं।

(ख) अन्तर्राज्यीय पहलुओं के तय हो जाने के बाद, परियोजना को कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया जा सकता है।

दिल्ली में वातानुकूलकों के प्रयोग पर प्रतिबंध

3137. **श्री जी० वाई० कृष्णन्**
श्री सी० के० जाफर शरीफ } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में वातानुकूलकों के प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाने संबंधी निदेश जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जहां तक सरकारी कार्यालयों, होटलों, अस्पतालों और जलपान-गृहों का संबंध है, उनके बारे में इस निर्णय संबंधी विशेष बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पड़ौसी राज्यों, जो बिजली के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, की सहायता करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित प्रयोजनों को छोड़कर, वातानुकूलकों के प्रयोग पर रोक लगाने के संबंध में अनुदेश जारी किए है :—

(1) अस्पताल और उपचर्या-गृह ।

(2) निर्माणकारी इलैक्ट्रानिक उपस्कर का प्रयोग करने वाली संस्थाएं/प्रतिष्ठान/संगठन ।

(3) विदेशी दूतावास और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संगटन।

(4) पालम हवाई-अड्डा ।

(5) टेलीफोन एक्सचेंज ।

(6) सरकारी कार्यालयों में सम्मेलन-कक्ष, जहां वायुसंचार की व्यवस्था नहीं की जा सकती अथवा जहां अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं ।

(7) ऐसे होटल तथा रेस्तरां जिनका स्वीकृत लोड 50 कि० वा० से अधिक है ।

(8) ऐसे सिनेमा घर/थिएटर जहां वायु-संचार के अन्य साधन विद्यमान नहीं हैं ।

Number of Raids in Saharanpur (U.P.) under D.I.R.

3138. Shri Mulki Raj Saini : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) the number of raids conducted in Saharanpur (U.P.) under D.I.R. since January 1973;

(*b*) the number of persons arrested under D.I.R. during the same period;

(*c*) the names, occupation and addresses of those persons; and

(*d*) the names of those released on bail.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) to (*d*) Information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the House.

मजूरी करार को क्रियान्वित करना

3139. **श्री के० मालन्ना**
श्री रानेन सेन } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी तक उस मजूरी करार को क्रियान्वित नहीं किया है जिसकी सिफारिश संयुक्त कोयला खान द्विपक्षीय वार्ता समिति द्वारा की गई है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज (घड़ी विभाग), बंगलौर के कार्यकरण की जांच

3140. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ारा गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज (घड़ी विभाग) बंगलौर के कार्यकरण की जांच की गई है ;

(ख) उक्त समय के दौरान कम्पनी द्वारा विभिन्न किस्म की कितनी घड़ियों का उत्पादन किया गया ; और

(ग) इस कम्पनी की घड़ियों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और कम्पनी के कार्यकरण में सुधार करने तथा घड़ियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ताकि अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज लिमिटेड और इसके सभी एककों के कार्य और कार्यकरण की निरन्तर समीक्षा करती है।

(ख) गत तीन वर्षों में बनाई गई हिमटू की विभिन्न प्रकार की घड़ियों की संख्या इस प्रकार है :—

माडल	1971-72	1972-73	1973-74
तारीक .	124	—	12
तारीक (एस० एस०)	142	—	3
सोना . .	1,06,380	1,16,971	1,22,631
जनता . .	1,35,594	1,03,977	1,17,488
जनता (ल्यूमिनस)	5,788	3,725	241
तरुण .	9,067	13,907	7,658
पायलट	39,261	25,739	22,296
जवाहर	23,877	24,936	24,631
सुजाता	27,782	11,242	15,877
नूतन .	29,985	32,945	33,229
जवान .	—	1	5,093
स्वचालित	—	9,557	20,000
सी० के० डी० घड़ियां	—	7,000	48,102
योग	3,78,000	3,50,000	4,17,261

(ग) गत तीन वर्षों में कलाई घड़ियों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नलिखित हैं :—

1971-72	1 लाख रुपये
1972-73	1 लाख रुपये
1973-74	4 लाख रुपये

इस समय इस प्रकार की घड़ियों का उत्पादन देश की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए निर्यात आवश्यक रूप से सीमित मात्रा में करना पड़ता है। घड़ियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

निर्माण द्वारा वस्तु के मूल्य में मजूरी, वेतन तथा धन के रूप में जोड़ा गया अंश

3141. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1960, 1969 और 1973 में विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण में जोड़े गए मूल्य में रुपयों में और प्रतिशत के रूप में वेतन, मजूरी और धन के अंश का राज्यवार व्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित वर्ष 1960 और 1969 के लिए संगत जानकारी प्रदर्शित करने वाला एक विवरण नीचे प्रस्तुत है। [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल टी० 8664/74] बाद के वर्षों के लिए उसी प्रकार की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

कोयला क्षेत्रों के लिए अलग रेलवे का प्रस्ताव

3142. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्रों के लिए अलग रेलवे बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा रेलवे मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा गया है; और यदि हां, तो उस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग

3143. **श्री एम० कतामुतु : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री पांचवीं योजना के दौरान कृषि पर आधारित लघु उद्योगों के बारे में 27 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4853 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों का जाल बिछाने सम्बन्धी विशेष योजनाओं के कार्यक्रम को बना लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें और इसके उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से **(ग)** उद्योगों की एक बृहत् सूची जिसमें अन्य उद्योगों के साथ-साथ कृषि पर आधारित

उद्योग भी शामिल हैं, बना ली गई है तथा अगस्त, 1974 में राज्य सरकारों में परिचलित कर दी गयी है।

ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रमों की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अधीन परियोजना क्षेत्रों में अनेक कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिये सहायता दी गई है। चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक 54 विद्यमान ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं को वित्तीय मंजूरियां देने के अतिरिक्त पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में समूचे देश के चुने हुए पिछड़े जिलों में 57 नये ग्रामीण उद्योग स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

इस कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों को विभिन्न जिलों में ग्रामीण उद्योग परियोजनायें स्थापित करने हेतु ऋण तथा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती हैं। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य अधिकांशतः उस स्थान पर मिलने वाले कच्चे माल तथा उपलब्ध प्रतिमा के आधार पर आधुनिक लघु उद्योग के सघन विकास पर माध्यम से गैर-कृषीय उद्योगों में रोज़गार के प्रर्याप्त अवसर बनाते हुए ग्रामीण आर्थिक ढांचे का विविधीकरण करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने हेतु वहां की पद्धतियों में प्रभावशील तकनीक उत्पन्न करना है।

New Housing Scheme for Harijans

3144. **Shri Ramavatar Shastri :** will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether Government have prepared a new housing scheme for Harijans in the States; and

(*b*) if so the facts thereof and the amount of expenditure proposed to be incurred thereon by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) No, Sir.

(*b*) Does not arise.

इन्टरनेशनल यूथ सेन्टर, नेशनल स्टूडेन्ट्स प्रेस काउंसिल आफ इंडिया और वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की गतिविधियां

3145. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित युवा संगठन अर्थात (एक) दि इण्टरनेशनल यूथ सेन्टर (दो) दि नेशनल स्टुडेन्ट प्रेस काउंसिल आफ इन्डिया और (तीन) दि वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की गतिविधियां किस प्रकार की हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, उनके मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों ने वित्तीय सहायता के रूप में उन्हें कुल कितनी राशि दी हैं;

(ग) क्या इन संगठनों को अमरीकी प्रतिष्ठानों सहित विदेशी साधनों से कोई वित्तीय सहायता मिली है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक विदेशी साधन से कितनी राशि प्राप्त हुई है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) उल्लिखित संगठन की गतिविधियों का एक नोट संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 8665/74]

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों की मंजूरी

3146. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों के कालिज की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मंजूर किये जाने के बारे में दिल्ली प्रशासन के नियमों में कुछ संशोधन किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जाति विद्यार्थी कल्याण एसोसिएशन ने इन संशोधनों का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रशासित कोई अलग योजना नहीं है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की भारत सरकार की योजना संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली समेत सभी राज्यों के लिए लागू होती है। योजना में हाल ही में संशोधन किया गया है और संशोधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) और (घ) अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए अनुरोध किया गया है :

(i) पूर्ण कालिक रोजगार में लगे छात्रों को छात्रवृत्तियां मिलती रहनी चाहिए;

(ii) आई० टी० आई० में व्यवसाय पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृति के लिए पात्र बनाना चाहिए; और

(iii) छात्रवृतियां पाने वाले एक ही माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों की संख्या की सीमा दो नहीं होनी चाहिए।

योजना में संशोधन करते समय इन पहलुओं पर विचार किया गया था।

विवरण

संशोधित योजना में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन

(1) छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन हैं। निर्वाह भत्ते की दरों में अब 1974-75 के शैक्षणिक वर्ष से वृद्धि की गई ह। स्नातक स्तर तक के सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए निर्वाह भत्ते की न्यूनतम दरों में दिन में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए 27 रु० माहवार से बढ़ाकर 40 रु० माहवार तथा होस्टलों में रहने वाले छात्रों के लिए 40 रु० माहवार से बढ़ाकर 70 रु० माहवार किया गया है। पूर्व योजना के अन्तर्गत (उच्च तकनीकी तथा व्यावसायिक अध्ययन के लिए) दिन में अध्ययन करने वाले तथा होस्टलों में रहने वाले छात्रों की अधिकतम दर क्रमशः 60 रु० तथा 75 रु० थी। संशोधित नियमों के अधीन छात्रों की उपरोक्त श्रेणियों को अधिकतम निर्वाह भत्ता क्रमशः 75 रु० माहवार तथा 125 रु० माहवार किया गया है।

(2) आय जांच के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए आय सीमा की अधिकतम सीमा 500 रु० प्र० मा० से बढ़ाकर 750 रु० प्र० मा० की दर की गई है।

(3) अनुसूचित जनजातियों के लिये उपरोक्त आय जांच दूसरे शैक्षणिक वर्ष से लागू होगी।

(4) जो छात्र पूर्ण कालिक रोजगार में है वे पात्र नहीं होंगे।

(5) एक ही माता-पिता/अभिभावक के केवल दो बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(6) महिला छात्रों को प्रथम वर्ष में 10 रु० प्रति माह तथा दूसरे तथा उसके बाद के वर्षों के 15 रु० प्रति मास की अतिरिक्त धनराशि उस छात्रवृत्ति से अधिक दी जायेगी जो पुरुष छात्रों को प्राप्त होती है, और

(7) आई० टी० आई० इत्यादि में व्यवसाय पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे छात्र पात्र नहीं होगें।

कर्नाटक द्वारा कालिनदी परियोजना के लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहायता मांगा जाना

3147. **श्री के० मालन्ना :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार ने कालिनदी परियोजना के लिए इस वर्ष आवश्यक तकनीकी तथा वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने जैसे और जब अनुरोध किया है, उन्हें कालिनदी परियोजना के लिये तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता के लिए भी अनुरोध किया है। यह मामला विचाराधीन है।

अधिक शक्तिशाली ट्रान्सफार्मरों और बिजली के सामान की सप्लाई के लिए विदेशों से क्रयादेश

3149. **श्री राजदेव सिंह :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इतना विकास कर लिया है कि उसे बहुत से विकासशील देशों से क्रयादेश प्राप्त हो सकें;

(ख) यदि हां, तो उन विकासशील देशों के नाम क्या हैं जिनसे उसे अधिक शक्तिशाली ट्रांसफार्मरों और बिजली के अन्य सामान के लिये क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या इसे सप्लाई के लिये विकसित देशों से भी क्रयादेश प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) मलावी, केनिया, इराक, कम्बोडिया, मलयेशिया, संयुक्त अरब गणराज्य, कुवैत, घाना, उगांडा, श्रीलंका, बंगलादेश, तंनजानिया, यमन और इंडोनेशिया।

(ग) जी, हां।

(घ) पोलैण्ड, प० जर्मनी, ब्रिटेन, अमरीका, आस्ट्रेलिया।

टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के कार्यकरण की जांच

3150. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के कार्यकरण की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इसमें किस प्रकार की अनियमितताओं का पता लगा है; और

(ग) उन खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (4) (क) के अन्तर्गत (1) पंजयक, और (2) एतदर्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत सरकार के किसी भी अधिकारी द्वारा लेखा पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का निरीक्षण करने की व्यवस्था है इस धारा के अनुसार कंपनी कार्य विभाग द्वारा निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसके प्राप्त होने पर उपचारात्मक कार्यवाही हेतु जैसी भी आवश्यक समझी जाएगी, रिपोर्ट की जांच की जाएगी।

विभिन्न पन तथा तापीय बिजली उत्पादन एककों की क्षमता का उपयोग

3151. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में, वर्ष-वार, विभिन्न पन तथा तापीय बिजली उत्पादन एककों की कितनी प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया; तथा गत दो वर्षों में इन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) तापीय बिजली उत्पादन एककों के मामलों में पूरी क्षमता का उपयोग करने के मार्ग में अभी भी क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) उन को स्थायी रूप से कब हल किया जायेगा?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विवरण-एक और दो क्रमश: बृहत् ताप विद्युत और जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के संबंध में समुपयोजन प्रतिशतता को दिखाते हैं। (अप्रैल, 1974 से अक्तूबर, 1974 की अवधि के लिए जल विद्युत केन्द्रों के मामले में उत्पादित ऊर्जा के वास्तविक मान दिए गए हैं) **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8666/74]**।

8—816LSS/74

(ख) और (ग) पिछले वर्ष के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय प्रारंभ किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप, इस वर्ष ताप-विद्युत केन्द्रों से उत्पादित ऊर्जा पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा अधिक है। ये निर्णय विद्युत केन्द्रों में विकसित अनुरक्षण, अनुरक्षण और आउटेज के समय में कमी करने, मांग में समानता लाने, प्रणालियों के समेकित प्रचालन, अतिरिक्त पुर्जों की उत्तम उपलब्धता, अपेक्षित किस्म के कोयले की सप्लाई आदि से संबंधित है।

यह प्रत्याशा है कि तापीय ऊर्जा के उत्पादन में विकासोन्मुख प्रवृत्ति जारी रहेगी।

सरगूजा में निम्न-तापमान का कार्बनीकरण संयंत्र

3152. श्री भारत सिंह चौहान
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री नाथू राम अहिरवार
श्री फूल चन्द वर्मा
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सरगूजा जिले में निम्न-तापमान के कार्बनीकरण संयंत्र की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मंजूरी कब तक दे दी जायेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) एक प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करने की संकल्पना की गई है।

Electrification of Tehsils in Rajasthan

3153. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of Energy be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2762 regarding electrification of tehsils in Rajasthan and state :

(*a*) the number of villages electrified the number of tubewells generated and the area of agricultural land brought under irrigation as a result of electrification of 185 tehsils; and

(*b*) the names of tehsils for whose electrification sanction has been accorded indicating the number of Villages to be electrified number of tubewells to be ganerated and the area of land to be brought under irrigation?

The Dupty Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (*a*) Out of total of 32,241 villages in Rajasthan 5820 villages (18%) were electrified till 31-8-1974. 76,017 pumpsets had been energised by that date. No separate statistics are available of the area of agricultural land brought under irrigation as a result of the energisation of pumpsets.

(*d*) Beside 185 tehsil Hedquarters which have already been electrified, the Rajasthan State Electricity Board has given sanction for the electrification of one more tehsil Headquarter Phagi in Jaipur District.

The Rural Electrification Corporation Ltd. a public sector undertaking set up in the Central Sector has sanctioned 54 projects for rural electrification in Rajasthan involving a loan assistance of Rs. 25·84 crores. These projects envisage energisation of 53,915 agricultural pumpsets in 3003 villages.

Deposit Scheme for Installation of a New Telephone

3154 : Shri Shrikrishna Agrawal
Shri M. RAM. Gopal Raddy
Shri Yamuna Prasad Mandal
Shrimati Savitri Shyam :
: will the Minister of **Communication** be pleased to **state :**

(*a*) whether Posts and Telegraphs Department have proposed to introduce new deposit scheme for installation of new telephone connection for mobilizing financial resources.

(*b*) if so, whether new telephone connections are proposed to be provided by lottery only under this scheme ; and

(*c*) if so the facts thereof ?

The Minister of Communication (Dr. Shanker Dayal Sharma : (*a*) to (*c*) The Department already has a scheme known as Own Your Telephone under which a lumpsum deposit is collected from telephone subseribers for mobilising financial resources. The Department considers ways and means to augment its financial resources from time to time.

ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना को पूरा करने में विलम्ब

3155. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास तथा सतलुज नदियों को जोड़ने की एशिया में सबसे बड़ी बहुद्देश्यीय परियोजना के पूरा करने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उससे विभिन्न बिजली तथा सिंचाई एककों की लागत में कितनी वृद्धि हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो०सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पंडोह बग्गी और सुन्दर-नगर सतलुज सुरंगों में परतों के स्तर अत्यधिक खराब और घटिया होने के कारण व्यास और सतलुज नदी को जोड़ने वाली परियोजना को पूर्ण करने में कुछ देरी हो जाएगी। सिंचाई और विद्युत संघटकों में क्रमश: 265 करोड़ रूपये तथा 39.5 करोड़ रुपये लागत आने की प्रत्याशा है जबकि दो वर्ष पूर्व इनका अनुमान 28.5 करोड़ रुपये तथा 27.81 करोड़ रुपये लगाया गया था। यह बढ़ौतरी सामग्री की लागत में अत्यधिक वृद्धि और मजदूरी में वृद्धि होने के कारण हुई।

स्थानीय व्यक्ति (संस आफ दि सौइल) सम्बन्धी सिद्धान्त के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त पैनल की रिपोर्ट

3156. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा**
श्री एन० ई० होरो
श्री वसंत साठे
श्री धामनकर
श्री के० मालन्ना
श्री सी० जनार्दनन
सरदार महेन्द्र सिंह गिल
श्री आर० बी० स्वामीनाथन
: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा स्थानीय व्यक्ति (संस आफ दि सौइल) सिद्धान्त के बारे में नियुक्त किए गए उच्च शक्ति प्राप्त पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). योजना आयोग ने "स्थानीय व्यक्ति" सम्बन्धी सिद्धान्त के बारे में कोई उच्चाधिकार प्राप्त पैनल गठित नहीं किया है। किन्तु पांचवीं योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग ने पांचवी योजना के दौरान जनशक्ति की आवश्यकताओं की जांच करने के लिए और जनशक्ति सम्बन्धी समस्याओं का पता लगाने के लिए एक रोजगार और जनशक्ति सम्बन्धी संचालन दल गठित किया था। इस संचालन दल की सहायता के लिए इंजीनियरी, चिकित्सा, कृषि, शिक्षण, वैज्ञानिक तथा प्रबन्धात्मक जनशक्ति पर छः कार्यकारी दलों का गठन किया गया। प्रत्येक विषय पर एक-एक कार्यकारी दल था। संचालन दल और छहों कार्यकारी दलों ने अपनी रिपोर्टों को अंतिम रूप दे दिया है।

रोजगार और जनशक्ति सम्बन्धी संचालन दल ने अपनी रिपोर्ट में देश की सामान्य रोजगार स्थिति का विश्लेषण करते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त छः श्रेणियों की जनशक्ति की संख्या (स्टाक) की समीक्षा की, पूर्ति का अनुमान लगाया और आवश्यकता ज्ञात की, जनशक्ति की विभिन्न श्रेणियों के विकास और उपयोग से सम्बन्धित स्थिति का सुधार करने के सुझाव दिए, जनशक्ति की मांग और पूर्ति के अध्ययन से संबंधित विधि-विधान सम्बन्धी, तकनीक पर विचार किया, केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों में जनशक्ति तन्त्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया, और केन्द्र तथा राज्य, दोनों स्तरों पर जनशक्ति संबंधी सूचना देने की रीति में सुधार करने के लिए सुझाव दिए।

संचालन दल ने कुछ राज्यों में जनशक्ति के कतिपय वर्गों की कमी तथा अन्य में उनकी अधिकता से सम्बन्धित जनशक्ति के असंतुलन पर भी विचार किया और एक-राज्य से दूसरे राज्य में जनशक्ति की गतिशीलता में आने वाली बाधाओं के कारणों की जांच की। कतिपय राज्यों में इन कार्यपद्धतियों का पुनरीक्षण करते हुए दल ने यह विचार व्यक्त किया कि "सन्स आफ दि स्वाइल" को तरजीह देने के सिद्धान्त पर आधारित कठोर नीति, अधिक उत्पादन और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगी। दल ने आगे इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि कुछ राज्यों द्वारा स्थानीय लोगों को नौकरी में तरजीह देने से संबंधित विचार औचित्य की दृष्टि से राष्ट्रीय हित के अधिक अनुरूप होने चाहिए।

दल ने अन्त में बतलाया कि देश में कमी/अधिकता के रूप में व्याप्त जनशक्ति की असमानतायें केवल इस बात की ओर ध्यान दिलाती हैं कि तकनीकी जनशक्ति की श्रेणियों, जैसे इंजीनियरों, डाक्टरों, सहायक-चिकित्सा कर्मचारियों, कृषि वैज्ञानिकों, वैज्ञानिकों और शिक्षण कर्मचारियों की अन्तः राज्य गतिशीलता को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और यह दलील दी है कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को चाहिए कि कुशल लोगों की गतिशीलता में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के लिये पर्याप्त उपाय करें।

पांचवीं योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देते समय संचालन दल के विचारों और कार्यकारी दलों की रिपोर्टों को ध्यान में रखा गया था।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये के विरुद्ध भारत पुरस्कार विजेता श्री पी० जे० एन्थनी द्वारा विरोध प्रकट किया जाना

3157. **श्री एम० के० कृष्णन्**
श्री के० मालन्ना } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पुरस्कार विजेता श्री पी० जे० एन्थनी ने उनके मंत्रालय से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं के प्रति अपनी नीति की पुनरीक्षा करने का अनुरोध किया है तथा सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैय का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, इस आशय का एक समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था। मामले पर पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

सातूर स्माल मैच प्रोड्यूसर्ज सर्विस इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सातुर (तमिलनाडु) से प्राप्त ज्ञापन

3158. **श्री एम० के० कृष्णन् :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को सातूर स्माल मैच प्रोड्यूसर्ज सर्विस इण्डस्ट्रियल को-आपरेटिव सोसाएटी लिमिटेड, सातूर (तामिलनाडु) से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इस ज्ञापन में दियासलाई उद्योग के लिए कच्चा माल अर्थात् पोटोशियम क्लोरेट, लाल फास्फोरस और दियासलाई का नीला कागज प्राप्त करने में सतूर स्माल मैच प्रोड्यूसर्ज सर्विस एण्डस्ट्रियल को-आपरेटिव सोसाइटी की कठिनाइयां मुख्य रूप से बताई गई हैं।

(ग) दियासलाई के लघु उद्योगों को राहत देने के लिए राजकीय व्यापार निगम ने 245 मी० टन प्रोटोशियम क्लोरेट का आयात किया है जिसमें से 225 मी० टन तमिलनाडु लघु उद्योग विकास निगम को तमिलनाडु स्थित दियासलाई बनाने वाले लघु एककों में वितरण किये जाने के लिए आवण्टित किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि स्थिति को और अधिक सुधारने के लिए 250 मी० टन पोटेशियम क्लोरेट की अतिरिक्त मात्रा का आयात किया जाये। तमिलनाडु में दियासलाई के लघु उद्योग को कच्चे माल के वितरण से सम्बन्धित समस्याओं पर 23 अगस्त, 1974 को मंत्रालय में हुई एक बैठक में विचार किया गया था। इस बैठक में लिये गये निर्णयों में तमिलनाडु के दियासलाई बनाने वाले एककों को देसी स्रोतों से इस कच्चे माल की उपलब्धि बढ़ाये जाने की व्यवस्था है।

तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना के निर्माण कर्मचारियों पर केन्द्रीय सुरक्षा बल द्वारा किये गये प्रहार के बारे में ज्ञापन

3159. **श्री एम० के० कृष्णन् :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना, तूतीकोरिन (तमिलनाडु) के निर्माण-कर्मचारियों पर केन्द्रीय सुरक्षा बल द्वारा किये गये प्रहार के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ ह;

(ख) यदि हां, तो उसकी विषय वस्तु क्या है ; और

(ग) कर्मचारियों को परेशान करने के कारण उन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच मोहसिन) : (क) और (ख) तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के आदमियों द्वारा कार्यकर्त्ताओं पर कथित आक्रमण के बारे में सरकार को दो ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। एक ज्ञापन में यह आरोप था कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तीन आदिमियों ने 11 फरवरी 1974 को परियोजना के कार्यकर्त्ता को पीटा था। दूसरे ज्ञापन में यह आरोप था कि 20 जुलाई, 1974 को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कुछ कर्मचारी अनैतिक इरादे से रात्रि में श्रमिक कालौनी में गये थे और श्रमिकों के घरों में अवैध अनधिकृत प्रवेश किया।

(ग) 11 फरवरी, 1974 की घटना के संबंध में पुलिस की जांच में कोई प्रज्ञेय अपराध करना साबित नहीं हो सका। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई और उन्हें दंड दिया गया।

दूसरे ज्ञापन में उल्लिखित आरोप जांच करने पर सिद्ध नहीं हुए।

राष्ट्रीयकरण से पहले और बाद में कोयले की बिक्री से आय

3161. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या ऊर्जा मंत्री राष्ट्रीयकरण से पहले और बाद में कोयले की बिक्री से आय के बारे में 22 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3170 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० एम० ए० के राष्ट्रीयकरण की अवधि के पश्चात् अर्थात् 1973-74 के लिये अपने लेखों को अंतिम रूप दे दिया है तथा गष्ट्रीयकरण से पहले इसी अवधि के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) कोयला खान प्राधिकरण ने पहले ही अस्थाई आधार पर 1973-74 की राष्ट्रीयकरण से बाद की अवधि तथा प्रबन्धकीय अवधि के लेखे तैयार कर लिए हैं। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 19(3) तथा 19(4) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकरण से पूर्व की देनदारियों को चुकाने और राष्ट्रीयकरण से पूर्व की बिक्री राशि को वसूल करने की दृष्टि से प्रबन्धकीय अवधि के लेखों को औपचारिक रूप से बन्द करने के लिए 30 नवम्बर, 1974 तक प्रतीक्षा करनी थी। उक्त अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत इन लेखों की अभी परीक्षा की जानी है।

अखिल भारतीय तार इंजीनियरिंग कर्मचारी संघ, दरभंगा द्वारा की गई मांगें

3162. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया टेलीग्राफ इंजीनियरिंग एम्पलाईज यूनियन क्लास iii डिविजनल ब्रांच दरभंगा, बिहार ने डिविजनल इंजीनियर टेलीग्राफ दरभंगा को 19 सितम्बर, 1974 को कुछ मांगें पेश की थीं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण पत्र में दे दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8667/74**]।

केरल में टायरों और ट्यूबों के उत्पादन के लिए लाइसेंस/आशयपत्र दिया जाना

3163. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष केरल में मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब बनाने के लिये कम्पनियों को कितने औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र जारी किये गये ; और

(ख) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा ये कम्पनियां कब तक उत्पादन करना आरम्भ कर देंगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) मैसर्स केरल स्टेट कोआपरेटिव रबर मार्केटिंग फैडरेशन लि० कोचीन को एक नये उपक्रम की स्थापना करने व निम्नलिखित शर्तों के अधीन गाड़ियों के 3 लाख टायर तथा ट्यूब और 2 लाख (फ्लैप्स) तैयार करने हेतु केवल एक आशयपत्र 26 जून, 1974 को दिया गया है।

(i) कम से कम 50 प्रतिशत उत्पादन बसों तथा ट्रकों के टायरों का होगा,

(ii) विदेशी सहयोग की आवश्यकता तथा उसकी शर्तों के विषय में वृद्धि कोई हुई तो सरकार को समाधान करना होगा,

(iii) संयंत्रों तथा मशीनरी के आयात के प्रबन्ध के बारे में सरकार का समाधान करना होगा।

चूंकि गाड़ियों के उद्योग के पनपने का समय लगभग 4 से 5 वर्षों का होता है, एकक में 1978-79 तक उत्पादन होने लगने की संभावना है।

पश्चिमी बंगाल में उद्योगों की स्थापना

3164. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1972 से अब तक पश्चिम बंगाल में कितने नये उद्योग स्थापित किये गये हैं और ;

(ख) सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में उन उद्योगों का स्वरूप तथा प्रकार क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में नये उपक्रमों की स्थापना करने के लिये 1-3-72 से 31-10-74 तक की अवधि में 35 औद्योगिक लाइसेंस और 105 आशय-पत्र दिये गये हैं। इनमें से 5 औद्योगिक लाइसेंस और 10 आशय-पत्र सरकारी क्षेत्र में नये उपक्रम स्थापित करने के संबंध में हैं। सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों और आशय-पत्रों का व्यौरा "वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज़, इम्पोर्ट लाइसेंसेज़ एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज", "इण्डियन ट्रेड जरनल" और "जरनल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। 1-3-72 से 31-10-74 तक की अवधि में दिये गये आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंस क्रियान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं क्योंकि नये उपक्रम को उत्पादन शुरू करने में करीब तीन वर्ष लगते हैं।

बर्दवान के भूतपूर्व उप-पुलिस निरीक्षक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

3165. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या गृह मंत्री 21 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3120 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्ष सरकार को कब तक प्राप्त होने की आशा है ;

(ख) उक्त आई० पी० एस० अधिकारी के विरुद्ध जांच आरम्भ होने के बाद से और आगे क्या आरोप लगाये गये हैं; और

(ग) क्या उसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गई है अथवा की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच का काम अपने हाथ में लिया था। उन्होंने जांच पूरी कर ली है और शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आरोपों की जांच करने के अतिरिक्त अब कुछ अन्य आरोप ध्यान में आए हैं और राज्य सरकार द्वारा उनकी जांच हो रही है। वे अनुभव करते हैं कि यथोचित जांच सुनिश्चित करने के लिए आरोपों का स्वरूप इस स्थिति में प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट मिलने पर अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करना पश्चिम बंगाल सरकार का काम है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हैदराबाद में व्यापारिक तथा रिहाइशी स्थानों पर छापे

3166. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अक्टूबर, 1974 में हैदराबाद में अनेक व्यापारिक तथा रिहाइशी स्थानों पर छापे मारे थे ; और

(ख) यदि हां, तो छापों में पकड़े गये दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अक्तूबर, 1974 मास में हैदराबाद में 5 रिहाइशी स्थानों तथा 5 व्यापारिक स्थानों की तलाशी ली थी ।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पकड़े गए दस्तावेजों का सम्बन्ध एक कम्पनी के नकद लेन-देन, इसके संगम अनुच्छेद आदि से हैं ।

Enquiry into silver consumption in Hindustan Photo Films Manufacturing Co.

3167. Shri R.V. Bade
Shri Atal Bihari Vajpayee } : Will the Minister of Industry and Civil Supplies be
Shri Jagannathrao Joshi
pleased to state :

(*a*) particulars of the articles produced by the Hindustan Photo Films Manufacturing Company during the last three years;

(*b*) whether in 1973 accounts, 6,772 kilogram of silver valued at Rs. 37·52 lakhs has been shown as written off;

(*c*) the manner in which this silver was consumed indicating the quantity consumed for each of the various purposes;

(*d*) the value of untraceable quantity of the silver, the names of the persons responsible therefor and the action taken against them; and

(*e*) whether an enquiry of this matter has been got conducted by C. B.I. and if so, the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya) : (*a*) The major items manufactured by Messers Hindustan Photo films manufacturing Company Ltd., during the last three years are :

(*i*) Cine film positive (black and white);

(*ii*) Medical X-ray film; and

(*iii*) Bromide paper.

(*b*) Yes, Sir. This, however, represent the cumulative losses from 1967-68 when the Company commenced production. Moreover, process losses of silver are inherent in the manufacture of films.

(*c*) Silver is used for the manufacture of silver nitrate, an essential raw material, for the preparation of emulsion for coating the film base to make the products photo sensitive. Consumption of silver for the manufacture of different products during 1973-74 is given below :

(*i*) Cine positive	5·99 tonnes
(*ii*) X-ray film	7·36 tonnes
(*iii*) Photograhpic bromide paper	2·44 tonnes

(*d*) Due to lack of valid reference standards for process losses, the entire deficit was treated as loss for the year ended 31st March, 1973. It has, therefore, not been possible to pinpoint responsibility for losses at this stage. Standard norms are now being evolved.

(*e*) No enquiry has been conducted by the C.B.I. into this particular case.

मालदा जिले में सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना

3168. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालदा जिले (उत्तर बंगाल) में खजूरियां के स्थान पर एक सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस विषय पर राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच कोई मतभेद है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या मतभेद है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मई, 1971 में पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने खजूरिया घाट में 120-120 मेगावाट के दो यूनिटों वाले एक ताप-विद्युत् केन्द्र की स्थापना करने के लिए एक संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। बहरहाल, इस स्कीम को पांचवीं योजना के प्रारूप में शामिल करने के लिए स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में ग्राम विद्युतीकरण

3169. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान ग्राम विद्युतीकरण के क्षेत्र में कुछ विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सका है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में क्या कमी रही तथा पांचवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है ; और

(घ) राज्य में ग्राम विद्युतीकरण तथा पम्प सैटों के विद्युतीकरण के मामले में हानि को पूरा करने के लिये तथा राष्ट्रीय विकास दर बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राजस्थान में 32,241 ग्राम है। चौथी योजना की अवधि के दौरान विद्युतीकरण ग्रामों की संख्या 2075 (6.5 प्रतिशत) से बढ़कर 5778 (17.9 प्रतिशत) हो गई। इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण देश में विद्युतीकरण ग्रामों की संख्या 73,722 (13 प्रतिशत) से बढ़ कर 1,56,100 (27.5 प्रतिशत) हो गई। इस प्रकार जहां राजस्थान ने ग्रामों के विद्युतीकरण में अच्छी प्रगति की, वहां यह अभी अखिल भारतीय औसत से पिछड़ा हुआ है। इसके मुख्य कारण ये हैं —(1) राज्य में पर्याप्त पारेषण और वितरण प्रणाली की कमी, (2) वित्तीय संसाधनों की तंगी, और (3) राज्य का आकार और ग्रामों का बिखरा हुआ रूप।

(ग) चौथी योजना के दौरान केवल पम्पसेटों के ऊर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य नियत नहीं किया गया था। राजस्थान में 35,000

पम्पसेटों के ऊर्जन का लक्ष्य नियत किया गया था, जबकि इसके मुकाबले राज्य में 56,334 पम्पसेटों का ऊर्जन किया गया। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान 3703 गांवों का विद्युतीकरण भी किया गया था।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आकार और ब्यौरों का अभी निर्धारण नहीं किया गया है। बहरहाल, इस अवधि के दौरान 3542 गांवों को विद्युतीकृत करने और 28,620 पम्प-सेटों को ऊर्जित करने का प्रस्ताव है।

(घ) राजस्थान में ग्राम विद्युतीकरण के लिए पांचवीं योजना के प्रारूप में 42.20 करोड़ रुपए के परिव्यय (15 करोड़ रुपये राज्य की सामान्य योजना में और 27.20 करोड़ रुपये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत) का प्रस्ताव किया गया है। इस उद्देश्य के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा योगात्मक वित्त की भी व्यवस्था की जाएगी।

देश में "माइक्रोवेव लिंक"

3170. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 'माइक्रोवेव लिंक्स' के नाम क्या हैं जो गत तीन वर्षों में देश में सर्कलवार (पूर्वोत्तर तथा पंजाब सर्कलों के मामले में राज्य-वार) मंजूर किए गए हैं तथा उनकी मंजूरी की तिथियां क्या हैं ;

(ख) इनमें से उन 'लिंक्स' के नाम क्या हैं जिनको इस बीच स्थापित किया गया है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में शेष लिंक्स को सम्भवतः कब तक स्थापित किया जाएगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) डाक-तार विभाग ने देश में एक बहुत बड़े माइक्रोवेव जाल की योजना बनाई है। वस्तुतः प्रत्येक डाक तार सर्किल में माइक्रोवेव प्रणालियों की मंजूरी दी गई है। पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में (सर्किलवार) जो माइक्रोवेव लिंक मंजूर किए गए हैं उनकी एक सूची, मंजूरी की तारीखों सहित संलग्न अनुबंध में दे दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8668/74**]।

(ख) और (ग) जब किसी माइक्रोवेव लिंक की मंजूरी दी जाती है तो उसके लिए स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण और योजना की इंजीनियरी, रेडियो फ्रिक्वेंसी एलोकेशन्स के लिए गठित स्थायी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति, भूमि का अर्जन, इमारतों और टावर फाउंडेशनों का निर्माण, टावर, उपस्कर और विद्युत संयंत्रों के लिए आर्डर देना आदि जैसी बहुत सी प्रारम्भिक कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं। इन योजनाओं के संबंध में ये कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। तथापि, कोई माइक्रोवेव प्रणाली मंजूर करने के बाद उसे चालू होने में करीब 4-5 वर्ष लग जाते हैं। अनुबंध में जिन योजनाओं का उल्लेख किया गया है उनके 1976 से आगे उत्तरोत्तर चालू होने की संभावना है।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के निगमों में लगाई गई पूंजी

3171. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री औद्योगिक विकास मंत्रालय

के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में 27 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4843 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कम्पनियों तथा निगमों में कितनी-कितनी पूंजी लगाई गई है ; और

(ख) क्या उनको हानि से बचाने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में सरकारी उद्यमों की एक कार्य-समिति को गठन किया गया है। समिति को सरकारी उद्यमों के कार्यों में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का कार्य सौंपा गया है। समिति द्वारा बताए गए मुख्य सुझावों में से कुछ इस प्रकार हैं :

1. प्रबन्ध को सशक्त बनाना
2. संयंत्र और निगम स्तर पर संगठनात्मक ढांचे में फेर-बदल करना,
3. संयंत्र प्रबन्ध में सुधार करना,
4. रख-रखाव के कार्यकलापों का विकेन्द्रीकरण करना,
5. संतुलन और अड़चन दूर करने की सुविधाओं की व्यवस्था करना,
6. सामान के प्रबन्ध कार्मिकों के प्रोत्साहन उत्पादन आयोजन और नियंत्रण में सुधार करना,
7. कार्यों की सामायिक समीक्षा और नियंत्रण के लिए उपयुक्त तन्त्र की व्यवस्था करना ,
8. उत्तम सहयोग आयोजना बनाना,
9. अनुसंधान और विकास कार्यकलापों और अन्य तकनीकी सेवाओं को सशक्त बनाना,
10. वित्तीय और विपणन प्रयासों को सशक्त बनाना,
11. औद्योगिक संबंधों में सुधार करना; और
12. अनेक पाली चलाना।

सरकार ने अधिकतर सिफारिशों को मान लिया है और वे क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं।

सामाजिक और धार्मिक संगठनों का तस्करों के साथ सम्पर्क

3172. श्री अजित कुमार साहा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का बिचार उन सामाजिक और धार्मिक संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है, जिनकी तस्करों के साथ गैर-कानूनी सांठगांठ हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : गैर कानूनी गतिविधियों पर कानून के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाती है जो उस सामग्री पर निर्भर होती है जो तस्करी की गतिविधियों के बारे में संबंधित विभागीय एजेंसियों द्वारा पूछताछ के दौरान उपलब्ध होती है ।

Licence Fee

3173. Shri M. S. Purty
Shri Mohan Swarup
Shri Narendra Singh — Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(*a*) whether the Central Government have made ten-fold increase in industrial licence fee with effect from October, 1974;

(*b*) if so, the reasons therefor; and

(*c*) the benefits accrued to the Central Government thereby?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : (*a*) to (*c*) In order to eliminote infructuons and incomplete applications for industrial licences and to meet the increase in costs in dealing with the applications for industrial licences, Government decided to increased the fee for applications for industrial licences from Rs. 50/- to Rs. 500/- with effect from 1st October, 1974. As the investments upto Rs. 1 crore are exempt from industrial licensing, this rise in fee will not effect small and medium entrepreneurs, since in most cases they would not require licences for setting up industries.

पूर्वी क्षेत्र में परमाणु शक्ति संयंत्र

3174. श्री एम० एस० पुरती
श्री राम सहाय पाण्डे
श्री एन० ई० होरो
श्री रानेन सेन
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी
श्री आर० एम० बर्मन
श्री समर गुह
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी — क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में परमाणु शक्ति संयंत्र स्थापित करने का विचार त्याग दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) पूर्वी क्षेत्र में कोयले की सुलभता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने परमाणु बिजली घरों की स्थापना के लिए अन्य ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है जिनमें इस प्रकार के साधन नहीं हैं ।

"टाप इकोनोमिस्टस असेल स्ट्रेटेजी आफ हैवी यूनिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3175. श्री राम सहाय पाण्डे : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 नवम्बर, 1974 को दिल्ली के एक अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र में "टाप इकोनोमिस्ट असेल स्ट्रेटेजी आफ हैवी यूनिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देते समय, डा० बी० एस० मिन्हास तथा डा० पी० आर० ब्रह्मानन्द द्वारा व्यक्त विचारों को अन्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यक्त विचारों के साथ ध्यान में रखा जाएगा।

रविवार को डाक सुविधाएं

3176. **श्री राम सहाय पाण्डेय**
श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवम्बर, 1974 से रविवार को डाक सुविधायें समाप्त कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) लगभग 1600 डाकघरों को जो रविवार को भी खुले रहते थे तथा चल डाकघरों को तारीख 1-11-74 से रविवार को बन्द कर दिया गया है। ये 1600 डाकघर एक्सप्रेस डिलीवरी वाली डाक वस्तुओं, डाक टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री, लेटरबक्सों से डाक को निकासी और तार मनीआर्डरों की अदायगी संबंधी काम करते थे। एक्सप्रेस डिलीवरी सेवा संतोषजनक ढ़ंग से काम नहीं कर रही थी। इसलिए इसे तारीख 1-11-74 से समाप्त कर दिया गया। रविवार को तार मनीआर्डरों की अदायगी की सुविधा इसलिए समाप्त कर दी गई है क्योंकि उनकी संख्या अत्यंत नगण्य होती थी। तथापि, जिन स्थानों पर इन डाकघरों के जरिये डाक टिकटों तथा स्टेशनरी की बिक्री और लेटर बक्सों से डाक को निकासी की सुविधायें पहले दी जाती थीं, वहां ये सुविधायें विभागीय/केन्द्रीय तारघरों, संयुक्त डाक तारघरों (डाकघरों की तार शाखाओं) और रेल डाक सेवा कार्यालयों के जरिये, जो कि रविवार को खुले रहते हैं, अभी भी दी जा रही हैं।

विद्रोही नागा गुटों का बर्मा में भाग जाना

3177. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन विद्रोही नागा गुटों के बर्मा भाग जाने संबंधी समाचार की ओर ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) भारत सरकार ने प्रशिक्षण तथा हथियारों के लिए नागा विद्रोहियों के बर्मा के रास्ते चीन जाने के बारे में प्रैस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) सुरक्षा बलों ने चीन जाने वाले नागा गिरोह के चीन जाने वाले क्षेत्रों में अपनी कार्यवाहियां तेज कर दी हैं और अब तक गिरोह के 42 व्यक्तियों का पता लगाया गया है। इनमें से 30 सदस्यों को पकड़ लिया गया, एक मुठभेड़ में मारा गया, एक पकड़ने के तुरन्त बाद थकान से मर गया, विश्वास है कि 4 डूब गये हैं तथा 2 लड़कियों समेत 6 ने गिरोह छोड़ दिया है।

सुरक्षा कार्यों में सहायता करने के लिए राज्य के अधिकारियों ने भी कुछ असुरक्षित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल लगातार सतर्कता बरत रहे हैं।

पंजाब के स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देना

3178. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देने का केन्द्र सरकार की योजना के अधीन पंजाब के उन स्वाधीनता सेनानियों की जिलावार संख्या कितनी है जिनको पेंशन दी गई है/पेंशन देना स्वीकार नहीं किया गया है। पेंशन देने पर विचार किया जा रहा है।

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के मामले की स्थिति का विवरण जो स्वीकृत किये गये, अस्वीकृत किये गये तथा जिनमें जांच की जा रही है :—

क्र० सं०	जिलों का नाम	स्वीकृत किये गये मामलों की संख्या	अस्वीकृत किये गये मामलों की संख्या	जांच अधीन मामलों की संख्या*
1.	अमृतसर . . .	1358	678	1658
2.	भटिंडा . .	325	142	442
3.	फरीदकोट और फिरोजपुर .	526	382	986
4.	गुरदासपुर	459	152	517
5.	होशियारपुर . .	828	295	751
6.	जलंधर . . .	716	151	661
7.	कपूरथला . .	242	75	249
8.	लुधियाना . .	909	251	711
9.	पटियाला . .	613	138	311
10.	रोपड़ . . .	448	95	395
11.	संगरूर . .	319	98	317
	जोड़ .	6743	2457	6998

*जहां सूचना अधूरी है।

आकाशवाणी भवन में स्वर्गीय बेगम अख्तर की प्रतिमा की स्थापना

3179. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसिद्ध गायिका स्वर्गीय बेगम अख्तर की एक प्रतिमा को आकाशवाणी भवन में स्थापित करने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार आकाशवाणी के अधीन विभिन्न स्थानों पर बेगम अख्तर सहित हमारे प्रमुख संगीतकारों की प्रतिमायें या चित्र लगाने पर विचार करेगी।

विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा रिहा किए गए तस्करों की पुनः गिरफ्तारियां

3180. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या गृह मंत्री आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम का प्रयोग करने के बारे में राज्यों को निर्देश के बारे में 20 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1256 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न उच्च-न्यायालयों द्वारा रिहा किये गये तस्करों को पुन: गिरफ्तार करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : न्यायालयों द्वारा मुक्त किए गये तस्करों को पुन: गिरफ्तार करने के प्रश्न पर प्रत्येक मामले में न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में जांच की जाती है। न्यायालयों के आदेश के अधीन नजरबन्दी आदेश अथवा नजरबन्दी के आधार में कमियों के कारण मुक्त किए गये कुछ तस्करों को न्यायालयों द्वारा बताई गई कमियों को दूर किए जाने के बाद पुन: गिरफ्तार किया गया है ।

शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग

3181. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग करने के बारे में आगे क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या उस सम्बन्ध में कोई अल्पावधि और दीर्घावधि योजनाएं बनाई गई हैं और यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) न्यूक्लीय ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों में करने के लिए उठाये गये विभिन्न कदमों का ब्यौरा इस विभाग के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन में दिया गया है। यह प्रतिवेदन माननीय सदस्यों के लिए प्रचारित किया गया था तथा उसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

अमरावती, चंदा, यवतमाल, बर्धा और भण्डारा जिलों के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना

3182. **श्री वसंत साठे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने (i) 70 वर्ष से अधिक आयु के (ii) आर्थिक दृष्टि से संकटाग्रस्त और चिर अस्वस्थ स्वतंत्रता सेनानियों तथा (iii) ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को, जो पेंशन की मंजूरी के बाद मर गये अथवा जिन के मामले पर विचार करना बाकी था, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने के लिए प्राथमिकता देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो अमरावती, चन्दा, यवतमाल, बर्धा, और भण्डारा जिलों (महाराष्ट्र राज्य) में ऐसे कितने मामले अभी अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ग) क्या मृत स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस समय इन जिलों के स्वतंत्रता सेनानियों के ऐसे कोई मामले लंबित नहीं हैं।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार पेंशन प्राप्तकर्त्ता की मृत्यु की रिपोर्ट मिलने पर स्वतंत्रता सेनानियों के जीवित पात्र आश्रितों अथवा उनकी विधवाओं को पेंशन स्वीकृत करने के लिये शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

'पिन' कोड व्यवस्था

3183. **श्री वसंत साठे**
श्री धामनकर } : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रों आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में कुशलता लाने के लिए लागू पिन कोड व्यवस्था अपेक्षित प्रगति नहीं कर रही है,

(ख) यदि हां, तो पिन कोड व्यवस्था को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ;

(ग) क्या सरकारी स्तर पर पिन कोड का पर्याप्त प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं। आम जनता इस प्रणाली को उत्तरोत्तर अपना रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। केन्द्रीय और राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे अपनी मातहत यूनिटों को पिन कोड प्रणाली इस्तेमाल करने की सलाह दें। यह प्रणाली व्यापक रूप से अपनाई जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

'ट्यूब शार्टेज हिट्स टी० वी०' सम्बन्धी समाचार

3184. **श्री वसंत साठे :** क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 नवम्बर, 1974 के अंग्रेजी समाचारपत्र के दिल्ली संस्करण में 'ट्यूब शार्टेज हिट्स टी० वी०' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उस में की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) सरकार को यह पता है कि भारत इलैक्ट्रानिक्स द्वारा टलीवीजन पिक्चर ट्यूबों के उत्पादन में वर्तमान कमी के कारण संगठित व लघु दोनों क्षेत्रों के टेलीविजन निर्माताओं

पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इस कमी के असर को यथा संभव घटाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। ये इस प्रकार हैं :—

1. वर्तमान आयात नीति के अंतर्गत इस वर्ष जारी (तथा गत वर्षों से गैर इस्तेमाल शुदा) रुपया अदायगी क्षेत्र के लाइसेंसों को पिक्चर ट्यूबों के आयात हेतु प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है।

2. वास्तविक प्रयोक्ता उक्त उद्देश्य के लिए संपूर्ति लाइसेंसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

3. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा पिक्चर ट्यबों को उत्पादन करने की क्षमता को 2,00,000 नग प्रतिवर्ष तक बढ़ा कर दो गुना कर दिया गया है।

4. चार कारखानों को (जिनमें से एक राज्य सरकारी क्षेत्र में है तथा तीन निजी क्षेत्र के अंतर्गत हैं) पिक्चर ट्यूबों के उत्पादन हेतु आशय पत्र दिए गए हैं। प्रत्येक कारखाना 40,000 पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन करेगा। आशा है इनमें से एक कारखाने में शीघ्र ही उत्पादन शुरू हो जाएगा।

5. विशुद्ध रूप से तदर्थ उपाय के रूप में सरकार ने 40,000 पिक्चर ट्यूबों को पूर्व योरोपीय देशों से आयात करने का निर्णय लिया है। यह आयात इलैक्ट्रानिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम जो इलैक्ट्रानिक्स विभाग के अधीन गठित एक सरकारी क्षेत्र उपक्रम है, के माध्यम से किया जाएगा।

सरकार को आशा है कि इन सभी उपायों के परिणाम स्वरूप आने वाले महीनों के दौरान पिक्चर ट्यूबों की स्थिति में सुस्पष्ट सुधार होगा।

मुख्य मंत्री के निदेश पर हरियाणा के कृषि मंत्री को बलात्कार के एक मामले में कथित रूप से अन्तर्ग्रस्त करना

3185. **श्री मधु लिमये :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 12 अक्तूबर, 1974 के एक अंग्रेज़ी दैनिक समाचार पत्र के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित उस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, जिस में यह आरोप लगाया गया है कि मुख्य मंत्री के निर्देश और उन के भड़काने पर हरियाणा के कृषि मंत्री श्री भजन लाल को पुलिस ने अन्तर्ग्रस्त करने का प्रयास किया ;

(ख) क्या श्री भजन लाल के भाई की व्यापारिक फर्म और पारिवारिक मकान पर राज्य के बिक्री कर अधिकारियों द्वारा ऐसे पक्षपातपूर्ण छापे मारे जाने की ओर भी उन का ध्यान दिलाया गया है; जिन में कोई दोषारोपण करने वाला साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार श्री बंसी लाल के विरुद्ध इन आरोपों और पहले लगाए गए अन्य आरोपों की जांच करने के लिए जांच आयोग नियुक्त करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो हरियाणा के मुख्य मंत्री के प्रति इतनी ज्यादा उदारता दिखाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) में

उल्लिखित मामलों का सम्बन्ध राज्य सरकार से है तथा वे प्रधानतया भारत सरकार से सम्बन्धित नहीं हैं।

राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, ये आरोप निराधार है। राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि इस मामले की वास्तविक स्थिति करनाल के पुलिस अधीक्षक, द्वारा जारी किए गए एक प्रैस-नोट में, जिसकी एक प्रति संलग्न है स्पष्ट की गई है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 8669/74]

जहां तक प्रश्न के भाग (ख) का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यह कहना ग़लत है कि बिक्रीकर प्राधिकारियों द्वारा श्री भजन लाल के भाई के व्यापारिक स्थानों अथवा परिवारिक मकान पर कोई पक्षपातपूर्ण छापा मारा गया।

उसने यह सूचित किया है कि अगस्त, 1974 में बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न फर्मों जिन में आदमपुर, हिसार के मैसर्स पोखरमल भजनलाल की फर्म भी शामिल है के स्थानों का साथ-साथ निरीक्षण किया था।

(**ग**) जहां तक श्री बंसी लाल के विरुद्ध पहले लगाए गए आरोपों का संबंध है, इसके बारे में स्थिति को लोक सभा अंतारांकित प्रश्न संख्या 400 दिनांक 21 फरवरी, 1973 के उत्तर में पहले ही पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली की ट्रांसमीशन संबंधी क्षति के बारे में आंकड़े का संकलन

3186. **श्री मधु लिमये : क्या ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बिजली की "ट्रांसमिशन-क्षति" संबंधी राज्यवार नवीनतम आंकड़े संकलित कर लिए हैं ;

(ख) क्या इस संबंध में विभिन्न राज्यों के आंकड़ों में परस्पर अत्यधिक अंतर का **विश्लेषण** कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(घ) क्या यह क्षति अधिकांशत: बिजली की चोरी के कारण नहीं हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) वर्ष 1972-73 के लिए पारेषण तथा वितरण में हुई बिजली की राज्यवार प्रतिशत हानि को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) विभिन्न राज्यों के बीच पारेषण और वितरण में विद्युत् की हानि के अत्यधिक अंतर के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) विभिन्न राज्यों में उच्च-वोल्टता तथा निम्न-वोल्टता उपभोक्ताओं की भिन्न-भिन्न प्रतिशतता ;

(2) पारेषण और वितरण तंत्रों के विन्यास का एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होना ; और

(3) विद्युत की खपत और ग्राम विद्युतीकरण के विस्तार के प्रकार का जुदा-जुदा होना।

(घ) विद्युत् की चोरी का मूल्यांकन करना कठिन है। बहरहाल, ऊर्जा की कुल हानि में से कुछ हानि चोरी के कारण मानी जा सकती है।

विवरण

राज्य वार पारेषण और वितरण में विद्युत् की हानि (1972-73)

क्रम सं०	राज्य	पारेषण और वितरण में हानि (प्रतिशत)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	28.06
2.	असम	15.55
3.	बिहार	20.00
4.	गुजरात	19.20
5.	हरियाणा	25.67
6.	हिमाचल प्रदेश	17.56
7.	जम्मू व काश्मीर	30.28
8.	केरल	15.35
9.	मध्य प्रदेश	14.35
10.	महाराष्ट्र	12.34
11.	मैसूर	16.72
12.	मणिपुर	26.30
13.	नागालैंड	16.31
14.	उड़ीसा	9.30
15.	पंजाब	23.19
16.	राजस्थान	30.86
17.	तमिलनाडू	20.98
18.	त्रिपुरा	23.54
19.	उत्तर प्रदेश	29.32
20.	पश्चिम बंगाल	11.87
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	दिल्ली	9.20
2.	अण्डमान और निकोबार	35.08
3.	चण्डीगढ़	24.74
4.	दादरा और नागर हवेली	34.07
5.	गोआ, दमन और दियु	17.80
6.	लक्कादिव, मिनिकाय और अमीनदिव द्वीपसमूह	16.67
7.	नेफा (उत्तर-पूर्वी सीमा एजेन्सी)	उपलब्ध नहीं
8.	पांडिचेरी	3.52

विशेष रोजगार कार्यक्रम

3187. श्री मधु लिमये : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या विशेष रोजगार कार्यक्रम के लिए एक निधि स्थापित करने की योजना थी जिसमें से उक्त कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को अनुदान और सहायता दी जानी थी;

(ख) क्या 189 इलैक्ट्रिकल इंजीनियरों और 283 इलैक्ट्रिकल इंजीनियरों और 4 सिविल इंजीनियरों को क्रमश: रोजगार देने के लिए इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 और 1973-74 में बिहार सरकार को विशेष अनुदान और सहायता मिली थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस निधि का उपयोग किया गया और बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार उपलब्ध किया गया है;

(घ) क्या इन स्वीकृत अनुदानों में से किसी अनुदान का उपयोग नहीं किया गया और वह व्यपगत हो गया;

(ङ) क्या बिहार सरकार से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया था; और

(च) राज्य सरकार ने क्या उत्तर दिया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1972-73 में विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार सरकार को इस शर्त पर 275.00 लाख रुपए केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए गए थे कि राज्य सरकार भी कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कम से कम इतनी ही मात्रा में अतिरिक्त संसाधन जुटाएगी। 1973-74 में 234.26 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता 1972-73 की शर्तों के आधार पर दी गई। 1972-73 में तैयार की गई और स्वीकृत की गई स्कीमों में से एक परियोजना बेरोजगार इंजीनियरों और डिप्लोमाधारियों को नई बिजली परियोजनाओं/नई पारेषण यूनिटों और ग्रामीण बिजलीकरण स्कीमों में रोजगार की व्यवस्था करने से संबंधित, थी। इस स्कीम के अन्तर्गत 283 स्नातक बिजली इंजीनियरों, 8 स्नातक सिविल इंजीनियरों, 306 बिजली डिप्लोमाधारी इंजीनियरों और 92 सिविल डिप्लोमाधारी इंजीनियरों के अलावा गैर-तकनीकी कर्मचारियों को रोजगार देने की परिकल्पना की गई थी। राज्य सरकार ने 1972-73 के दौरान 291 स्नातक इंजीनियरों और 288 डिप्लोमाधारियों सहित 980 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया। इस स्कीम के अन्तर्गत नियुक्त किए गए कर्मचारी 1973-74 में भी अपने काम पर लगे हुए थे।

(घ), (ङ) और (च) 1972-73 और 1973-74 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह उपयोग कर ली गई थी। राज्य सरकार द्वारा 1972-73 और 1973-74 में क्रमश: कुल 575.00 लाख रुपये और 600.00 लाख रुपए खर्च किए गए थे। क्योंकि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता राशि से अधिक राशि जुटाई थी अत: स्पष्टीकरण मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई टेलिविजन केन्द्र में चल रही ठेका प्रणाली (कंट्रेक्ट सिस्टम)

3188. श्री मधु लिमये
श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान टेलीविजन कलाकारों पर बुरा प्रभाव डालने वाली ठेका प्रणाली के बारे में 27 सितम्बर, 1974 के एक बम्बई दैनिक में प्रकाशित टिप्पणी की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है;

(ग) क्या सरकार को उन कलाकारों की ओर से बम्बई टेलीविजन केन्द्र में चल रही ठेका प्रणाली के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) इन कलाकारों (स्टाफ आर्टिस्ट) की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रकाशित समाचार का सारांश इस प्रकार है :—

"टेलीविजन प्राधिकारियों ने आर्टिस्टों के लिए एक नयी अनुबंध पद्धति चालू करने का फैसला किया है जिसके अनुसार उन्हें 15वें दिन सेवा भंग सहित 14 दिन के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। अनुबंध का 16वें दिन नवीकरण किया जाएगा। बम्बई टेलीविजन केन्द्र के कैज्युअल आर्टिस्टों ने एक बैठक में इस नई पद्धति के विरोध स्वरूप हड़ताल करने का फैसला किया ।"

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सम्बन्धित व्यक्ति कैज्युअल आर्टिस्ट हैं, स्टाफ आर्टिस्ट नहीं। कैज्युअल आर्टिस्टों को आकाशवाणी के सभी केन्द्रों में कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 14 दिन के अनुबंध पर रखा जाता है और बम्बई टेलीविजन केन्द्र के कैज्युअल आर्टिस्टों पर अन्य केन्द्रों में प्रचलित परिपाटी से भिन्न परिपाटी लागू नहीं की जा सकती। कैज्युअल आर्टिस्टों के साथ बारम्बार अनुबंध करने की नीति का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों को केन्द्रीय अनुदान

3189. श्री समर गुह : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कुटीर तथा लघु उद्योग मंत्री द्वारा की गई इस आशय की शिकायत की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय अनुदान देने के मामले में राज्य के साथ भेदभाव बरता है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्ष 1972-73 और 1974 के दौरान विभिन्न राज्यों में, राज्य-वार कुटीर तथा लघु उद्योगों को कितना केन्द्रीय अनुदान दिया गया है; और

(घ) इन वर्षों के दौरान ऐसे उद्योगों द्वारा अर्जित लाभ के आंकड़े क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पोर्ट ब्लेयर में नेताजी की प्रतिमा की स्थापना

3190. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व गृह मंत्री ने लोक सभा में कहा था कि सरकार वर्ष 1943 में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार के अध्यक्ष के रूप में पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के आगमन के अवसर की स्मृति के रूप में मनाने के लिए कार्यवाही करेगी;

(ख) क्या स्वाधीन अंडमान और निकोबार में, जो इस सरकार के शासन के अन्तर्गत लाया गया था नेताजी की यह पहली यात्रा थी;

(ग) क्या उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में जहां उन्होंने सार्वजनिक सभा में भाषण किया था, नेताजी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये की मंजूरी दी थी;

(घ) यदि हां, तो भूतपूर्व गृह मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को क्रियान्वित करने में अत्यधिक बिलम्ब के क्या करण हैं; और

(ङ) पोर्ट ब्लेयर में नेताजी के आगमन की स्मृति मनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तारांकित प्रश्न संख्या 494 के उत्तर में गृह मंत्रालय में तत्कालीन राज्य मंत्री ने लोक सभा में 17 अगस्त, 1966 को सूचना दी थी कि पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का स्मारक बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) नेताजी 1943 के अन्त में जब अंडमान जापान के अधिकार में था पोर्ट ब्लेयर गये थे किन्तु ऐसा कोई अधिकृत रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जिससे प्रतीत हो कि यह उनकी पहली यात्रा थी।

(ग) से (घ) पोर्ट ब्लेयर, मेरीना पार्क में अनुमानित 1.28 लाख रुपयों के व्यय सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया गया है जिसके लिए धन की स्वीकृति भी दे दी गई है। प्रस्तावित प्रतिमा 15 फीट ऊंची कांसे की होगी और उसे 10 फीट ऊंचे मंच पर स्थापित किया जाएगा। आशा है कलाकार इस कार्य को 9 महीनों में पूरा कर लेगा, उसके बाद उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया जाएगा। आशा है कि प्रतिमा को चुने गये स्थान में लगभग 12 महीनों के भीतर स्थापित कर दिया जाएगा।

कलकत्ता में आजाद हिन्द फोज के शहीदों का स्मारक

3191. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व गृह मंत्री ने कलकत्ता मैदान में सरकारी समारोह के दौरन आजाद हिन्द फौज के शहीदों का बिल्कुल उसी प्रकार का स्मारक बनाए जाने के लिए शिलान्यास किया था जैसा स्वयं नेताजी ने सिंगापुर में स्थापित किया था तथा जिसे अंग्रेज़ों की सेना ने 1945 में सिंगापुर पर पुनः कब्जा करने के पश्चात् गिरा दिया था;

(ख) यदि हां, तो आजाद हिन्द फौज के शहीदों के प्रस्तावित स्मारक के निर्माण में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या स्मारक का निर्माण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा अथवा राज्य सरकार द्वारा?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) से (ग) स्मारक स्तम्भ, जिसकी आधार शिला भूतपूर्व गृह मंत्री द्वारा रखी गई थी, का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया जाना है किन्तु उस पर हुए खर्च का 75 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा अदा किया जाएगा। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कार्य पूरा होने वाला है।

लघु उद्योग क्षेत्र का विकास

3192. **श्री वेकारिया**
श्री आर० के० सिन्हा } : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र का विकास करने के लिए नई नीति निर्धारित की है तथा लघु उद्योगों द्वारा उद्योग रहित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योगों का विकास करने के मामले में बनाई गई नई नीति का ब्यौरा क्या है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) पांचवीं योजना प्रलेख के प्रारूप में बताई गई प्रमुख नीति इस प्रकार है :—

(1) ग्रामीण और पिछले क्षेत्रों में नए लघु एककों की स्थापना करना;

(2) लघु एककों में नए-नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना;

(3) क्षमता का पूर्ण उपयोग करके मौजूदा लघु उद्योगों को समेकित करना;

(4) वस्तुओं की कोटि में सुधार और प्रक्रियाओं और उत्पादों का विकास करना;

(5) लघु एककों को एक ही स्थान पर परामर्शदायित्री सेवाएं प्रदान करने के लिए परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ बनाना;

(6) लघु उद्योग क्षेत्र आदि को विपणन सम्बन्धी सहायता, ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करना आदि ।

विषशे रूप से पिछड़े और अछूते क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए पांचवीं योजना के दौरान ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में नए लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रमों के निम्नलिखित बातों के द्वारा एक निश्चित परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है—उद्योगों के संवर्द्धन के जरिए गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए बनाई गई योजनाएं, ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम लघु उद्योग सेवा संस्थानों की स्थापना, असल पूंजी विनियोजन पर 15 प्रतिशत उपदान का प्रत्यक्ष अनुदान और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत परिवहन सम्बन्धी उपदान जैसे विशेष प्रोत्साहन और रियायतें देना तथा वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर वित्त प्रदान करना आदि ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

3193. **श्री राज देव सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये चालू वित्तीय वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये की राशि नियत की है;

(ख) यदि हां, तो उस राशि में केन्द्रीय सहायता की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश के सबसे बड़े राज्य में 85 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने के लिये इतने व्यापक स्तर पर विद्युतीकरण कार्यक्रम आरम्भ करना उत्तर प्रदेश सरकार के लिये वित्तीय दृष्टि से कैसे संभव होगा?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष सहायता नहीं देती है। ग्राम विद्युतीकरण निगम, जिसकी स्थापना केन्द्रीय सैक्टर में एक सरकारी क्षेत्र के संस्थान के रूप में की गई है, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्रायोजित ग्राम विद्युतीकरण की स्कीमों के लिये ऋण सहायता की व्यवस्था करता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को चालू वर्ष में 3 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया गया है। राज्य बिजली, बोर्डों द्वारा प्रस्तावित और निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों के लिये अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध की जाएगी।

(ग) उत्तर प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण का स्तर पहले ही लगभग अखिल भारतीय औसत के बराबर है। कुल 1,12,624 ग्रामों में से 30,000 ग्रामों से अधिक ग्राम पहले ही विद्युतीकृत हो चुके हैं। पांचवीं योजना में लगभग 10,000 और ग्रामों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है। शेष ग्रामों को इसके बाद की योजनाओं में विद्युतीकृत किया जायगा।

मनीपुर में सीमेंट कारखाना

3194. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में प्रस्तावित सीमेंट कारखाने के बारे में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या भारत सरकार ने मनीपुर राज्य सरकार को अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) मणिपुर पूर्व की उकरूल तहसील में सीमेंट का कारखाना लगाने के लिये आवेदन मणिपुर सरकार से जून, 1974 में प्राप्त हुआ था। जांच पड़ताल से यह पाया गया कि योजना सुविचारित नहीं थी अतः इसे नामंजूर कर दिया गया।

'कार मार्केट स्लम्ब' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3195. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 नवम्बर, 1974 के समाचार पत्रों में 'कार मार्केट स्लम्ब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में बनने वाली तीन कारों में से दो कारों की मांग अत्यधिक कम हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) निम्नलिखित तीन कारण हैं :—

(i) अधिक कीमत

(ii) रख-रखाव की अधिक लागत का होना

(iii) मुख्य रूप से दो मेकों में से एक मेक का घटिया होना।

किस्म के अनुरूप उत्पादन स्तर में वृद्धि करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। उन्नत तकनीकों सहित गहन विपणन करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

नेपा अखबारी कागज का मूल्य

3196. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री वेकारिया
श्री डी० पी० जडेजा
श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपा मिल्स ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा अखबारी कागज के लाभप्रद मूल्य निर्धारित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) कागज के वर्तमान अधिक मूल्य और उसके उत्पादन में हो रही कमी को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) नेपा मिल ने, उत्पादन लागत में हुई वृद्धि और विक्रय मूल्य में सन्तुलन बनाये रखने के लिये अपने द्वारा उत्पादित अखबारी कागज के विक्रय मूल्य में वृद्धि करने का मामला तैयार किया है। सरकार ने हाल ही में 1-9-74 मूल्य को 1,800 रु० प्र० मी० टन से बढ़ाकर 2,300 रु० प्र० मी० कर देने के लिये मिल को अनमति दी है।

त्रिपुरा के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी

3197. **श्री बीरेन एंगती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के स्वतंत्रता सेनानियों से पेंशन के हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने आवेदन-पत्र मंजूर किये गये हैं; और

(ग) कुल कितने आवेदन-पत्र अभी अनिर्णीत पड़े हैं और उनका निपटारा कब तक कर दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) त्रिपुरा के स्वतन्त्रता सेनानियों से पेंशन के लिये 1,643 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) इनमें से 514 मामले मंजूर कर दिये गये हैं । 144 मामले नामंजूर किये गये हैं, 579 मामले अपेक्षित लिखित सबूत न होने के कारण फाइल कर दिये गये हैं और 406 मामले विचाराधीन हैं। शेष मामलों को शीघ्र निपटाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

दक्षिण अमरीका में सुरिनाम को टेलीफोन उपकरणों की सप्लाई

3198. श्री एम० कतामुतु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को दक्षिण अमरीका में सुरिनाम को 1.2 करोड़ रुपये के टेलीफोन उपकरण सप्लाई करने का टेन्डर प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) और (ख) जी हां, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, बंगलौर ने दक्षिण अमरीका में सुरिनाम की राजधानी, पेरामारिबो में दो-दो हजार लाइनों की क्षमता वाले दो क्रासवार आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज सप्लाई करने और उन्हें स्थापित करने के लिये 1.2 करोड़ रुपये का आदेश प्राप्त किया है ।

चलचित्र वित्त निगम द्वारा चलचित्रों का आयात

3199. श्री एम० कतामुतु : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र वित्त निगम ने चलचित्रों का आयात करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निर्णय की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) क्या निगम ने भारत में अमरीकी चलचित्र निर्यातात्रों के कार्यालयों को इन चलचित्रों का वितरण सौंपने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां । अभी तक फिल्म वित्त निगम ने दस फिल्मों का--चार कैनाडा से, एक फ्रांस से, एक बलगेरिया से तथा चार ब्रिटेन से--अनुबन्ध किया है।

(ख) नीति की मुख्य विशेषतायें हैं गुण तथा व्यापारिक क्षमता पर बल देते हुए फिल्म वित्त निगम के माध्यम से विश्व आधार पर बिना भेद-भाव के आयात।

(ग) विदेशी फिल्मों के सुस्थित वितरकों की विशेषज्ञता का उपयोग करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Postal Services in East Champaran District

3200. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(*a*) whether the postal service in East Champaran District of North Bihar remains disrupted since the month of August, 1974 and the mail is delayed for weeks together; and

(*b*) if so, the action proposed to be taken by Government to put it in order?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (*a*) : In the month of September, 1974 the Champaran District was effected by devastating floods resulting in disruption of rail and road communications at several points within the district. As a consequence the working of some of the RMS Sections was also dislocated besides rendering certain road transport services undependable.

(*b*) Arrangements were made to transmit mails by all available means. Running of trains in the effected areas is yet to become fully normal. Postmaster-General, Bihar is keeping watch and making arrangements as warranted by the situation from time to time.

राजधानी में टेलीफोनों का कार्यकरण

3201. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के नई दिल्ली और दिल्ली नगरों में टेलीफोन लगभग प्रति दिन घंटों तक खराब रहते हैं और टेलीफोन विभाग के अधिकारियों को की गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या अतिरिक्त कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं। सेवाओं में सुधार लाने के लिये कई कदम उठाये गये हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) बेहतर नियन्त्रण और अच्छी सेवा सुलभ करने की दृष्टि से दिल्ली टेलीफोन के संगठनात्मक ढांचे का अभी हाल ही में पुनर्गठन किया गया है।

(2) एरिया मैनेजर विकेन्द्रीकरण के आधार पर शिकायतों का निपटारा कर रहे हैं।

(3) अप्रचलित और उन पुराने एक्सचेंज उपस्करों को, जिन्होंने अपनी सेवा देने की मियाद पूरी कर ली है, उत्तरोत्तर बदला जा रहा है।

(4) जहां ट्राफिक बहुत ज्यादा है, वहां की मांगें पूरी करने के लिये जहां कहीं जरूरी होता है, अतिरिक्त सहायता उपस्कर लगाए जा रहे हैं।

(5) क्रासबार एक्सचेंजों का कार्यचालन बेहतर बनाने के लिये एक कार्यक्रम पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(6) फालतू पुर्जों की कमी की समस्या भी सुलझाई जा रही है और महत्वपूर्ण आवश्यक पुर्जे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज से मंगाए जा रहे हैं।

भारत में टेलीविजन केन्द्र और उनके कार्यक्रमों का दृश्य-क्षेत्र

3202. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कौन-कौन से टेलीविज केन्द्र हैं; और

(ख) उनके कार्यक्रमों को कितनी-कितनी दूरी तक अच्छी तरह देखा जा सकता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :

(क) टेलीविजन केन्द्र, दिल्ली।
टेलीविजन केन्द्र, बम्बई।
टेलीविजन केन्द्र, श्रीनगर।
टेलीविजन ट्रांसमिटिंग केन्द्र, अमृतसर।
टेलीविजन रिले केन्द्र, पूना।

(ख) टेलीविजन केन्द्रों की अनुमानित रेंज इस प्रकार है :—

दिल्ली	:	60 किलोमीटर
बम्बई	:	70-100 किलोमीटर
श्रीनगर		30-70 किलोमीटर
अमृतसर	:	65 किलोमीटर
पूना		50-90 किलोमीटर

आयात लाइसेंस के मामले के बारे में श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST SHRI L. N. MISHRA *Re:* IMPORT LICENCE CASE

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न को मुझे सूचित किये बिना कैसे उठा सकते हैं। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिये अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जायें।

(अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुन्शी आप बैठ जायें। आप बिना अनुमति के बोलने के लिये उठ जाते हैं।

(अन्तर्बाधाएं)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : We may be permitted to raise privilege motion against Shri L. N. Mishra.

अध्यक्ष महोदय : आपने इस बारे में कोई नोटिस नहीं दिया है। आप बैठ जायें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। कुछ प्रस्ताव श्री तुलमोहन राम तथा अन्य के बारे में आये थे . . .

(अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? कुछ माननीय सदस्यों से कुछ प्रस्ताव आये थे जिनके बारे में मैंने उन्हें कहा कि उन पर विचार करूंगा ।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : कोई भी विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश नहीं किया गया । मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक प्रश्न पूछना चाहता था । कृपया मुझे अनुमति दें । . .

(अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I rise on a point of order in regard to the proceedings of this House.

अध्यक्ष महोदय : ये सब इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं ?

(अन्तर्बाधाएं)

Shri Atal Bihari Vajpayee : This is all due to non-observance of rules. Privilege motion should come after Question Hour.

(अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इन प्रश्नों के उठाये जाने की कोई सूचना नहीं मिली । आप मेरी अनुमति के बिना इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठा सकते ।

Shri Madhu Limaye : Their motions should be taken up after due notice is received. I do not object against the admissibility of their motions.

अध्यक्ष महोदय : मुझे विशेषाधिकार भंग करने योग्य कोई बात इन प्रस्तावों में नजर नहीं आती ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : आप किस नियम के अधीन इन्हें अवसर दे रहे हैं । हम इसे नहीं मानेंगे . . . (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बिना नोटिस के किसी भी बात के लिये अनुमति नहीं दे रहा हूं । मेरी अनुमति बिना माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातें कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं की जायेंगी ।

(अन्तर्बाधाएं)

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

विशेषाधिकार के प्रश्न नियम 222 के अन्तर्गत उठाये जाते हैं लेकिन इस प्रश्न के बारे में बोलने का अधिकार नियम 225 के अन्तर्गत आता है । यदि प्रत्येक को विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाती है तो नियम 225 का क्या महत्व है । मैं इस बारे में आपका स्पष्ट निर्णय चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : पहले आये विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में मैंने कहा था कि मैं उसे बाद में लगा । इस बारे में मैंने कोई भी अनुमति नहीं दी है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want your permission to raise privilege motion against Railway Minister Shri L. N. Mishra under Rule 222.

श्री सी० एन० स्टीफन : ये इसे नियम 222 के अन्तर्गत नहीं उठा सकते **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियमों की जानकारी है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : जब अध्यक्ष महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है तो ये इस प्रकार बाधा क्यों डाल रहे हैं? **(व्यवधान)**।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I gave notice of my motion under rule 223.

Mr. Speaker : You can speak for 2 to 4 minutes.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Please ask them not to interrupt.

Mr. Speaker : It depends on the mutual co-operation of the members. It is not proper to interrupt a member when he is speaking.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : इस तर्क में कोई बल नहीं है कि अनुमति नहीं दी गयी थी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात को गलत ढंग से न रखें।

Shri Atal Bihari Vajpayee : During the course of discussion on the licence scandal on 9th September, 1974, Shri Lalit Narain Mishra expressed ignorance regarding setting up of a school in the village of Shri Tulmohan Ram after the name of his father. During the course of investigations into the licence scandal, proceeding register of managing committee of the school was taken into custody by the CBI, which shows that Shri L. N. Mishra was closely associated with the setting of this school.

I say that the Railway Minister is deliberately misguiding the House. It is amply clear from the charge sheet of C.B.I. that Shri Mishra took great interest in issuing the licence. It is also clear from the charge sheet that Shri Pillai and Shri Nair were in search of a man who could influence Shri L. N. Mishra. Ultimately they found Shri Tulmohan Ram and contacted him.

श्री बसंत साठे (अकोला) : ये प्रायः चर्चा शुरू कर देते हैं जो बाद में वाद-विवाद बन जाता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, will they let me establish my point ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : प्रारम्भिक चर्चा के नाम पर माननीय सदस्य को विशेषाधिकार सम्बन्धी अपने पूरे प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी जाती है, जिसके फलस्वरूप हमें अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलेगा। आपको इस सम्बन्ध में सख्ती से काम लेना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभी प्रस्तावों के बारे में देखना पड़ता है कि क्या इनमें कोई प्रासंगिक बातें हैं अथवा नहीं। मुझे अध्यक्ष के रूप में काम करना पड़ता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : According to the charge sheet Shri Pillai sent an interim report to Shri N. K. Singh on 5th February, 1973. Shri Mishra left the Commerce Ministry on that very day. While leaving the office, he told Shri N. K. Singh that the case should be finalised quickly and it is proved by Shri N. K. Singh's noting on the file. Therefore, it is not correct on the post of the Minister to say that no such order was passed by him. It is not necessary that an order must be in writing. Can the Railway Minister say that Shri N. K. Singh's noting was against his desire?

The facts of the case would have come out, had Shri Mishra admitted that before leaving the Foreign Trade Ministry he asked Shri N. K. Singh that this case should be decided soon and that he thinks that licence should be granted. But he says that he had nothing to do with the licence deal. In case, he had nothing to do with that matter then why should Shri N. K. Singh have noted on the file that the Minister thinks that licence should be granted in this case. So, it is clear that the House has been deliberately misled. Hence he is guilty of breach of privilege.

Shri Madhu Limaye : I will try to establish that there is a *prima facie* case against Shri L.N. Mishra.

The most important point in this case is that when Shri Pillai and Shri Nair were in search of a man who could influence the Minister, Shri Gurbachan took them to Shri Tul Mohan Ram. Shri Yogendra Jha was also present at their meeting and he also said that Shri Tul Mohan Ram is really the man who could influence Shri Mishra.

As per charge-sheet, after the representation of Shri Tul Mohan Ram was rejected twice, Shri N. K. Singh, advised Shri Tul Mohan Ram that he required a memorandum signed by more Members in order to strengthen the hands of Shri Mishra.

Shri Madhu Limaye: How can I have a dialogue with these illiterate people.

Mr. Speaker: His question is alright—where is it written?

Shri Madhu Limaye: I have already made it clear that my privilege motion is based on the study of charge-sheet. This memorandum was submitted in accordance with the suggestions of Shri N. K. Singh. In between the Chief controller clearified on 28th August, 72 that in accordance with the charge-sheet, the issue should not be re-opened.

Shri N.K. Singh demanded a sum of twenty thousand rupees which has been termed by C. B. I. as mis-representation.

The day he took over as Railway Minister, three incidents took place. He took oath on 5th. Shri K. N. R. Pilley submitted his interim report on 5th in haste. C.B.I. has not investigated the matter further. Shri N. K. Singh told Shri Tul Mohan Ram that so long as the cases are in the courts, the matter cannot be re-opened.

It has been stated in the charge-sheet of C. B. I. that how the amount of Rs. 1,20,000/- given to Shri Tul Mohan Ram as bribe was distributed. It is understood that the C. B. I. has got hold of a paper giving details of such distribution. It is said that three persons were there at the time of distribution. The charge-sheet has not been read by you. Had you read it my job would have become easy.

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : अब वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो की प्रशंसा कर रहे हैं जबकि इससे पूर्व वे इसकी निन्दा करते रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye: I am condemning it. The name of Shri Siddiqi has been mentioned thrice in the seized documents.

Shri L.N. Mishra took interest in the hope that licences would be sold. It has been stated on page 2 of the charge-sheet that no injustice has been done. Shri L. N. Mishra is involved in the conspiracy. If there is no *prima facie* case against him, what *prima facie* case is there against Shri Tul Mohan Ram? I have taken him guilty *prima facie* on the basis of that charge-sheet.

Mr. Speaker, Sir, Shri L. N. Mishra should resign immediately and if he does not do so, the Prime Minister should remove him.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री ललित नारायण मिश्र ने 24 अगस्त, 1974 को कहा था कि, जैसा कि उन्हें याद है, उनके पास कई संसद सदस्यों के हस्ताक्षरों से युक्त एक पत्र प्राप्त हुआ जिसे उन्होंने सम्बन्धित अधिकारी को सामान्य रूप से भेज दिया । मैंने कोई आदेश जारी नहीं किया था ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की चार्जशीट के अनुसार श्री तुल मोहन राम ने अभ्यावेदन-पत्र 7 अप्रैल, 1971 को मंत्री महोदय को दिया था ।

22-11-72 को या उसके आसपास श्री तुल मोहन राम एक अभ्यावेदन लेकर मंत्रालय गये तथा मंत्री महोदय के अनुपस्थित होने के कारण उसे श्री एन० के० सिंह को दे दिया ।

5-2-73 को श्री ललित नारायण मिश्र ने रेल मंत्री का कार्य-भार सम्भाला । 5-2-73 को ही श्री एन० के० सिंह ने फाईल पर रिकार्ड किया कि मंत्री महोदय चाहते हैं कि इस मामले को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाये ।

इस सम्बन्ध में यह स्मरण रहना चाहिए कि अतिरिक्त विशेष लाइसेंसों का दिया जाना अक्तूबर, 1959 में समाप्त कर दिया गया था । इनके पूर्ववर्ती चार मंत्रियों सर्वश्री टी० एन० सिंह, मनु भाई शाह, भगत, और दिनेश सिंह ने ये विशेष लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया था । सहसा पांचवे मंत्री ने यह अनुभव किया कि इस मामले में अन्याय हुआ है ।

मैं श्री मोडलिंग का उदाहरण देना चाहूंगा, जिन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र केवल इसलिए दे दिया था कि उनकी पत्नी ने धर्मार्थ कार्यों के लिए एक ऐसे व्यक्ति से दान स्वीकार कर लिया था जो किसी कांड में अन्तर्ग्रस्त था । किन्तु हमारे देश में महीनों से इसी प्रकार की चर्चा चल रही है और मंत्री महोदय फिर भी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं । सरोनी स्कूल में सी० बी० आई द्वारा की गई कार्यवाही का सारांश जब्त किया जाये । श्री तुल मोहन राम ने श्री कालेश्वर जी को हिन्दी में एक पत्र लिखा था कि यदि स्कूल का नाम श्री एल० एन० मिश्र के पिताजी के नाम पर रख दिया जाये, तो वह कालेश्वरजी को 2 से $2\frac{1}{2}$ लाख रुपये तक दे सकते हैं । श्री कालेश्वरजी ने यह बात सी० बी० आई० को बतायी थी । यह पत्र भी जब्त किया जाये । मद संख्या 76 और मद संख्या 148 को जब्त किया जाये । अत: जन जीवन को अच्छा और ईमानदार सिद्ध करने के लिए श्री एल० एन० मिश्र को त्यागपत्र देना चाहिए और विशेषाधिकार समिति में उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में माननीय मंत्री और श्री श्यामनन्दन मिश्र की बात मैं कल सुनूंगा ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 30 मिनट पर म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till half past fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 30 मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after luuch at half past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri Madhu Limaye : Sir, you kindly give me one minute. Yesterday, some innocent students who were detained under MISA were given severe beating by criminal prisoners there. It

is the murder of humanity. It is not justified. I request you to ask the hon. Minister to give a statement in this regard.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मैंने कल भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के बारे में प्रश्न उठाया था। सौभाग्य से आज वित्त मंत्री सदन में उपस्थित हैं। चार किश्तें देय हो चुकी हैं और उन्हें इसका भुगतान किया जाना चाहिए। क्या मंत्री महोदय आज या कल इस बारे में वक्तव्य देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है और मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। अब यह उनके ऊपर है।

श्री एच० एन मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): प्राय: ऐसा होता है कि लोक महत्त्व के विषय सदन में उठाये जाते हैं और मंत्री महोदय, निदेश के बावजूद, चुप रहते हैं। क्या आप इसे बर्दाश्त कर रहे हैं क्या संसदीय कार्यवाही के सिद्धान्त निर्धारित नहीं किये जा सकते।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता दक्षिण) : मैं गृह उप-मंत्री और वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि हाजी मस्तान तथा अन्य तस्करों के साथ एक कुख्यात तस्कर मोहम्मद यासीन को क्यों नहीं पकड़ा गया। वह अभी तक राजनीतिक संरक्षण के अधीन तमिलनाडु में ही रह रहा है।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : जहां तक महंगाई भत्ते का प्रश्न है, इस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और जैसे ही इस बारे में निर्णय ले लिया जायेगा, मैं सभा में एक वक्तव्य दूंगा।

Shri Janeshwar Mishra : (Allahabad) : Sir, It, is the news of today that the Allahabad University has again been closed today. It is a general phenomenon all over India that whenever students go to authorities with their demands, the Vice-Chancellors close the universities. I want that the Minister of Education should make a statement about it.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन और एक विवरण

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा सांख्यिकीय विवरण।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8648/74]

राष्ट्रीय बाल बोर्ड के गठन के बारे में सरकारी संकल्प

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : मैं राष्ट्रीय बाल बोर्ड के गठन सम्बन्धी दिनांक 3 दिसम्बर, 1974 के सरकारी संकल्प संख्या एफ० 1-14/ 74-एनसीडी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 8649/74]

सीमा शुल्क अधिनियम 1962, दिल्ली बिक्री कर (आठवां संशोधन) नियम 1974 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सम्बन्धी समीक्षा समिति के प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत दिनांक 4 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 88/एफ० नं० 355/73/74-कस० I तथा 89/एफ० नं० 355/73/74-कस० I (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) कीएक-एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये संख्या** एल० टी० 8650/ 74)।

(2) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 25 नवम्बर, 1974 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ-4(97)/69-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** एल० टी० 8651/74]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क संबंधी समीक्षा समिति के प्रतिवेदन (स्वतः निकासी प्रक्रिया) खन्ड 1 और 2 के हिन्दी संस्करण की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल० टी० 8652/74]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह कहा गया है कि अधिसूचनाएं राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी हैं। परन्तु ये राजपत्र हमें प्राप्त नहीं होते। मैं इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री को कई बार लिख चुका हूं। जानबूझकर हमें राजपत्र नहीं दिये जाते ताकि हम यह मालूम ही न हो कि कौनसे पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे। इस बारे में मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

पटसन के मूल्यों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : JUTE PRICES

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मैंने अध्यक्ष महोदय को लिखा था कि मुझे स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया जाये।

श्री समर गुहा (कन्टाई) : यदि स्पष्टीकरण नहीं मांगने दिया जाता, तो इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह वक्तव्य माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में दिया गया है । यदि आप चाहें, तो इस पर चर्चा का नोटिस दे सकते हैं ।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु ने पटसन उत्पादक राज्यों में कच्चे पटसन की कीमतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया था । यह भी कहा गया है कि कच्चे पटसन की कीमतें लाभप्रद स्तर अथवा उत्पादन लागत से नीचे रखी गई हैं जब कि इसके विपरीत खाद्य तथा अन्य वस्तुओं की कीमतें असाधारण रूप से बढ़ी हैं । श्री ज्योतिर्मय बसु ने यह मांग की है कि पटसन उपजकर्ताओं को कम से कम 250 रुपये प्रति क्विटल मिले तथा भारतीय पटसन निगम को पर्याप्त माल की खरीद करनी चाहिए ताकि उपजकर्ता पटसन अच्छी कीमतों पर बेच सकें । श्री बसु ने यह भी उल्लेख किया है कि पश्चिम बंगाल सहकारी पटसन संगठनों के पास स्टाक जमा पड़ा है और यह कि भारतीय पटसन निगम ने इसे नहीं खरीदा है । अन्त में श्री बसु ने कहा कि यदि सरकार पटसन उपजकर्ताओं की रक्षा नहीं करेगी तो पटसन की खेती के क्षेत्र में कमी हो जायेगी जिसके फलस्वरूप पटसन उद्योग को, जो विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ।

आरम्भ में ही मैं यह कहना चाहूंगा कि उपजकर्ताओं द्वारा जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके प्रति सरकार पूर्णतः जागरूक है और सरकार का यह सदा प्रयास रहता है कि उपजकर्ताओं की समस्याएं कम हों । निस्सन्देह, पटसन उपजकर्ता का पहले बिचोलियों द्वारा शोषण किया जाता रहा है लेकिन सरकार ने अब ऐसे उपाय किये हैं जिससे उसे ऐसे बिचोलियों के चुंगल से धीरे-धीरे छुटकारा मिल जायेगा । पटसन निगम की स्थापना तथा इसके कार्यकलापों का विस्तार इस दिशा में एक कदम है और मैंने सदन में कई बार कहा है कि अन्ततः पटसन निगम समस्त कच्चे पटसन का व्यापार अपने हाथ में ले लेगा तथा सहकारी ढांचे के सक्रिय सहयोग से पटसन निगम उपजकर्ता से सीधे पटसन खरीदेगा और उसके हित की रक्षा करेगा ।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है कि पटसन उपजकर्ता को अपने उत्पाद की लाभदायक कीमत प्राप्त हो । सरकार का यह सुनिश्चित करने का इरादा है कि पटसन कीमतों में स्थिरता आये और किसी भी अवस्था में कीमतें ऐसे स्तर से नीचे न जायें जिससे उपजकर्ता को न्यूनतम लाभ से भी वंचित होना पड़े । कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन कीमत का निर्धारण सरकार के इस मूल उद्देश्य का ही मूर्त रूप है । न्यूनतम समर्थन कीमतें भी प्रत्येक वर्ष उत्तरोत्तर बढ़ती रही हैं और चालू वर्ष के दौरान हमने कीमतें देहाती बाजार स्तर पर आसाम बाटम किस्म के लिये 125 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित की हैं । कृषि कीमत आयोग अपनी सिफारिशें करते समय उत्पादन लागत, प्रतियोगी फसलों की कीमतों आदि सहित सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखता है । सरकार द्वारा अधिसूचित ये कीमतें कानूनी रूप से लागू होती हैं और यह कहना उचित नहीं है कि सरकार ने किसी समय भी पटसन कीमतों को उत्पादन लागत से नीचे रखा है । निस्सन्देह, अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है लेकिन माननीय सदस्य यह बात समझें कि इन कीमतों पर जनसंख्या की वृद्धि का प्रभाव पड़ता है, जब कि कच्चे पटसन की कीमतों पर अन्तिम उत्पादों की कीमतों का, जो लगभग स्थिर रही हैं, प्रभाव पड़ता है ।

उपजकर्ता को लाभप्रद कीमत दिलाने के बारे में विचार करते समय सरकार को यह बात सावधानी-पूर्वक ध्यान में रखनी होती है कि कच्चे पटसन की कीमतों में वृद्धि का अंतिम उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम अपने पटसन उत्पादों की प्रतियोगी क्षमता को कम नहीं कर सकते विशेषरूप से इस बात को देखते हुए कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप संश्लिष्ट स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में प्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई है। पिछले कुछ महीनों में संयुक्त राज्य अमरीका में कालीन के अस्तर जैसे हमारे कुछ उत्पादों की मांग में काफी गिरावट आई है क्योंकि उसकी कीमत अप्रतियोगी थी। संश्लिष्ट वस्तुओं की कीमतें स्थिर रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कुछ मुख्य बाजारों में मंदी की भी आशंका है।

चालू वर्ष के दौरान, हमारी फसल कम हुई है जिसके परिणामस्वरूप कीमतें मज़बूत रहीं और सितम्बर 1974 के अंत तक उनमें तीव्र वृद्धि हुई। वास्तव में कीमतें 200 रु० प्रति क्विटल के स्तर तक पहुंच गईं। माल के आवक में सुधार होने और सामान्य ऋण संकुचन आदि के परिणामस्वरूप मांग गिर जाने के कारण खुले बाजार में कीमतों में गिरावट आई है हालांकि फिर भी देहाती बाजारों में कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमतों से काफी ऊंची रही हैं। हां, त्रिपुरा में कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमतों के स्तर तक अवश्यक आ गईं और हमने पटसन निगम से कहा है कि वह अपने खरीद कार्यों को त्रिपुरा में बढ़ाने की ओर ध्यान दें ताकि कीमतों का स्तर बना रहे। ऋण पर प्रतिबंधों के कारण पटसन निगम के सामने भी कठिनाइयां थीं किन्तु अपनी समग्र सीमाओं के अंतर्गत वह विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में अपने खरीद केन्द्रों को सक्रिय बनाने में सफल हुआ है जहां कीमतें अपेक्षाकृत कम चल रहीं थीं।

भारतीय पटसन निगम ने 92 विभागीय क्रय केन्द्र स्थापित किये हैं और जो सहकारी समितियां अब तक पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सक्रिय रही हैं उनसे भी खरीद कर रहा है। त्रिपुरा की सहकारी समितियों को हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से अग्रिम राशि प्राप्त हुई है और उन्होंने खरीद का अपना काम आरम्भ कर दिया है। भारतीय पटसन निगम को वाणिज्यिक बैंकों से उपलब्ध नकद ऋण की राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चालू मौसम में अपनायी गई ऋण नीति के अनुसरण में उसके द्वारा 18 करोड़ रु० की अधिकतम सीमा तक सीमित कर दी गई है। नवम्बर के महीने से भारतीय पटसन निगम अपना सारा खरीद का काम उन बाजारों में ही कर रहा है जहां कीमतें अपेक्षाकृत कम चल रही हैं। जबकि सरकार ने निगम की शेयर पूंजी में 1 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि अभिदत्त की है और ऋण के रूप में 1 करोड़ रु० की राशि भी दी है, ऋण के रूप में 1 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि रिलीज़ करने के संबंध में भी कार्यवाही की जा रही है जिसके लिये बजट व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात के लिये राज़ी करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं कि बैंक ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ा दी जाये और ऐसे अतिरिक्त बैंक ऋण का पता लगाया जाये जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध किया जा सके। निगम ने अब तक या तो अपने विभागीय क्रय केन्द्रों की मार्फत या सहकारी समितियों से कच्चे पटसन की 3.84 लाख गांठें खरीदी हैं।

सरकार इस संबंध में पूरी तरह से जागरूक है कि माल की सप्लाई और साथ ही कीमतों में स्थिरता रहना आवश्यक है और पटसन उपजकर्ताओं को किसी भी रूप में पटसन

उगाने से हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। इन सीमाओं के अन्दर मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार के पास जो भी व्यवस्था है, उसको यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह उपयोग में लाया जायेगा कि उपजकर्त्ताओं को उचित कीमतें प्राप्त हो और कीमतों की स्थिति में उचित स्थायित्व बना रहे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि अन्य सभी कृषि वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक 1965 और 1966 के बीच 200 प्रतिशत बढ़ा है अर्थात् जूट के मामले में 142 से 371 हो गया है। 1965-66 और 1974 के बीच इसमें 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। किन्तु कच्ची पटसन के मूल्य में गत पांच वर्षों में 17 रुपये प्रति मन की वृद्धि हुई है। क्या आपने पटसन के बड़े व्यापारियों को 416 करोड़ रुपये की राजसहायता दी है? क्या पटसन उत्पादक पटसन व्यापारियों द्वारा आपके संरक्षण में लूटे जा रहे हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : It is said in the statement that the Jute Corporation of India will make efforts to procure jute direct from the farmers at fixed prices. But is it not a fact that the corporation is purchasing jute from the jute traders instead of jute growers and the officers of the Jute Corporation and the traders have connived to pocket the difference between the prices paid by the corporation to the traders and by them to the growers? I would also like to know about the Chairman of Indian Jute Mill Owners Association, Shri Bharat Hari Singhania against whom there is MISA warrant for leakage of foreign exchange.

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यों ने अपने नाम लिखकर दिये थे और मैंने सोचा कि उन्हें बोलने की अनुमति दे दी जाये। किन्तु अब सम्पूर्ण सदन उत्सुक प्रतीत होता है। इससे कठिनाई उत्पन्न होती है। मैं वही करूंगा जो सभा की इच्छा होगी।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : यदि ऐसे मामलों के लिए सामान्य प्रक्रिया से हटकर चला जाये, तो सभा का अन्य कार्य कैसे पूरा होगा।

श्री मधु लिमये : पहले आप उन सदस्यों को अवसर दीजिए जिन्होंने अपने नाम लिखकर पहले भेजे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा तो किया जा सकता है। परन्तु इसे कहां तक खींचा जा सकता है, उसकी सीमा क्या रखी जाये। प्रश्न यह है। मैं चाहता हूं कि सभा का कार्य नियमित रूप से चले और सभा में अधिक से अधिक कार्य सम्पन्न हो। आप मेरे साथ सहयोग करें। संसदीय कार्य मंत्री ने भी ऐसी ही अपील की है। (अन्तर्बाधाएं)

श्री वसंत साठे : (अकोला) : मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि मैंने यहां आते समय सुना है कि श्री गोयनका को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या यह सच है?

श्री समर गुह (कन्टाई) : क्या पश्चिम बंगाल सरकार तथा अन्य मंत्रियों ने केन्द्रीय सरकार से शिकायतें की हैं कि पटसन निगम को निर्धारित मूल्य पर पटसन खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं दी गई है। इस वर्ष की आवश्यकता का लक्ष्य क्या है। पटसन निगम ने कुल कितनी राशि पटसन की खरीद के लिए दी। कमी को कैसे पूरा किया जायेगा? रुई के मूल्यों

में वृद्धि हो गई है परन्तु पटसन के मूल्य जहां के तहां हैं। पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा आदि राज्यों की अर्थव्यवस्था का आधार यही है। इस पूर्वी क्षेत्र में ऐसी स्थिति पैदा क्यों की जा रही है?

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : पटसन मिल मालिक बिचौलियों के माध्यम से पटसन खरीदते हैं। वे ऐसा दिखाते हैं कि वे 125 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पटसन खरीदते हैं परन्तु वास्तव में 75-80 रुपये से अधिक दर से नहीं खरीदते। क्या मंत्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पटसन का मूल्य 125 रुपये के निर्धारित मूल्य से कम हो गया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस वर्ष कुल कितना उत्पादन हुआ ?

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मैं पूछना चाहता हूं कि जब पटसन उत्पादकों को कम मूल्य मिल रहे हैं तो भारतीय पटसन निगम बड़े पैमाने पर पटसन क्यों नहीं खरीद लेता। क्या वाणिज्य मंत्री ने रिजर्व बैंक से कहा है कि वह ऋण की अधिकतम सीमा में वृद्धि करें ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है। क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक इस आधार पर अधिक ऋण सुविधाएं देने से इन्कार करता रहा है कि पटसन के मूल्य स्थिर हो गए हैं और वह निर्धारित मूल्य से नहीं गिरे हैं ?

क्या मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जब अशोधित तेल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि यदि पटसन का मूल्य बढ़ाया जाये अथवा पटसन उत्पादकों को अधिक दाम मिलें तो कृत्रिम रेशों (सिंथेटिक्स) का मूल्य पटसन उत्पादों के साथ प्रतियोगी होगा ?

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj) : The hon'ble Minister has stated that 92 purchasing centres have been set up. The entire eastern region in jute growing area and this is a cash crop of the farmers. I want to know whether 92 centres will aneliorate the plight of the poor farmers? Are they not inadequate? Why should they not be increased by four to five times? It is necessary that direct purchases should be made from the farmers through Jute Corporation agency. Government has fixed the price at Rs. 125/- per quintal where as the farmers on selling their produce at Rs. 35/- per maund. I want to know whether the amount of Rs. 18 crores would be doubled so that Jute Corporation may set up more centres to cover the whole area?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है या नहीं कि जब पटसन निगम द्वारा पटसन खरीदने का लक्ष्य निर्धारित और घोषित किया गया था तब सरकार को मालूम नहीं था कि यदि उस लक्ष्य को पूरा करना है तो कम से कम 40 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने की आवश्यकता होगी ? यदि यह ठीक है तो 40 करोड़ रुपये की राशि को घटा कर 18 करोड़ रुपये करने के लिये कौन जिम्मेदार है जिसके परिणामस्वरूप निगम के काम को जबरदस्त धक्का पहुंचा है क्या यह सच है कि वाणिज्य मंत्रालय ने कलकत्ता स्थित पटसन आयुक्त को निदेश भेजे थे कि ज्यूट मिलस को पर्याप्त पटसन खरीदना चाहिये और कम से कम तीन महीने की आवश्यकता के लिये स्टाक जमा कर लेना चाहिये और उनके पास तीन महीने की आवश्यकता से कम स्टाक नहीं रहना चाहिये ? क्या पटसन आयुक्त को यहां से निदेश नहीं दिया गया था जिसमें पहले दिये गये वचन में ढील दी गई थी जिससे पटसन मिल मालिकों के लिये उतनी मात्रा खरीदना भी आवश्यक नहीं होगा, यदि हां तो जब पटसन के मूल्य में कुछ वृद्धि होने लगी थी तब क्या सरकार ने पटसन निगम और पटसन मिल मालिकों को निदेश दिया था कि वे तीन महीने का स्टाक न रखें ? वे जानबूझकर कृत्रिम स्थिति पैदा करते हैं जिसमें मूल्य गिरेंगे और पटसन उत्पादकों को हानि उठानी पड़ेगी ?

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (कलकत्ता दक्षिण): क्या यह सच है कि भारतीय पटसन निगम के बोर्ड में बड़े बड़े उद्योगपतियों के प्रतिनिधि हैं जिसके कारण सरकार इस आशंका से किसी नीति पर चर्चा नहीं कर सकती या निर्णय नहीं कर सकती कि हर बार उसकी जानकारी उद्योगपतियों को मिल जाती है? यदि हां, तो उस का क्या विकल्प है ? क्या यह सच है कि इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में पटसन की कम खेती की गई है और किसानों ने धमकी दी है कि यदि पटसन का उचित मूल्य न दिया गया तो अगले वर्ष पटसन की खेती नहीं की जायेगी ? यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या विशिष्ट निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : यह बात ठीक है कि पटसन के मूल्यों में आम मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। इसका कारण यह है कि पटसन और उसके माल की मांग कम होती और बढ़ती रहती है। गत 4-5 वर्षों में पटसन उत्पादों का लगभग 60 प्रतिशत भाग विदेशों को बेचा गया था। इसलिये हमारे पटसन के प्राथमिक बाजार में 70 से 30 प्रतिशत की कमी हुई है, विदेशी मांग में घट-बढ़ होने के कारण पटसन उत्पाद उन्हीं दरों पर नहीं बेचे जा रहे जिनपर वे पहले बेचे जाते थे। यह पहले बताया जा चुका है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्राथमिक बाजार के आधार पर मूल्य निर्धारित किये गये थे। हम में से अधिक लोग इस व्यवस्था की इस लिये आलोचना करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि प्राथमिक बाजार में बिचौलियों का क्या काम होता है। हम इस बात पर जोर देते हैं कि गरीब किसानों को सीधे बेचना चाहिये। यह सम्भव नहीं क्योंकि कुछ लोग एक मन, आधा मन या दो मन पटसन का उत्पादन करते हैं और निकटतम बाजार 10 मील की दूरी पर होता है। यदि किसान उसे बैल गाड़ी में ले जायेगा तो वह अलाभकर रहेगा। इसलिये एक व्यक्ति सारे पटसन की जिम्मेदारी अपने पर ले लेता है और उसे बैलगाड़ी पर लाद कर बाजार में ले आता है। यह बिचौलियों का निम्नतम स्तर है। यदि इनको हटा दिया जाये तो पटसन उत्पादकों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिये प्राथमिक मूल्य तय कर दिये गये हैं। यह एक नया निर्णय है।

जहां तक भारतीय पटसन मिल संघ के चेयरमैन श्री सिघानिया की गिरफ्तारी का सम्बन्ध है मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा है कि उनको आतंरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी कानून के अधीन गिरफ्तार करने के लिये वारंट था। मुझे यह नहीं पता कि यह बात कहां तक ठीक है। इस बात का उल्लेख किया गया है कि पटसन निगम द्वारा कम मूल्य दिया जाता है। इस सम्बन्ध में हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और हमने 48 लाख गांठों के कुल उत्पादन में से 3.90 लाख गांठें अब तक खरीदी हैं। इस वर्ष हमारा लक्ष्य 15 लाख गांठें खरीदने का था। अतः हम अभी और गांठें खरीदेंगे। उत्तरी आसाम और त्रिपुरा के कुछ भागों में मूल्य कम हो गये थे और वे कानूनी न्यूनतम मूल्य के निकट आ गये थे। परन्तु चूंकि हम गत दो सप्ताहों से बाजार में खरीद कर रहे हैं, अब मूल्यों में कुछ वृद्धि होने लगी है और मूल्य कानूनी मूल्य से कुछ अधिक हो गया है। यह भी पूछा गया था कि क्या कानूनी मूल्य न्यायोचित है। कृषि मूल्य आयोग ने पटसन ही नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में विचार किया था और उनके सुझावों का पालन किया जा रहा है। हम केन्द्रों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं परन्तु इस काम के लिये अधिक ऋण अपेक्षित है और अत्यधिक मुद्रा स्फीति के कारण प्राथमिकताओं में परिवर्तन किया गया है और सरकार अधिक ऋण की व्यवस्था नहीं कर सकती। यदि अधिक ऋण मिल जाता तो हम अधिक मात्रा में पटसन खरीद सकते थे।

मारुति लिमिटेड के बारे में आश्वासनों की क्रियान्विति के बारे में दी गई कुछ जानकारी की शुद्धि करने सम्बन्धी वक्तव्य

STATEMENT CORRECTING CERTAIN INFORMATION *RE.* IMPLEMENTATION OF ASSURANCES ABOUT MARUTI LIMITED

संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, ...

Shri Madhu Limaye (Banka). : On a point of order, Sir. I have no objection to making of a statement regarding correction of a question but it is not included in the List of Business.

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य-सूची के साथ टाइप किया हुआ एक कागज है उसमें इसका उल्लेख है।

Shri Madhu Limaye : It has not been included in the list of business deliberately lest Press should know that statement will be made regarding Maruti affair.

उपाध्यक्ष महोदय : आपने आज अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा था कि यदि यह वक्तव्य आज न दिया गया तो आप निदेश 115 के अन्तर्गत उसकी मांग करोगे। कल की बजाय वह आज ही वक्तव्य देना चाहते हैं और मैंने उनको ऐसा करने की अनुमति दे दी है।

संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

उपाध्यक्ष महोदय,

20 नवम्बर, 1974 को जब मैंने लोक सभा पटल पर आश्वासनों के कार्यान्वयन के विवरण रखे थे तो माननीय सदस्य श्री मधु लिमये ने पूछा था कि क्या इन विवरणों में मारुति लिमिटेड के सम्बन्ध में लगभग 14 मास पूर्व पूछे गये उनके प्रश्नों के उत्तर भी सम्मिलित है। क्यों कि इन विवरणों में श्री लिमये के लगभग 14 मास पूर्व पूछे गये प्रश्न सं० 1431 दिनांक 1-8-1973 तथा इसी प्रकार के दिनांक 21-11-1973 को पूछे गये प्रश्न सं० 1573 का उत्तर सम्मिलित था। अतः मैंने, यथार्थ में, सोचा कि श्री लिमये इन्हीं प्रश्नों का जिक्र कर रहे हैं। मुझे, उस समय, यह मालूम नहीं था कि श्री लिमये के प्रश्नों में से 27 जुलाई, 1973 को पूछा गया प्रश्न (899) का उत्तर अभी नहीं दिया गया है। अतएव 20 नवम्बर, 1974 को उनके प्रश्न के उत्तर में मैंने "हां" कह दिया था क्यों कि श्री लिमये ने इस सम्बन्ध में किसी विशिष्ट अथवा खास प्रश्न के बारे में नहीं पूछा था। श्रीमन्, मैं आपको तथा आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सदन को गुमराह करने का मेरा कोई इरादा नहीं था।

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ाया जाना।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा श्री ईश्वर चौधरी, संसद सदस्य को हथकड़ी लगाये जाने सम्बन्धी विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में, जो 30 अगस्त, 1974 को विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा श्री ईश्वर चौधरी, संसद सदस्य को हथकड़ी लगाये जाने सम्बन्धी विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में, जो 30 अगस्त, 1974 को विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

नियम 377 के अधीन मामला

MATTERS UNDER RULE 377

अभ्रक तथा चमड़ा उद्योग के बारे में

श्री चपलेन्द्र भट्टाचार्य (गिरिडीह) : इस सभा में कई छोटे-मोटे मामलों पर चर्चा करने पर समय व्यतीत किया जाता है परन्तु मुझे अभ्रक उद्योग में काम करने वाले लाखों श्रमिकों और चपड़ा लाख का उत्पादन करने वाले एक लाख परिवार की गम्भीर स्थिति के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना की अनुमति नहीं दी गई। अतः मुझे आज नियम 377 के अधीन यह मामला उठाना पड़ा है। छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश के कुछ भागों और पूर्वी प्रदेश में पुरुलिया जिले में उत्पन्न गम्भीर स्थिति का उत्तर देने के लिये मंत्री महोदय उपस्थित ही नहीं हैं।

वर्ष 1972 में अभ्रक के निर्यात व्यापार में एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने और उससे जनता के कमजोर वर्ग को संरक्षण प्रदान करने के लिये अभ्रक व्यापार को सुव्यवस्थित किया गया था। यह व्यापार कुछ गिने चुने अभ्रक निर्यातकों के हाथों में जा रहा था। खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से अभ्रक के व्यापार की व्यवस्था की जानी थी। निगम ने 6 महीने तक कमजोर वर्ग की कोई परिभाषा नहीं बनाई थी। परन्तु जब उसने अपनी परिभाषा में अभ्रक के निर्यात करने वाले बड़े लोगों को भी कमजोर वर्ग में सम्मिलित किया तो वह परिभाषा निरर्थक सिद्ध हुई। फिर उन्होंने अभ्रक खरीदना और निर्यात करने के लिये विभिन्न प्रकार के अभ्रक का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना आरम्भ कर दिया। अभ्रक की 200 किस्में हैं और 150 निर्यातकर्त्ता हैं और उसका मूल्य 1 रुपये प्रति किलो से लेकर 1000 रुपये प्रति कलो तक है। क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों को एक महीना पहले ही बता दिया जाता है कि कौन-सी किस्म का अभ्रक खरीदा जायेगा जिससे वे उसी किस्म के अभ्रक का भंडार बना लें? क्या यह भी सच है कि बिहार अभ्रक निर्यातकर्त्ता संगठन को, जिसमें अनेक अभ्रक निर्यातकर्त्ता हैं, अभ्रक निगम ने अलग रखा है? क्या यह भी सच है कि अभ्रक की विभिन्न किस्मों के मूल्यों को निर्धारित करने के मामले में संख्या 6 के और खुले अभ्रक के मूल्य बहुत कम बढ़ाये गये हैं? अभ्रक के निर्यात से होने वाली आय में कितनी कमी हुई है? वित्त मंत्रालय अभ्रक जैसे श्रम प्रधान उद्योग से 4 करोड़ रुपये निर्यात शुल्क के रूप में प्राप्त करता है परन्तु वह उद्योग में सुधार करने के लिये कोई धनराशि खर्च नहीं करता। अभ्रक निगम कहता है कि उसके पास अभ्रक खरीदने के लिये कोई धनराशि नहीं है। वह अभ्रक को दुर्भावना से अस्वीकार कर रहा है। छोटे उत्पादकों को बड़े उत्पादकों के पास अपना माल बेचना पड़ता है। लाख उद्योग की भी यही हालत है। इसमें सांठगांठ का पता चलता है क्योंकि हाथ से बने लाख के, जो एक प्रतिशत अशुद्धता

वाला है, मूल्य को मशीन से बने, लाख, जो .5 प्रतिशत अशुद्धता वाला है, के मूल्य के समान कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि हाथ से बनाने वाले लाख के उद्योग, जिसमें छोटे लोग काम कर रहे हैं, की स्थिति खराब हो जायेगी। हाथ से बने लाख और मशीन से बने लाख में परम्परागत मूल्य भेद, जो 250 रुपये प्रति मन है, पुन: रखा जाये और उसे बनाये रखा जाये, यदि वे अधिक विदेशी मुद्रा कमाना चाहते हैं, वे 500 रुपये प्रति क्विंटल वाला मशीन से निर्मित लाख को 30-5-1974 को 2,618 रुपये प्रति क्विंटल वाले लाख में मिला दें। यदि ऐसा न किया गया तो इस से डण्डा लाख के उत्पादन को बहुत धक्का पहुंचेगा और पहले ही उसका मूल्य 1200 रुपये से घट कर 600 रुपये प्रति मन हो गया है। हमें इस मामले पर वाद-विवाद करना चाहिये।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अधीन नजरबन्दी आदेशों के संबंध में किसी न्यायालय में जाने के नागरिक अधिकारों को निलम्बित किए जाने सम्बन्धी, राष्ट्रपति के आदेश के निरनुमोदन के बारे में प्रस्ताव और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) ORDINANCE AND MOTION RE. DISAPPROVAL OF PRESIDENTIAL ORDER SUSPENDING CITIZENS RIGHTS TO MOVE A COURT AGAINST DETENTION ORDER UNDER MISA AND CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश पर सांविधिक संकल्प तथा राष्ट्रपति के आदेश पर प्रस्ताव और विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि विधेयक पर चर्चा आरम्भ करेंगे।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री को कब तक आमंत्रित किया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इस विषय पर चर्चा करने के लिये 4 घण्टे का समय निर्धारित किया था जिसमें से 2 घण्टे 55 मिनट खर्च हो गये हैं। अत: केवल 1 घण्टा और 5 मिनट शेष हैं। अभी कई महानुभाव इस पर बोलना चाहते हैं और ऐसी अवस्था में समय निर्धारित करना बहुत कठिन है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप किसी अन्य प्रस्ताव का समय कम कर सकते परन्तु इसका नहीं।

श्री के० रघुरामैया : मेरा सुझाव यह है कि 5 घण्टे आम चर्चा के लिए और 1 घण्टा खण्डवार चर्चा के लिये रख लिया जाये। आशा है कि सभा इसको स्वीकार कर लेगी।

श्री मधु लिमये (बांका) : हम इससे सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसको क्रियान्वित करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : कांग्रेसी सदस्यों का यह कहना गलत है कि विरोधी पक्ष तस्करों के विरुद्ध कारगर, कड़ी और तत्काल कार्यवाही करने के विरुद्ध है। वास्तविक बात यह

है कि सरकार उनके विरुद्ध कोई मुकद्दमा चलाये बिना उन्हें जेल में बन्द कर देगी इससे उन मामलों में अन्तर्ग्रस्त राजनीतिज्ञ भी बच जायेंगे। इस प्रकार उन तस्करों और उनसे सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों की रक्षा होगी। ये काम आपात स्थिति में किये जा रहे हैं विशेषकर जब देश में ऐसे कोई हालात नहीं हैं जिनमें आपात स्थिति जारी रखने की आवश्यकता हो। राष्ट्रपति का यह आदेश अनुच्छेद 359(1) के अधीन जारी किया गया है जिसके परिणामस्वरूप यदि कोई व्यक्ति महसूस करता है कि संविधान के भाग III में उल्लिखित उसके मूलभूत अधिकार छीने जा रहे हैं तो वह न्यायालय में कोई अर्जी दायर नहीं कर सकता। इतनी बड़ी शक्ति आपात स्थिति में ही कार्यपालिका को दी जाती है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि तस्करों का व्यवहार बहुत खराब है और वह राष्ट्र-विरोधी हैं। आर्थिक और सामाजिक अपराध सम्बन्धी प्रतिवेदन को क्रियान्वित किया जाना चाहिये। विधि में सुधार करने तथा उसके दोषों को दूर करने, जिससे कथित तस्कर या वास्तविक तस्कर न्यायालय में जाकर छूट न सकें, की बजाये सरकार अपने हाथ में अत्यधिक शक्ति ले रही है। अब वह किसी भी व्यक्ति को बन्दी बना सकेगी और उसे अपील करने का अवसर नहीं मिलेगा। यह न तो विधिवत है और न ही लोकतंत्रीय शासन के अनुकूल है। यदि सरकार को युद्ध अथवा आपत् स्थिति के बहाने अत्यधिक शक्तियां अपने अधिकार में लेने का चस्का पड़ जाता है तो उक्त स्थिति समाप्त होने के बाद भी वह उक्त असाधारण शक्तियों को छोड़ना नहीं चाहेगी। सरकार इन अधिकारों का प्रयोग वास्तविक उद्देश्य से न कर आपत् स्थिति के बहाने कर रही है। सरकार वर्तमान कानून व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं करती ?

कुछ लोगों का तस्करों के मूलभूत अधिकारों में विश्वास है। तस्करों के कोई मूलभूत अधिकार नहीं हैं। लेकिन सरकार को यह विश्वास है कि गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति तस्कर है। सरकार को इस बात के साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिये कि अमुक व्यक्ति अमुक अमुक अपराध का दोषी है। लोगों को तभी पता लगेगा कि क्या हो रहा है और वे तब समझेंगे कि यह उचित सजा है।

साधारण व्यक्ति यह नहीं जानता कि शक्ति की इस विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहती है। यदि सरकार उचित व्यवहार करती और सीधे तथा ईमानदार ढंग से कार्य करती तो शायद इस पर आपत्ति न होती। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से शक्ति का प्रयोग किया है उससे हमारा सरकार में विश्वास उठ गया है और संदेह है कि सरकार लोकतन्त्रीय ढंग से और ईमानदारी से इन शक्तियों का प्रयोग करेगी अथवा नहीं। सरकार तस्करी को रोकने के नाम पर ईमानदार लोगों को जेल में बन्द करना चाहती है। अतः संसद् सदस्यों के रूप में हमारा नागरिकों के प्रति दायित्व है और नागरिकों को यह कहने का अधिकार है कि ऐसे कानून का असंवैधानिक ढंग से प्रयोग न किया जाये।

चुनाव में धन की शक्ति का बहुत अधिक महत्व है और तस्कर सत्तारूढ़ दल के लिये धन के स्रोत हैं और इसी कारण सरकार उनके विरुद्ध प्रभावशाली कार्यवाही करने में असफल रही है।

तस्करों को आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये कई महीने हो गये हैं लेकिन सरकार ने उनके विरुद्ध कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की है।

हमें तस्करों और उनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध नैतिक वातावरण बनाना चाहिये। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में तस्करी के माल को खुले आम जलाया जाना चाहिये जिससे लोगों में यह भावना जागृत हो कि न केवल तस्करी का माल खरीदना बल्कि उसका प्रयोग भी समाज-विरोधी है।

मैंने श्री अनिल चोपड़ा की एक दुर्घटना में मृत्यु का दुःखद समाचार पढ़ा। श्री चोपड़ा युवा प्रशासक और दमन, दादर और नागर हवेली के कलेक्टर थे। एक समाचार के अनुसार उनके पास गुजरात के दमन क्षेत्र में तस्करी सम्बन्धी जानकारी थी। इस रहस्य को स्पष्ट किया जाना चाहिये।

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखिमपुर): मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और विपक्ष के प्रस्ताव का तीव्र विरोध करता हूं। तस्करी के कारण देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। सरकार को इस मामले में ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। सरकार ने तस्करों के विरुद्ध 'आंसुका' का प्रयोग करना आरम्भ किया है। इसका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संशोधन किया गया है जिससे पकड़े गये तस्करों को कुछ समय के लिये न्यायालय में हाजिर किये बिना बन्दी बनाये रखा जा सके।

सदस्यों ने 'आंसुका' का तस्करों के विरुद्ध प्रयोग न करने की आलोचना की है। लेकिन जब यह कानून उनके विरुद्ध प्रयोग किया गया तो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि तस्करों के मूलभूत अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है।

यह कहा जाता है कि तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। इससे अधिक तस्करों के विरुद्ध और क्या कठोर कार्यवाही की जा सकती है? क्या सरकार तस्करों को मारना शुरू कर दे? ऐसा लोकतन्त्र में सम्भव नहीं।

इस विधेयक के अनुसार तस्करों को एक निश्चित अवधि तक अपने को रिहा करवाने के लिये न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं होगी। इससे तस्करों को गिरफ्तार किया जायेगा और तस्करी को रोका जायेगा।

मूलभूत अधिकार एक पवित्र चीज है। लेकिन जब देश की सुरक्षा खतरे में हो तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। विदेशी आक्रमण और आन्तरिक गड़बड़ी का खतरा हो सकता है। आन्तरिक गड़बड़ से देश की आर्थिक स्थिति खराव हो सकती है। वह विदेशी आक्रमण से भी अधिक खतरनाक सिद्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति को रोकने के लिये कुछ सख्त कार्यवाही की जानी होगी। ऐसी आंसुका के माध्यम से किया जा सकता है और यह विधेयक उक्त प्रयोजन पूरा करेगा।

मेरा पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस विधेयक के माध्यम से तस्करी को कम कर सकेगी, यदि इसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती।

यह सच है कि सरकार मूलभूत अधिकारों को अपने हाथ में नहीं ले सकती लेकिन विधेयक में यह व्यवस्था है कि तस्करों के गिरफ्तारी के आदेश योग्य अधिकारियों और केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा जारी किये जायेंगे जिन्हें इस बारे में जानकारी और अनुभव होंगे। विधेयक में सलाहकार निकाय की भी व्यवस्था है जो इस मामले की जांच करेगा।

देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उक्त विधेयक प्रस्तुत कर उचित कार्यवाही की है। विपक्षी दलों के अलावा इस बात की सब ने प्रशंसा की है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I fully support the objects of the Bill. But I am against the manners by which the objects of the bill are going to be achieved.

In case the Government brings some detailed Bill in this connection I will support it. There is a provision to detain a person for six months in this Bill. This will not serve the purpose. I suggest that Government should formulate some better laws for economic offenders. The Government should make the implementation machinery more strong. All the Corrupt officers in police, custom and Excise departments should be removed. The Government should also take stern action against those corrupt officials who in collusion with industrialists do such activities which are against the interest of the Country.

Modi Rubber Limited has entered into an agreement with a German Firm·'Continental'. The copies of that agreement have been circulated by way of an order to Indian Industrial Development Bank and other institutions. But a secret agreement has been done in this connection which has not been brought before the public and the Government. This secret agreement is not only a conspiracy against the Government, Shareholders and financial institutions but it is also a violation of Foreign Exchange regulations. It has also come to my notice that some other supplementary agreements have also been entered with that German Firm. I want your permission to lay the copy of that secret agreement.

The two directors in the Modi Rubber Limited management represent the Government.

But they have not protected the interest of the Government. Besides this, a member of the ruling party is also a director in that firm. I have written letters to both Shri Jadhvani and Shri D. Sharma who are directors in the firm and who represent the Government, drawing their attention regarding malpractices in the Mill, but I did not receive any reply to my letters. The Government should look into their actions.

I have also sent some document of the Modi Rubber Limited to the Enforcement Directorate but it has not taken any action in this matter. I want to know whether the Government will punish the officers of the Enforcement Directorate for not performing their duties efficiently.

The Mody's have deceived the Board of directors, Shareholders and the public. I want to know whether any action will be taken against them under Indian Penal Code, Foreign Exchange Regulation Act and other laws. I request the hon. Minister to explain the position in this regard.

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक सभा पटल पर दस्तावेज रखने का प्रश्न है आप उन्हें अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पटल पर रख सकते हैं ।

श्री मधु लिमये : मैंने इस सम्बन्ध में आपको उचित सूचना दी थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने मुझे केवल दस्तावेज दिखाये थे । फिर भी आपका प्रयोजन पूरा हो गया है । सब दस्तावेज मंत्री महोदय को भेज दिये गये हैं ।

Shri Madhu Limaye: Who have told you that these are forged documents? I have read all the documents after the certificate of Notary Public. Do not try to say that this is a forged document. On the one hand you resign and on the other hand you say that you are told that this is forged document. Do not try to ride two horses.

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : उनको सभा पटल पर दस्तावेज रखने की अनुमति देने का स्पष्ट मामला बनता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन ऐसा उचित तरीके से किया जाना चाहिये ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : श्री मधु लिमये ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उन्हें दस्तावेजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वह पहली बार दस्तावेजों को देख रहे हैं। मोदी रबर कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं । मुझे यह जानकारी नहीं है कि वह आरोप सही हैं अथवा नहीं। अतः मैंने श्री गोखले को लिखा है कि कम्पनी विधि बोर्ड के माध्यम से आरोपों की जांच की जाये। मैंने निदेशक के पद से इसलिये त्याग पत्र नहीं दिया है क्योंकि वे आरोप सही हैं बल्कि इसलिये दिया है कि कम्पनी के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं। मुझे बताया गया है कि उक्त दस्तावेज जाली हैं। किसी एजेंसी को इस बारे में जांच करनी चाहिये . . .

श्री मधु लिमये : माननीय सदस्य अफवाहों को प्रचलन में लाने की कोशिश न करें।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : यदि कम्पनी के प्रबन्धक अनुचित व्यवहार करते हैं और यदि आरोप हैं तो मैंने सोचा कि मैं उससे अलग हो जाऊं। उसके लिये मैंने श्री गोखले को पत्र लिखा था कि कम्पनी विधि बोर्ड के माध्यम से मामले की जांच की जानी चाहिये।

मोदी बन्धु इस कम्पनी के लिये कम ही चिंतित हैं। यह शानदार परियोजना है। वे टायरों और ट्यूबों का उत्पादन कर रहे हैं तथा सार्वजनिक संस्थाओं से 90 प्रतिशत शेयर और 90 प्रतिशत धन मिला है। धन जनता का है अतः उसके हितों की रक्षा की जानी है . . .

श्री मधु लिमये : मैंने और क्या कहा ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यदि किसी प्रकार का उल्लंघन या आर्थिक अपराध हुआ है तो उस पर सुलह नहीं होगी ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अपनी त्रुटि ठीक करता हूं।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं राष्ट्रपति द्वारा 17 सितम्बर, 1974 को लागू किये गये आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1974 का समर्थन करता हूं।

मंत्री महोदय ने ठीक कहा है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था तो विद्यमान परिस्थितियों के कारण यह अध्यादेश आवश्यक हो गया था ।

[**श्री बंसत साठे पीठासीन हुए**
SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

तस्करों द्वारा वर्तमान अधिनियम का अनुचित लाभ उठाये जाने के कारण यह विधेयक आवश्यक हो गया था ।

मुझे आश्चर्य है कि तस्करों के साथ महिलायें भी सक्रिय हैं।

मेरा यह भी मत है कि पुलिस तथा सीमा-शुल्क अधिकारियों जैसे सरकारी कर्मचारियों को चाहिये कि वे बदले या किसी गलत इरादे से किसी को तंग करने के लिये इस अधिनियम का प्रयोग न करें ।

किसी मिथ्या संदेह के लिये आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये ।

मैं राष्ट्रपति, श्री फखरुद्दीन अली अहमद की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने यह अध्यादेश जारी किया है।

तस्करों और जमाखोरों के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और ये तस्कर सही अर्थ में देश के शत्रु हैं। परन्तु मुझे यह जानकर दु:ख हुआ कि देश के उच्च न्यायालय उन्हें रिहा कर रहे हैं। न्यायाधीशों को समझना चाहिये कि वे क्या कर रहे हैं।

अब मैं विदेशी मुद्रा की तस्करी करने वालों के बारे में कहता हूं। उनके साथ कठोर बर्ताव किया जाना चाहिये। सरकार को इस कार्य के लिये ईमानदार व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिये।

लोक-सभा के सभी सदस्य जनता के प्रतिनिधि हैं और इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिये।

Shri S. A. Shamim (Srinagar) : I would like to say as to why and how the evils like smuggling spring up in a society. To-day the hon. Members are speaking about smuggling in a way as though they have been informed first time about smuggling. Haji Mirza Mastan, whose name is figuring again and again in the House, once narrated the circumstances which led him to indulge in smuggling. He said, people give every respect to the rich. When the rich persons came to the port, the custom officials served them as if they are their servants and allowed tonnes and tonnes of their goods to be taken out without any check. So this is the foundation of smuggling in our country. I would like to tell the House that there are not only 500 persons engaged in smuggling who have been arrested on the ground of bad name but at least 25,000 persons are involved in this business. Therefore, the persons whom the Government has arrested are not operating smuggling. Whom the Government has arrested and whom they want to hoodwink?

When Haji Mirza Mastan was challaned for arrest on May 31, he said, Do not take my point as misunderstanding that more than half of the money which is in currency in Bombay city is black and the rich, Ministers, Officers and the leaders of every political party are indulged in forming this black money.

May I know as to who issued an All India Licence to a smuggler, namely, Yusuf Patel for keeping gun? The person who has worked as Deputy Minister of the Union Government ... (*Interruption*)

श्री सुब्रह्मण्यम, आपकी जानकारी के लिये मैं अंग्रेजी में बोलता हूं। मैं इस विधेयक की भावना का विरोध नहीं कर रहा हूं। परन्तु हमें सरकार की निश्छलता पर संदेह है। वह इसलिये कि यह धंधा गत 27 वर्षों से चल रहा है। मेरा यह दृढ़ मत है कि आप बेईमान हैं, अतः हम आप पर विश्वास नहीं करते हैं।

वित्तमंत्री श्री सी० सुब्रह्मणयम : माननीय सदस्य का विश्वास केवल मस्तान पर है।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : श्री शमीम ने हाजी मस्तान की बात को उद्धत किया। उन्होंने यह भी कहा कि गत 27 वर्षों से तस्करी चल रही है।

श्री लिमये ने कहा है कि उन्होंने यह मामला कई वर्ष पहले इसी सदन में उठाया था। इस समय ये लोग तस्करों के खिलाफ न बोल कर लगभग उनके बचाव के लिये बोल रहे हैं। यह कार्यवाही न केवल तस्करों के ही विरुद्ध है अपितु करों की चोरी करने वालों तथा जमाखोरों के विरुद्ध भी है। उनका कहना है कि सरकार तस्करों को न्यायालय में जाने के अधिकार पर रोक लगा रही है।

इस प्रश्न का निर्णय इस संसद् को करना है। मेरा विश्वास है कि एक दिन आ सकता है जब तस्करों को बिजली के खम्भों पर लटकाया जायेगा।

श्री वाजपेयी ने जांच आयोग के गठन की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि राजनीतिक सम्पर्कों की जांच की जानी चाहिये। उन्होंने क्या साक्ष्य प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि श्री गोखले ने किसी को कोई पत्र या प्रमाण पत्र दिया। इस लिये वे संसद् सदस्यों वाले जांच आयोग का गठन चाहते हैं।

सरकार ने तस्करों के खिलाफ जो कार्यवाही की है उससे जनता के मन में सरकार के प्रति आदर हो सकता है। उस आदर को समाप्त करने के लिये वे कुछ करना चाहते हैं।

तस्करों के विरुद्ध सरकार की कार्यवाही का देश ने स्वागत किया है। मैं चाहता हूं कि कुछ और किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री श्यामानन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह कहा गया है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के इस अध्यादेश के विरुद्ध हैं, वे तस्करों की तरफदारी कर रहे हैं। मैं गंभीरतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि तस्करों की सहायता करने की स्थिति में कौन हैं। जो फाइलें, आर्डर परमिट और कोटा बेच सकते हैं। वे या जो तस्करों की तरफदारी के लिये कुछ नहीं कर सकते थे।

श्री मोदी को आटे की लगभग 5000 बोरियों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया था। इस बात का क्या कारण है कि वह मामला अभी तक विचाराधीन पड़ा है? सरकार ने ऐसा अध्यादेश पारित किया है जिसमें ऐसे मामलों को सरसरी तौर पर निपटा देने को कहा गया है और फिर भी वह मामला डेढ़ वर्ष से अनिर्णीत पड़ा है। इस मामले में स्पष्ट अभियोग था कि सरकार को 50 लाख रुपये दिये गये हैं, अतः श्री मोदी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब लगभग 8 या 10 महीने पहले एक अध्यादेश पारित किया गया था, तो इस मामले को अभी तक न्यायालय में अनिर्णीत क्यों पड़ा रहने दिया गया है? राष्ट्रपति के अध्यादेश के अनुसार न्यायालय की सभी कार्यवाहियों को निलम्बित किया जाना है तो इस मामले को न्यायालय के अधिकार से निकाला जाकर श्री मोदी को जेल में क्यों नहीं रखा गया है।

इसी प्रकार इसी परिवार के एक सदस्य को पालम हवाई अड्डे पर विदेशी-मुद्रा विनियमों के उल्लंघन करने पर पकड़ा गया था। उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है--- (**व्यवधान**)। यदि आप मुझे संरक्षण नहीं देंगे तो मुझे पता नहीं मैं कैसे बोलूंगा---(**व्यवधान**) मैं बोलना बंद नहीं कर रहा हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुनत्तुपुजा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब कोई माननीय सदस्य बोलना बन्द करें तो अन्य सदस्य प्रश्न पूछे, ऐसा कोई नियम तो नहीं है, परन्तु ऐसी प्रथा है। जब वह बैठ गये, तो जो सदस्य प्रश्न पूछें उन्हें अनुमति दी जाय। अतः मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : जब आप खड़े हुये थे तब चार सदस्य और भी खड़े हुए थे। अत: श्री मिश्र रोष में क्षण भर के लिये बैठ गये थे। उन्होंने अन्य सदस्यों के लिये बोलना बन्द नहीं किया था। अतः व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं कह रहा था कि पालम हवाई अड्डे पर पकड़े गये मोदी परिवार के सदस्य के विरुद्ध अब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसा, क्यों।

इन तस्करों को राजनीतिक बंदियों जैसा सम्मान दिया गया और महात्मा गांधी को जिन विशेष जेलों में रखा गया था, वैसी जेलों में रखा गया और फिर ये भद्र पुरुष हम से इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करने को कहते हैं।

आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि कुछ जमानत न होने वाले वारंटों को जमानत होने वाले वांरटों में बदल दिया गया। ऐसा किसने किया है; कुछ तस्करों ने स्वास्थ्य के आधार पर जेल जाने में आनाकानी की है। उन्हें अस्पतालों में रखा जा रहा है और ऐसी सुविधा प्रख्यात राजनीतिक व्यक्ति, चारू माजूमदार को भी नहीं दी गई थी।

अतः इस निन्ध राष्ट्रपति आदेश का वास्तविक आशय यह है कि वे खुले रूप से मुक-दमें को चलने से रोकना चाहते हैं जिनमें उन राजनीतिज्ञों की पोल खुल सकती है जो इन तस्करों को संरक्षण देते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जी, नहीं। मुझे कानूनी पहलुओं पर बोलना है। इस के लिये समय बढ़ाया जाना है।

हम में से जो व्यक्ति विभिन्न स्थानों पर आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत सरकार की बुरे इरादे वाली कार्यवाहियों से प्रभावित हैं वे इस प्रकार के विधेयक के साथ आप पर विश्वास नहीं कर सकते।

Mr. Chairman : Shyam Babu, the Business Advisory Committee has allotted five minutes' time for your party and you have already taken 25 minutes.

Shri Shyamnandan Mishra : I have not spoken for even a minute . You see, how there people are interrupting me.

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) : बहुत बार बाधा डाली गई है।

सभापति महोदय : मैं श्याम बाबू को दस मिनट और देता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सरकार ने ऐसी कोई समन्वित या एक-मुश्त कार्यवाही नहीं की है, जो देश में तस्करी की गतिविधियों को रोक सके।

इस विधेयक का कोई कानूनी आधार नहीं है। उनका मूल तत्व यह है कि इस कार्य के लिये आपात स्थिति बनी रहनी चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि आपात स्थिति ने स्वयं को समाप्त कर लिया है। प्रधान मन्त्री ने 15 जून, को विदेशी प्रैस संवाददाता संघ को कहा था

कि देश में युद्ध की आपात स्थिति नहीं है, आर्थिक आपात स्थिति हो सकती है। श्री समर गुह के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा था कि देश में आर्थिक संकट भी एक कारण है। अत: स्पष्ट है कि देश में आपात स्थिति ने स्वयं को समाप्त कर लिया है और वह वास्तव में और अधिक समय तक नहीं है। यह कहा गया है कि इन तस्करों को उच्च न्यायालयों द्वारा रिहा कर दिया गया है और हम इन्हें जेल में रखना चाहते हैं। क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को 5 वर्ष तक जेल में नहीं रखा है जिन पर मुकदमा चल रहा था। मैं कलकत्ता के श्री कमल बोस, जो चितरंजन कैंसर अस्पताल में समाज सेवी थे, का उदाहरण देता हूं। उसे लगभग एक दर्जन बार रिहा किया गया और जमानत पर छोड़ा गया परन्तु उसे अभी तक जेल से बाहर नहीं आने दिया। उसको बाहर आने देने के लिये आपको किसने रोका?

अत: यह तर्क निराधार है कि आपको इसके लिये कानून बनाने की आवश्यकता है। मिलावट करने वालों तक को 'मीसा' के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि वे चाहते हैं कि 'मीसा' को त्रुटिहीन बनाया जाये तब उन्हें विधि आयोग की सिफारिश स्वीकार करनी चाहिए।। विधि आयोग ने अपने 47वें प्रतिवेदन में इस बारे में संविधान में संशोधन करने की सिफारिश की है। परन्तु आपने ऐसा नहीं किया है। वर्तमान कानूनों में कोई दोश नहीं पाए गए हैं, वर्तमान कानूनों को सुदृढ़ करने में हम आप के साथ हैं, आप तस्करों को कठोर दंड देने की व्यवस्था कीजिए। आप उन्हें फाँसी दे सकते हैं परन्तु मूलभूत अधिकारों को खत्म न कीजिए, 'मीसा' का उपयोग केवल राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध क्यों किया जाता है? इसका उपयोग आर्थिक अपराध करने वालों के विरुद्ध कभी नहीं किया गया। हम इस कार्यवाही का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि इसका उपयोग निश्चय ही राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध किया जायेगा। हमने सरकार के समक्ष भ्रष्टाचार के अनेक मामले रखें हैं परन्तु सरकार ने कुछ नहीं किया। इसका उपयोग निश्चय ही हमारे विरुद्ध किया जायेगा।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : (हमीरपुर) : यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयक को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। एक ओर तो वे कह रहें हैं कि पिछले 27 वर्षों में तस्करी बढ़ी है और दूसरी ओर वे शिकायत करते हैं कि उन्हें 'मीसा' के अन्तर्गत पकड़ा जा रहा है, यह एक बड़ी विचित्र स्थिति है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

रत्नगिरि परियोजना का महाराष्ट्र से गुजरात अंतरण

SHIFTING OF RATNAGIRI PROJECT FROM MAHARASHTRA TO GUJARAT

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं गत एक वर्ष से अधिक समय से महाराष्ट्र में रतनगिरि में सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले एल्यूमिनियम परियोजना के बारे में स्पष्ट आश्वासन देने की मांग करता रहा हूं। महाराष्ट्र की जनता को अधिक समय तक अनिश्चय की स्थिति में नहीं रखा जा सकता है। इस परियोजना पर अनुमानित खर्चा 78.8 करोड़ रुपये

*आधे घंटे की चर्चा
Half an-Hour Discussion.

आयेगा परन्तु सरकार ने 50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। और यह आश्वासन दिया है कि इसी खर्चे से छठी पंच वर्षीय योजना के आरम्भ में ऐल्यूमिनियम परियोजना पर कार्य पूरा हो जाएगा । परन्तु 1974-75 में केवल एक करोड़ रुपया उपलब्ध किया गया है जबकि संपूर्ण पांचवीं योजना में 50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यदि हिसाब लगाया जाये तो इस परियोजना को पूरा करने में इस प्रकार 50 वर्ष लगेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए कितना धन उपलब्ध किया जायेगा तथा यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ? मैं अन्य प्रश्नों पर भी स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं।

समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं कि यदि आर्थिक संकटों के कारण विभिन्न परियोजनाओं की निर्माण लागत में वृद्धि होती है तो योजना आयोग कुछ परियोजनाओं को स्थगित करने पर विचार कर सकता है। इस लिए कोंकण की जनता चाहती है कि योजना आयोग यह आश्वासन दे कि निर्माण लागत में वृद्धि होने के बावजूद भी इस परियोजना को स्थगित नहीं किया जायेगा।

अभी हाल में ईरान ने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया है, समझौते के अन्तर्गत हम उसको ऐल्यूमिना का निर्यात करेंगे। ईरान यहां ऐल्यूमिनियम परियोजना के निर्माण-कार्य के लिए दुर्लभ विदेशी मुद्रा में धन उपलब्ध करेगा मैं जानना चाहता हूं कि इस नए प्रस्ताव को लाने के क्या कारण हैं? महाराष्ट्र के पिछड़े जिले में एक परियोजना पर पहिले ही कार्य हो रहा है और मंत्री महोदय ने कल ही बताया था कि इस समय धन की कठिनाई है तो क्यों नहीं ईरान से मिलने वाले धन को इस परियोजना में लगाया जाता है। रतनगिरि में परियोजना के लिए मूलभूत सुविधाएं जुटा दी गई हैं अतएव इस धन को इस परियोजना के लिए उपलब्ध किया जाना चाहिए। मैं गुजरात का विकास भी चाहता हूं परन्तु जब विदेशी सहायता मिल रही है तो इसका उपयोग पहिले से ही क्रियान्वित की जा रही परियोजना में किया जाना चाहिए। यदि हमें सोवियत रूस से सहायता मिलती है तो उसका उपयोग सर्वप्रथम रतनगिरि परियोजना को पूरा करने में होना चाहिए। गुजरात के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है परन्तु आश्चर्य है कि ऐसे नाजुक समय में ईरान से मिलने वाली सहायता को गुजरात में परियोजना स्थापित करने में लगाया जा रहा है। ईरान ने समझौते में यह नहीं कहा है कि उसकी गुजरात की परियोजना से ऐल्यूमिना लेने में रुचि है, उसे केवल 300 हजार टन ऐल्यूमिना चाहिए, शायद गुजरात में विधान सभा के चुनाव नजदीक होने के कारण वे वहां इस प्रकार का विकास कार्य दिखाना चाहते हैं, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक मामले में अपने निर्णय में कहा था कि चुनाव से पूर्व निर्माण कार्य एक गलत प्रथा है। मैं कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं परन्तु मुझे खुशी होगी यदि गुजरात में परियोजना की स्थापना के पीछे राजनीतिक उद्देश्य नहीं है।

प्रश्न यह है कि यदि रतनगिरि में परियोजना स्थापित की जाती है तो उसके क्या लाभ होंगे। दांगुरवाडी और उगगिरी से बाक्साइट लाने में खर्चा प्रति टन 17 रुपये आता है और यदि गुजरात में कांडला में इस परियोजना की स्थापना की जाती है तो कच्छ से बाक्साइट लाने में खर्चा प्रति टन 62 रुपये आयेगा। इस प्रकार रतनगिरि में परियोजना स्थापित करने से बाक्साइट के लाने में पति टन 45 रुपये की बचत होगी। 300 हजार टन बाक्साइट लाने में 378 लाख रुपये की बचत होगी।

गुजरात में परियोजना स्थापित करने से कास्टिक सोडा बम्बई से लाना पड़ेगा और रतनगिरि में स्थापित करने से यह रतनगिरि में ही उपलब्ध हो जायेगा। इससे काफी बचत हो सकती है। बातको के तकनीकी सलाहकार ने भी यह कहा था कि रतनगिरि की परियोजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि ईरान और सोवियत रूस से मिलने वाली सहायता का उपयोग रतनगिरि परियोजना में किया जाये और फिर गुजरात परियोजना पर कार्य आरम्भ किया जाये। मैं तीन-चार प्रश्नों पर आश्वासन चाहता हूं। इस परियोजना के लिए तत्काल कितनी राशि की स्वीकृति दी जाएगी? इस परियोजना पर कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? क्या उपलब्ध विदेशी सहायता का उपयोग रतनगिरि परियोजना के लिए किया जायेगा? क्या आप इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि रतनगिरि परियोजना की स्थापना कोंकण जैसे पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए सहायक होगी? यदि यह परियोजना स्थगित कर दी जाती है तो पश्चिम तटवर्ती रेलवे योजना तथा सभी मौसमों में कार्य करने वाले बंदरगाह की योजना भी असफल हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप कोंकण का पिछड़ा क्षेत्र विकास न कर सकेगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। 14 नवम्बर के अतारांकित प्रश्न संख्या 473 के भाग (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक है। मेरा कहना है कि इस उत्तर के आधार पर आधे घंटे की चर्चा नहीं हो सकती। ईरान और भारत सरकार के बीच एक परियोजना पर समझौता हुआ था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समझौते के कारण रतनगिरि की परियोजना को गुजरात ले जाया जा रहा है और आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देने का क्या आधार है?

प्रो० मधु दण्डवते : हालांकि प्रश्न के एक खास भाग का उत्तर दिया जाता है परन्तु जब अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं तब अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जाता है। मंत्री महोदय ने कल मुझे एक पत्र भेजा था जिसमें धन के उपलब्ध न होने की बात कही गयी थी। यदि बाहर से वित्तीय सहायता मिल रही है और उसे गुजरात की परियोजना में लगाया जाता है तो निश्चय ही यह परियोजना स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

सभापति महोदय : नियम 55 के अन्तर्गत अध्यक्ष ने अपने स्वविवेक से आधे घंटे की चर्चा पर चर्चा की अनुमति दी है। यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना गलत है कि अध्यक्ष ने आधे घंटे की चर्चा पर चर्चा की अनुमति क्यों दी है?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I welcome the setting up of Ratnagiri Project in the Public sector. I want to know how much amount has been spent on this project and what is its production Capacity? What is the number of workers there and whether they are enjoying all the facilities of a Public Sector Project? I also want to know whether the question of setting up of a aluminium project in Gujarat is under the consideration without disturbing the Ratnagiri Project?

Shri Madhu Limaye (Banka) : Shri Dandvate has touched all the aspects of this question. My friends from Gujarat got angry. There is no need to be irritated over this question. I am afraid, Government is befooling both Maharashtra and Gujarat. Government is not formulating any clear policy. If Government is sincere a plant should be set up in Maharashtra for internal consumption and another plant can be set up for export-purposes in Gujarat. You

have earmarked 78 crores Rupees for this project and out of this Rs. 50 crores will be spent during the Fifth Five Year Plan. But you are spending only Re. 1 crore in the first year of the fifth plan. Then how can the plant take shape with such speed of investment ? You should inform how much work has been completed and end the controversy between Gujarat and Maharashtra.

श्री धामनकर (भिवंडी) : कोंकण एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां से लोग बंबई में विभिन्न क्षेत्रों में काम करके रुपया घर भेजते हैं, जब यह घोषणा की गई थी कि वहां सरकारी क्षेत्र में एक ऐल्यूमिनियम का कारखाना स्थापित किया जायेगा तब वहां के लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई थी क्योंकि एक तो उन्हें अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा और दूसरा कोंकण का तेजी के साथ आर्थिक विकास हो सकेगा, परन्तु अब लोगों के मन में यह आशंका है कि शायद ऐल्यूमिनियम परियोजना को स्थगित किया जा रहा है। कोंकण की जनता ने एक कार्यवाही समिति बनाई है जो इस परियोजना को स्थगित करने की दशा में आंदोलन करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें अब तक कितना व्यय किया गया है ? परियोजना के पूरा होने से अन्य विकास संबंधी कार्यों के लिए भूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी और कोंकण की जनता की आशाएं पूरी होंगी, मैं जानना जाहता हूं कि क्या इस परियोजना को पुनः इस प्रकार का रूप दिया जायेगा जिससे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोंकण की अर्थ-व्यवस्था को ठोस लाभ हो सके ? क्या सरकारी पूंजी निवेश बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि इस परियोजना के लिए प्रस्तावित 78.8 करोड़ रुपये पांचवीं योजना में ही उपलब्ध किए जाने चाहिएं ? तीसरा, क्या महाराष्ट्र सरकार ने भूमि, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध की हैं और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि जवाहरलाल नेहरु के जन्म दिवस, 14 नवम्बर, को परियोजना का शिलान्यास रखा जाए ? अन्त में मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में इस पिछड़े क्षेत्र की जनता की आशंकाओं को इस संबंध निर्मूल किया जाए।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुर) : एक माननीय सदस्य ने कहा है कि अन्य राज्यों में ऐल्यूमिनियम कारखाना क्यों नहीं स्थापित किया जा रहा है। यह उपलब्ध कच्चा माल, बाक्साइट क्षेत्र आदि पर निर्भर रहता है। इसलिए जहां कहीं भी इस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां इनकी स्थापना की जानी चाहिए। भारत में अनेक परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं और इसके कारण अनेक लोगों को उस क्षेत्र से हटाना पड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिए कार्यक्रम आरम्भ करेगी ? परियोजनाओं की स्थापना के लिए कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर ली जा रही है तो क्या सरकार वहां से हटाए गए व्यक्तियों को खेती करने के लिए जमीन देगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : रतनगिरी ऐल्यूमिनियम परियोजना के बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाए हैं, हाल ही में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि रतनगिरि परियोजना को गुजरात अथवा किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है। मेरे विचार में यह उत्तर माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर सकेगा। प्रो० दंडवते ने आशंका व्यक्त की है कि निर्माण लागत बढ़ जाने का बहाना बनाकर सरकार रतनगिरि परियोजना का कार्य स्थगित कर देगी। उन्होंने कहा है भारत ऐल्यूमिनियम कम्पनी के अधिकारी जनता में आशंकाएं पैदा कर रहे हैं, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रतनगिरि परियोजना को अन्यत्र ले जाने का कोई प्रश्न नहीं है। यह परियोजना देश की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाई गई है और इसके लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में धन की व्यवस्था की गई है। पांचवीं पंचवर्षीय

योजना में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । हम पहले ही 1.50 करोड़ रुपए व्यय कर चुके हैं। इस योजना को स्वीकृति गत अप्रैल में दी गई थी। सरकार ने रत्नगिरी परियोजना की मंजूरी अप्रैल, 1974 में दी थी तथा उस पर 1.50 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए हैं। 73 लाख रुपए सलाहकारों को दिए गए हैं तथा 20 लाख रुपए भूमि के मुआवजे के रूप में दिए गए हैं। 314 एकड़ भूमि अर्जित की गई है ।

माननीय सदस्यों को रत्नगिरी संयंत्र तथा गुजरात संयंत्र के बारे में कोई भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। हमारे देश के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न संयंत्रों की स्थापना की आवश्यकता है । रत्नगिरी संयंत्र स्वदेशी खपत के लिए है तथा यह पांचवीं पंचवर्षीय योजना का अंग है । हमने एक करोड़ रुपए की राशि नियत की है किन्तु इसका यह आशय नहीं है कि प्रत्येक वर्ष बराबर-बराबर राशि खर्च की जाए। रत्नगिरी संयंत्र और गुजरात संयंत्र दो पृथक संयंत्र हैं तथा हम किसी को कहीं भी अंतरित नहीं करना चाहते ।

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि हमें इस समय गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण बहुत सी योजनाओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करना कठिन हो गया है । इस समय हम उन्हीं परियोजनाओं की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं जो प्राथमिकता प्राप्त हैं अथवा जो पिछड़े क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं ।

जहां तक 'बालकों' का सम्बन्ध है, उनकी कठिनाई यह है कि वे चाहते हैं कि उनको पूरी धन-राशि प्राप्त हो जाए क्योंकि एक करोड़ रुपए की राशि तो भूमि को समतल करने पर ही खर्च हो जाएगी । आज ही मैंने इस संयंत्र के बारे में वित्त मंत्री महोदय से विचार-विमर्श किया है तथा उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि इस मामले पर योजना आयोग से विचार-विमर्श किया जाएगा तथा इस संयंत्र के लिए संसाधन जुटाने का प्रयत्न किया जाएगा ।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस संयंत्र को यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा क्योंकि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण इसकी लागत में वृद्धि होती जा रही है। हम इसे पांच वर्षों में पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु इस सम्बन्ध में मैं कोई निश्चित समय नहीं बता सकता ।

जहां तक गुजरात संयंत्र का सम्बन्ध है, यह वास्तव में निर्यात प्रधान संयंत्र है तथा इसमें तीन लाख टन ऐल्यूमीनियम का उत्पादन किया जाएगा । जिसका सम्भवत: ईरान को निर्यात किया जाएगा अत: ये दोनों संयंत्र पृथक-पृथक हैं तथा इनके बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि अल्यूमिनियम संयंत्र के लिए रूस से सहायता मांगी गई है । इस बारे में मंत्री महोदय का क्या विचार है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय सदस्य को यह भी ज्ञात होना चाहिए हम विभिन्न देशों से बात चीत कर रहे हैं, क्योंकि विभिन्न परियोजनाओं के लिए हमें विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता है। जहां तक इस संयंत्र का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य अपने राज्य की जनता को यह बताएं कि सरकार अपने वायदे से पीछे नहीं हट रही है तथा गुजरात से संयंत्र को महाराष्ट्र में अंतरित नहीं किया जाएगा ।

श्री शास्त्री ने प्रश्न किया है कि क्या रत्नगिरी संयंत्र के श्रमिकों के साथ वही व्यवहार किया जा रहा है जो अन्य सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ किया जाता है । वास्तव में अभी वहां कोई कारखाना नहीं है । अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता । कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में इस स्थिति में मैं यही कह सकता हूं कि इस संयंत्र में लगभग 3500 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा ।

पुनर्वास के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है । इस सम्बन्ध में सरकार की यह नीति है कि किसी संयंत्र की स्थापना के कारण जो परिवार विस्थापित होते हैं, उनमें से कम से कम एक सदस्य कौ उस संयंत्र में अवश्य रोजगार दिया जाए ।

श्री धामनकर : लोगों ने 'बालको, में रोजगार पाने के लिए आवेदन पत्र दिए किन्तु उन्हें रोजगार नहीं दिया गया ।

श्री चन्द्रजीत यादव : 'बालको' के चेयरमैन इस बात के लिए बहुत इच्छुक हैं कि इसके लिए धनराशि अलाट हो जाए तथा इस संयंत्र का कार्य आरम्भ हो जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि रोजगार होते हुए भी 'बालको' ने विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिया ।

श्री चन्द्रजीत यादव : वास्तव में रत्नगिरी परियोजना में कोई कार्य आरम्भ नहीं हुआ है अतः रोजगार देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री एस० एल० पेजे : मुझे ज्ञात हुआ है कि 'बालको' ने कुछ व्यक्तियों को रोजगार दिया है । मंत्री महोदय गलत जानकारी दे रहे हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा सरकारी नीति के अनुसार उनको रोजगार दिया जाएगा । हमें आशा है कि यह संयंत्र पांच वर्षों में पूरा हो जाएगा । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि देश में चुनाव तो होते ही रहेंगे किन्तु विकास कार्यों को उनके साथ जोड़ना उचित नहीं है । यह कार्य तो सतत् रूप से चलते रहेंगे ।

(इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 5 दिसम्बर, 1974/14 अग्रहायण 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई)

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 5th December, 1974/ Agrahayana 14, 1896 (Saka).

816LSS/74—200—23-6-75—GIPF.